शनिवार,
२० दिसंबर, १९५२

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

दूसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# लोक सभा

शनिवार, २० दिसम्बर १९५२

---

**सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई**

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

**श्री तेलकीकर** (नान्देड़) : औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी सदन की कार्यवाही आरम्भ नहीं हुई है । औचित्य-प्रश्न क्या है ?

**श्री तेलकीकर** : सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले मार्शल माननीय सदस्यों को "सदस्य" के नाम से अभिमुख करते हैं । इंगलैंड के हाऊस आव कामन्ज़ की प्रथा, क्रियाविधि और कार्यवाही के अनुसार वहां के माननीय अध्यक्ष भी सदस्यों को "माननीय सदस्य" कहकर अभिमुख करते हैं । और यहां भारत में मार्शल आते ही "सदस्य" की आवाज लगाते हैं । मार्शल के "सदस्य" शब्द से ऐसा लगता है जैसा कि किसी कक्षा का अध्यापक उस कक्षा में मुख्य अध्यापक के आते ही कहे : "लड़को, खड़े हो जाओ ।" उसे या तो नाम लेने की आदत छोड़ देनी चाहिये, अन्यथा इतना ही बताना चाहिये कि सभापति या अध्यक्ष जी आ गये हैं । और यदि वह सदस्यों के अभिमुख होकर बताना ही चाहता हो, तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये : 'माननीय सदस्यो' अथवा 'माननीय सभासदो, सम्माननीय अध्यक्ष जी ।'

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के औचित्य-प्रश्न की पूरी सराहना करता हूं । उनकी इस बात में औचित्य का कोई भी प्रश्न नहीं है । यों तो मेरा यह अनुभव है कि माननीय सदस्यों को "माननीय सदस्य" के नाम से बुलाया जाना चाहिये, किन्तु मुझे हाऊस ऑव कामन्ज़ की क्रिया-विधि के सम्बन्ध में यह ज्ञान है कि वहां "संसद् के सदस्यो, आदि, आदि" शब्दों से उद्बोधन किया जाता है । खैर, मैं इस विषय में और आगे बढ़ कर मार्शल को यह परामर्श देना चाहता हूं कि वह अंग्रेजी में उद्बोधन करते समय "आनरेबिल" और हिन्दी में उद्बोधन करते समय "माननीय" विशेषण का प्रयोग करे । मेरी पदवी के साथ इस विशेषण का प्रयोग होने या न होने की कोई भी बात नहीं है ।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

**डा० भगवानदास गुरुबक्शानी की गिरफ्तारी**

**श्री गिडवानी** : (क) **प्रधान मंत्री जी** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान स्थित भारत के हाई कमिश्नर के अधीन कराची के निष्क्रमणार्थी शिविर में काम करने वाले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता

डा० भगवानदास गुरुबक्शानी पाकिस्तान सरकार द्वारा बन्दी बनाय गये हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या भारत सरकार ने उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई पूछताछ की है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पाकिस्तान के अधिकारियों ने हमें यह सूचना दी है कि डा० भगवानदास गुरुबक्शानी को २२ नवम्बर, १९५२ को बन्दी बनाया गया। डा० गुरुबक्शानी ने कराची स्थित निष्क्रमण पारगमन शिविर के साथ १ सितम्बर, १९५२ को नाता तोड़ रखा था।

(ख) पाकिस्तान सरकार से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है।

**पाकिस्तान की प्रतिभूतियां**

**श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय भी पाकिस्तान की प्रतिभूतियों तथा अंशों के स्वामी हैं ?

(ख) यदि हां तो उन प्रतिभूतियों और अंशों की राशि विवरण सहित बताइये ?

(ग) क्या उनके पाकिस्तान निर्यात किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रतिबन्ध के परिमाणस्वरूप इस प्रकार के अंशों और प्रतिभूतियों के भारतीय स्वामी घाटे में जा रहे हैं ?

(ङ) यदि हां, तो कितना घाटा होने की संभावना है ?

(च) क्या इन प्रतिभूतियों और अंशों के निर्यात किये जाने की आज्ञा के लिये सरकार के पास कोई प्रतिनिधान किया जा चुका है ?

(छ) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं।

(ग) भारत से प्रतिभूतियों और अंशों के निर्यात के लिये रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की आज्ञा लेनी पड़ती है, अतः निर्यात में पूंजी का स्थानान्तरण समा जाता है।

(घ) और (ङ)। चूंकि पाकिस्तान के अधिकारी पाकिस्तान को प्रतिभूतियों और अंशों के बिक्रय-मूल्य का प्रत्यावर्त्तन नहीं कराना चाहते अतः प्रतिभूतियों और अंशों के पाकिस्तान में निर्यात किये जाने पर प्रतिबन्ध लगने के परिणामस्वरूप घाटे का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(च) और (छ)। हां, श्रीमान्। कई मामलों में अंशों और प्रतिभूतियों के निर्यात को स्वीकार किया गया है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सिलसिले में उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जिन के लिये सरकार ने स्थानान्तरण की बात स्वीकार की है ?

**श्री सी० डी० देशमुख**: उनकी संख्या पांच है। उन के नाम इस प्रकार हैं : मैं उन की राशियों का भी उल्लेख करूंगा :—

(१) डा० बी० आर० चटर्जी प्रिंसिपल, मेरठ कालिज—३०,३०० रुपये प्रत्यक्ष मूल्य (पाकिस्तानी मुद्रा में)।

(२) मेसर्ज़ यूनाइटेड ईस्टर्न एजेन्सीज़, लिमिटेड, बम्बई—१०० रुपये प्रति अंश के प्रत्यक्ष मूल्य हिसाब से २३,३८,५०० रुपये ;

(३) श्री गैंदामल सेठी—१,८०० रुपये।

(४) दि यूनाइटेड बैंक आव इण्डिया लिमिटेड—भारतीय मुद्रा में ३०,००,००० रुपये।

(५) गणेश फ्लौर मिल्ज़ लिमिटेड, दिल्ली—१५,००,००० रुपये।

इन में से संख्या ४ की मद एक विशेष बैंकिंग लेन-देन थी जिस पर रिजर्व बैंक आव इण्डिया तथा पाकिस्तान का स्टेट बैंक—दोनों सहमत हुये थे। यह अभिप्रेत था कि उक्त राशि पाकिस्तान स्थित यूनाइटेड बैंक आव इण्डिया के लिये संपत्ति के रूप में रखी जायेगी।

**श्री एल० एन० मिश्र** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रकार के स्थानान्तरण का मापदण्ड क्या है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मापदण्ड इस प्रकार है :—(१) कि अंशधारी ने वास्तव में आपत्ति का अनुभव किया हो; (२) कि अंशधारी को किसी सट्टे से हालती में वे प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं हुई हों; (३) भारतीय अंशों के बाजारी भावों के अनुसार भारतीय प्रतिभूतियों का मूल्य कम से कम १.४४ दर का हो, यानी भारतीय और पाकिस्तानी रुपये के विनिमय की सरकारी दर और निर्यात की गई पाकिस्तानी प्रतिभूतियों के पाकिस्तान में बाजारी मूल्य के बीच यह अनुपात हो; और (४) रिजर्व बैंक आव इण्डिया अथवा अधिकृत विक्रेताओं के अधीक्षण के अधीन लेन-देन की जाती रही हो।

**श्री एल० एन० मिश्र** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार को उस विनिमय से घाटा होगा यदि भारतीयों के स्वामित्व की पाकिस्तानी प्रतिभूतियों और अंशों को पाकिस्तानी लोगों के स्वामित्व की भारतीय प्रतिभूतियों और अंशों के साथ सरकारी विनिमय दरों के अनुसार बदलाया जाय ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : हमें विनिमय के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं। किन्तु इतना तो निश्चित है कि हमारी ओर से पूंजी का निर्यात होगा और उनकी ओर से इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं है कि पाकिस्तान हमारी प्रतिभूतियों को भारत में निर्यात करने देगा, और पूंजी लौटायेगा।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस बात में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है यदि दोनों ओर की कम्पनियों की ओर से पाकिस्तानी और भारतीय प्रतिभूतियों तथा अंशों का विनिमय हो ? इस प्रकार सरकार को कोई भी आर्थिक घाटा नहीं हो सकता।

**श्री सी० डी० देशमुख** : इसीलिये मैं ने बताया था कि विनिमय स्वीकार किया गया।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या आज तक कभी सरकार ने भारत में रहने वाले भारतीयों के स्वामित्व की पाकिस्तान की प्रतिभूतियों का मूल्य आंकने का प्रयत्न किया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : रिजर्व बैंक आव इण्डिया द्वारा तैयार किये गये संपत्ति एवं दायित्वों के आंकड़ों के विवरण में एक प्रकार का आंक रखा तो गया है। इस आंक के अनुसार पाकिस्तान की कम्पनियों में भारतीय राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के स्वामित्व के अंशों एवं स्रोतों के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट दी गई

थी कि ३० जून, १९४८ की उन की कुल राशि १९३ लाख रुपये तक पहुंच चुकी है।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या भारत में इन प्रतिभूतियों और अंशों के मूल्य पाकिस्तान में चालू दरों की अपेक्षा बहुत ही कम हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** मेरा तो यही विचार है।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या सरकार को विदित है कि इस प्रतिबन्ध के कारण इन प्रतिभूतियों अथवा अंशों का स्वामित्व करने वाले भारतीयों को इन्हें ५०% दर पर पाकिस्तानियों को बेचना पड़ा, और वे उन को पाकिस्तान में अनधिकृत रूप से ले जाकर वहां उनका पूरा मूल्य प्राप्त करते हैं, और यह भी कि भारत इस के परिणामस्वरूप कई लाख रुपयों का घाटा उठा रहा है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** उन्हें इन अंशों को बेचने की कोई भी आवश्यकता नहीं क्योंकि पाकिस्तान लाभांश अथवा ब्याज के दिये जाने की सुविधा दे रहा है।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या सरकार को यह विदित है और उस के ध्यान में यह तथ्य भी आ चुका है कि यहां के भारतीय उन अंशों अथवा प्रतिभूतियों को उन व्यक्तियों को बेचने के लिये विवश हो जाते हैं जो उन्हें अनधिकृत रूप से पाकिस्तान पहुंचा कर वहां उसका पूरा मूल्य प्राप्त करते हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** मुझे ऐसी किसी भी बात का ज्ञान नहीं जिस से लोग अंश बेचने पर विवश होते हों।

**सरदार हुक्म सिंह :** चूंकि प्रतिबन्ध है अतः कोई भी भारतीय इन्हें खरीदने को तैयार नहीं होगा, और यही कारण है कि वे उन्हें उन व्यक्तियों को बेचने पर विवश होते हैं जो उन्हें अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ले जाकर वहां से पूरा मूल्य प्राप्त कर लेते हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** श्रीमान्, यह सही बात है ; और हम भी इस बात को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ; इन अंशों को खरीदना चाहने वाले अंशों के दलालों ने इस प्रकार के कई प्रतिनिधान भेजे हैं और यही कारण है कि हम इन अंशों और प्रतिभूतियों का निर्यात होने की आज्ञा नहीं देते।

**सरदार हुक्म सिंह :** पाकिस्तान से कभी इस बात पर परामर्श किया गया है कि क्या वह विनिमय करने के लिये तैयार है, अथवा क्या रिजर्व बैंक ने इन विनिमयों को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** यह सब बातें भारत और पाकिस्तान के बीच की आर्थिक व्यवस्था के साधारण प्रश्न में समा जाती हैं। मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं कि क्या पाकिस्तान के साथ इस प्रश्न को पृथक एवं विशिष्ट रूप से सुलझाये जाने की कोई बात चल रही है।

**सरदार हुक्म सिंह :** चूंकि सरकार को इस बात के परिणामस्वरूप बहुत घाटा हो रहा है, तो क्या वह अब पाकिस्तान के साथ इस बात पर विचार करने को तैयार है अथवा यह कि वह रिजर्व बैंक को इस प्रश्न की छानबीन करने का परामर्श दे रही है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** जहां तक मुझे इस बात का ज्ञान है, हमें कोई भी घाटा नहीं हुआ है।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान व्यक्तियों को उनके अपने स्वामित्व की भारतीय प्रतिभूतियों को भारत में निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : पाकिस्तान सरकार द्वारा ?

**श्री एन० सी० चटर्जी** : हां, और आपकी सरकार द्वारा कोई भी कठिनाई पैदा नहीं की गई है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : उनके यहां आयात करने पर ? यह तो निश्चित है कि हमारे देश में पूंजी आ रही हो तो उसे रोकने से कोई हित नहीं होगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या पाकिस्तान उस पर प्रतिबन्ध लगा रहा है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : यदि पाकिस्तान इन प्रतिभूतियों को भारत को निर्यात करने की आज्ञा दे रहा है, तो हमें उन्हें रोकने में लाभ तो नहीं होगा ।

**सरदार हुकम सिंह** : क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के स्वामित्व की भारतीय प्रतिभूतियों की राशि का कोई अनुमान है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : वह हमारे पास नहीं है ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : २७ फरवरी १९५१ से भारत के भिन्न कोषों की पंजियों में लिखी गई कितनी पाकिस्तानी प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष मूल्य बदल गया है, तथा उनका भारत से पाकिस्तान में स्थानान्तरण कब हुआ है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री टी० एन० सिंह** : अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री जी द्वारा बताये गये विवरण में उल्लिखित दो निजी सार्थों की वे विशेष आपत्तियां एवं आपत्तिग्रस्त दशायें क्या थीं जिनके कारण सरकार को उन्हें प्रतिभूतियों के निर्यात की आज्ञा देनी पड़ी ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : एक तो यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, लिमिटेड से सम्बधित थी । पाकिस्तान में इस बैंक की शाखायें होने के कारण कुछ निधियां थीं, और चूंकि सभी पैसा देने से बैंक को भारी घाटा हो जाता, अतः पाकिस्तान के स्टेट बैंक की सहमति से, इस अभिप्राय के हित, पाकिस्तानी प्रतिभूतियों के निर्यात के लिये आज्ञा दी गई । मैसर्स यूनाइटेड ईस्टर्न एजेन्सीज़, लिमिटड, बम्बई का व्यौरा इस प्रकार है कि कराची इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के प्रबन्धक एजेण्टों के नाते यूनाइटेड ईस्टर्न एजेन्सीज़, लिमिटेड, बम्बई, जिनके अधिकार में उनके २६,२८५ अंश थे, उन्हें उनके विनिमय की आज्ञा दी गई । उक्त सार्थ ने इन अंशों को अधिक निकाली और ऋणों के लिये रखा था, और चूंकि उत्तमर्ण (पैसा जमा करने वाले) धन की अति सीघ्र भुगतान पर ज़ोर दे रहे थे, और चूंकि ये उत्तमर्ण इन अंको को भारत में नहीं बेच सकते थे, अतः वे इस बात की आज्ञा चाहते थे कि उन्हें उन भारतीय अंशो और प्रतिभूतियों के बदले में जो पाकिस्तान के अधिकारियों के स्वामित्व में थीं, ये अंशो विनिमय करने की सुविधा प्राप्त हो । रिज़र्व बैंक नें हमें यह परामर्श दिया कि हम पहले इस बात की तसल्ली करें कि विनिमय की शर्तो संतोषजनक हैं और बाद में विनिमय आज्ञा दें--यानी इस प्रकार का विनिमय की रुपये के सरकारी मूल्य के अनुसार हो, और विनिमय में खरीदे गये अंशों और प्रतिभूतियों पर रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त की जाये ।

**श्री टी० एन० सिंह** : दिल्ली की गणेश फ्लोर मिल्ज़ के सम्बन्ध में आप का क्या विचार ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : इसके सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार है कि इन्होंने पाकिस्तान में इनके पहले के दो कारखानों की संपत्ति में से लायलपुर इण्डस्ट्रीज़, लायलपुर के नाम से एक नई कम्पनी चलाने की आज्ञा माँगी थी । चुनांचि इन्हें पाकिस्तानियों को अंश बेचने और बाद में निर्यात करने की स्वीकृति दी गई है—मैं समझता हूं कि अभी यह मामला पूरा नहीं हुआ है—क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हाथबटाई के बिना कारखाने चलाने में भारतीयों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या यह तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान ने विदेश विनिमय विनियम अधिनियम की धारा १३(२) के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध उठा रखा है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं । मैं पूछताछ करके बता दूंगा ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या जनता द्वारा घोषित सभी पाकिस्तानी अंश और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिये विनिमय नियंत्रण अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत कोई प्रयत्न किया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : नहीं, श्रीमान् ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : इस प्रकार का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं पत्रों की जांच कर के ही बता सकूंगा कि क्या इस मामले पर विचार भी हुआ था ।

**श्री जोशिम अल्वा** : माननीय मंत्री द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से स्थानान्तरण के मामले में, जब इन अंशधारियों ने अपने दावों का पंजीयन कराया, तो क्या वह विभाजन के बिल्कुल बाद ही हुआ था अथवा अभी कुछ समय पहले ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या सरकार को विदित है कि प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निर्यात की मनाही के कारण भारत की जनता को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ रही है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी प्रकार हानि होगी, क्योंकि अभी ये न तो भुगतान के योग्य हैं और न अवधि में परिपक्व हो गई हैं, और उन्हें लाभांश अथवा ब्याज भी मिल रहा है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि वे भारत में प्रतिभूतियां बेचते हैं तो उन्हें आधा मूल्य मिलता है, जबकि उन्हें पाकिस्तान में दो गुणा मूल्य मिल जाता है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : उन्हें बेचना ही नहीं चाहिये ।

**निर्माताओं द्वारा कच्ची रबड़ की खरीद**

**श्री ए० एम० टामस** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डनलप रबड़ क्रय विभाग ने १० दिसम्बर, १९५२ से, कोट्टयम् में, जो भारत में कच्ची रबड़ का सब से बड़ा उत्पादन केन्द्र है, कच्ची रबड़ की खरीद सहसा बन्द कर दी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इस के परिणामस्वरूप २४ घंटों

में प्रति १०० पौण्डों के विक्रय-मूल्य में १५ रुपये की घटोत्तरी हुई है ;

(ग) क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि किस तरह निर्माताओं ने सरकार द्वारा अभी हाल में कच्ची रबड़ का मूल्य बढ़ाने की चाल को पराजित किया है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि रबड़ मंडी में इस तरह के उतार-चढ़ाव से त्रावनकोर-कोचीन राज्य के वित्तीय संतुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) इस तरह की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : इस मामले में मैं ने उस दिन विचार प्रगट किये थे जब स्थगन-प्रस्ताव का एक प्रश्न उठाया गया था, और उस समय मैंने प्रश्न के (क) तथा (घ) भागों का उत्तर दिया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष के इस भाग में दक्षिण भारत में रबड़ के स्कंधों के राशिकरण की समस्या बहुत समय से इसी प्रकार चलती रही है, क्योंकि माननीय सदस्य यह जानते भी हैं, सितम्बर और दिसम्बर महीनों में प्रायः उत्पादन बहुत अधिक होता है जब कि उस की निकासी, न्यूनाधिक रूप में, साधारण स्तर पर रहती है। डनलप रबड़ कम्पनी और फ़ायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी ही दो ऐसे प्रमुख कारखाने हैं जो देश में उत्पादित की जाने वाली रबड़ का अधिक भाग खपा लेते हैं। नवम्बर १९५२ के अन्त में इन के पास जितने भी स्कन्ध थे, वे कुल १,७०२ टन थे। अन्य निर्माताओं ने नवम्बर १९५२ में १,२१४ टन रबड़ प्राप्त की थी। विगत वर्ष के नवम्बर-दिसम्बर महीनों में १,३३५ टन और १,७४४ टन रबड़ के स्कन्ध थे। ये आंकड़े इन दो टायर कम्पनियों और अन्य रबड़ निर्माताओं के हैं।

सरकार को इस बात का पता है कि डनलप कम्पनियों ने नवम्बर में लगभग ७३० टन और दिसम्बर, १९५२ में ५९० टन रबड़ खरीदी है, और दिसम्बर की खरीद में से इसी सप्ताह में ७० टन खरीदे गये। १९५२ में उन्होंने ७,३११ टन स्वदेशी रबड़ खरीदी है और केवल १,३६३ टन रबड़ का आयात किया है जब कि १९५१ में उन्होंने ६,१९१ टन रबड़ खरीदी थी और ४,१०३ टन रबड़ का आयात किया था। आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त पर उनके पास १,५१२ टन रबड़ का स्कन्ध होगा जब कि विगत वर्ष उनके पास ७३४ टन रबड़ थी। सरकार को यह परामर्श दिया गया था कि उत्पादक तब तक रबड़ नहीं बेचेंगे जब तक सरकार दामों की बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं करेगी और उस का परिणाम यह हुआ कि डनलप कम्पनियों को कुछ मात्रा में रबड़ की आयात की व्यवस्था करनी पड़ी। यों तो उन्होंने २५ अक्तूबर, १९५२ के बाद से आयात की कोई भी सूची नहीं बनाई है, और ऐसा लग रहा है कि यह कम्पनी अपनी अनुज्ञप्ति के अनुसार रबड़ की शेष राशि का आयात नहीं करना चाहती है। नवीनतम सूचना इस प्रकार है कि टायर कम्पनियों ने बहुत अधिक स्कन्ध होने के बावजूद भी इस महीने रबड़ की खरीद जारी रखी है। यों तो, डनलप कम्पनियां दिसम्बर में स्कन्ध परीक्षा एवं राशि-गणना के कारण काम बन्द कर रही हैं। साधारणतया, वे छः सप्ताहों के स्कन्ध रक्षित किया करते हैं जबकि उन के पास

इस समय दस सप्ताहों तक के स्कन्ध मौजूद हैं।

जहां तक फ़ायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी का प्रश्न है, हमें उनके सम्बन्ध में जो नवीनतम आंकड़े प्राप्त हुये हैं, उन के अनुसार नव बर और दिसम्बर के कुल आवंटित ९५० टनों में से उन्होंने ८८४ टन रबड़ खरीदी है और वे इस मास के अन्त से पहले ही शेष ६६ टन खरीदने की आशा करते हैं।

यह समझा जाता है कि रबड़ मंडी में सदा ही २,००० से ४,००० टन तक के चलस्कन्ध रहते हैं। यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के प्रारम्भिक मासों में खरीद की स्थिति सुधर जायेगी।

मंडी से यह रिपोर्ट मिली है कि कोट्टयम् में इस सप्ताह प्रथम श्रेणी की रबड़ का दाम प्रति १०० पौंड के न्यूनतम नियंत्रित दाम यानी १३८ रुपये से ४ रुपये कम था। अन्य सूत्रों से इस बात का भी पता चलता है कि कई मौकों पर उत्पादकों न नियंत्रित दाम में ७ से ९ रुपये तक की कमी करके रबड़ बेची थी मुझे जो निजी (व्यक्तिगत) सूचना मिली है, उस से यह पता चलता है कि कई लोगों को प्रति १०० पौंड के १३५-१३६ रुपये मिलते हैं जब कि कई अन्य मन्दभाग्यों को १३१ रुपये ही मिला करते हैं। इसी बीच इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि रबड़ के लाने ले जाने पर से नियंत्रण उठाया गया है, और अब कोई भी अनुज्ञप्तिधारी पूरी स्वतंत्रता से खुले बाज़ार से कोई भी मात्रा खरीद सकता है।

विश्व की मंडी में मूल्यों की वर्तमान प्रवृत्ति से स्कण्ध उठाये जाने की चाल को और भी प्रोत्साहन मिलना चहिये। १० दिसम्बर १९५२ को सिंगापुर में प्रति १०० पौंड का मूल्य १५३ रुपये ९ आने था, चुनांचि यह भारतीय मूल्य से १५ रुपये अधिक है।

श्रीमान्, मुझे इस बात का ज्ञान है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार इस मामले में बहुत ही रुचि लेती है, किन्तु मैं यह नहीं समझता हूं कि इस समय कोट्टयम् में वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सरकार किसी भी रूप में चिन्तित है।

**श्री ए० एम० टामस** : माननीय मंत्री ने बतलाया कि वर्तमान सप्ताह में रबड़ की कुछ मात्रा खरीदी गई। तो कब से यह खरीद होने लगी है और क्या सरकार ने इस में कोई पूछताछ की थी, तथा क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह प्रश्न उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिये था जिसे सभी तथ्यों का ज्ञान होता। मेरा ज्ञान मुझे प्राप्त हुए एक ऐसे तार पर आधारित है जिस में यह बतलाया गया है कि इस सप्ताह ७० टन खरीदे गये थे। मैं और कुछ भी नहीं कह सकता।

**श्री ए० एम० टामस** : क्या सरकार यह बतला सकती है कि किस दिनांक को खरीद आरम्भ हुई थी ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान् मेरा सविनय निवेदन यह है कि मेरा ज्ञान अंशतः अपूर्ण है और इसी सूचना तक सीमित है कि इस सप्ताह ७० टन रबड़ खरीदी गई है, जैसा कि मुझे रबड़ उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया है।

**श्री ए० एम० टामस** : क्या यह तथ्य है अथवा नहीं कि कोट्टयम् स्थिति

डनलप क्रय विभाग ने १० दिसम्बर से रबड़ खरीदना बन्द कर दिया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान् मैं ने जो कुछ भी सुना है, उस के आधार पर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। सत्य यह है कि मेरे मान्य मित्र मुझ से 'हां' कहलवाना चाहते हैं और उसके बाद यह पूछना चाहते हैं कि "आप किस तरह कहते हैं कि बाद में ७० टन खरीदा गया ?" सत्य तो यह है कि उन के द्वारा और मेरे द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को एक दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता।

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि में.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। क्या और अधिक प्रश्न पूछा उचित है ? माननीय मंत्री ने सभी उपलब्ध सूचना दी है, और यदि उन्हें कुछ और सूचना मिल भी जाएगी तो उन्हें उन बातों का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं। इस प्रकार यह व्यर्थ होगा कि.....

**श्री ए० एम० टामस** : श्रीमान्, बढ़ते हुये स्कन्ध को दृष्टि में रखते हुये मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार अस्थायी रूप से रबड़ की कुछ मात्रा का निर्यात कराना चाहती हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेरी सम्मति में यह सारी अशान्ति इसीलिये शुरू की गई है क्योंकि कई प्रच्छन्न हित वाले दल इस विचार से निर्यात करना चाहते हैं ताकि उहें मूल्य में लगभग १५-२० रुपये का लाभ हो। जैसा मैं इसे समझता हूं, इस अशान्ति का यही आधार दिखाई देता है, और निश्चय ही सरकार का हित इस बात में नहीं है कि वह ऐसे मौके पर रबड़ के निर्यात की आज्ञा दे जब स्वयं देश में इसकी आत्मनिर्भरता नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये रबड़ की कुछ मात्रा का आयात करना पड़ता है।

**श्री पी० टी० चाको** : जब १९५० में एक विषम स्थिति उत्पन्न हुई और डनलप तथा अन्य कम्पनियों ने सरकार के पास इस बात की शिकायत की कि उत्पादक उन्हें रबड़ नहीं बेच रहे हैं, तो सरकार ने उनके रबड़ स्कन्धों को बन्द करने का एक आदेश निकाल कर पदाधिकारियों से रबड़ खरीदने को कहा, और साथ में यह भी बताया कि यह रबड़ खरीद कर उसे डनलप कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों के हवाले करें। श्रीमान्, तो इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि छोटे-छोटे उत्पादकों पर इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार स्थानीय अधिकारियों को यह अनुदेश देगी कि वे कम से कम छोटे उत्पादकों से रबड़ खरीदेंगे और उन्हें उस अभिप्राय के लिये कुछ धन भी देंगे ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान् इस प्रश्न का प्रथम भाग तो गये बीते दिनों की बात है जिसके सम्बन्ध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा भाग इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि कोई भी बात नहीं की जा रही है—और इसके सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं।

**श्री जोशिम अल्वा** : क्या यह सत्य है कि रबड़ उत्पादन नियंत्रक के विरुद्ध शिकायतें पहुंची हैं ? श्रीमान् क्या मैं सम्बद्ध पदाधिकारी का नाम जान सकता हूं और यह भी जान सकता हूं कि क्या डनलप के साथ उसका कोई सम्बन्ध है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि इस

प्रकार के दाम रखे गये हैं जिन से कि इन बड़ी विदेशी कम्पनियों को ही लाभ पहुंचता है और यहां के उत्पादकों को कोई भी लाभ नहीं होता ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** माननीय सदस्य ने एक असिद्ध आरोप लगाया है, अतः मैं उनका विरोध करता हूं, कदाचित माननीय सदस्य को स्थिति के तथ्यों का ज्ञान नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से प्राप्त हुई है ।

**श्री जोशिम अल्वा :** संसद में यह बात उठाई गई थी ।

**श्री पी० टी० चाको :** श्रीमान, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या डनलप कम्पनी ने अपनी ओर से इस बात का जोर लगाया था कि रबड़ का नियंत्रित मूल्य नहीं बढ़ जाय और क्या सरकार ने कम्पनी के अनुरोध के बावजूद भी रबड़ का मूल्य बढ़ा दिया ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** नहीं, श्रीमान् । तटकर आयोग द्वारा की गई सिपारिश के अनुसार सरकार को बताया गया था कि वह दाम बढ़ा ले । सरकार को इस तथ्य का कोई भी ज्ञान नहीं है कि वह किसी हित के कारण दाम नहीं बढ़ा सकी ।

**श्री मात्तन :** क्या रबड़ बोर्ड ने नवम्बर की बैठक में सरकार से इस बात की सिपारिश की है कि बाज़ार की तंगी हटाने के लिये रबड़ की थोड़ी सी मात्रा का निर्यात किया जाना चाहिये ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य की रबड़ बोर्ड की राजनीति का पूरा पूरा ज्ञान है ।

**श्री दामोदर मेनन :** माननीय मंत्री ने बतलाया कि जब सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति का निश्चय न होने के कारण उत्पादक रबड़ नहीं बेचते थे, तो उस समय डनलप तथा अन्य कम्पनियों द्वारा रबड़ का थोड़ा सा आयात हुआ था । तो श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितना आयात हुआ था ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान, मैं तो इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि इस वर्ष डनलप कम्पनियों ने १,३६३ टन रबड़ का आयात किया है ।

**श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या रबड़ पर अग्रेतर प्रतिबन्ध रखे जाने का कोई विचार है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, चूंकि मेरे माननीय मित्र इस बात को नहीं समझाते, अतः यह प्रश्न पैदा होता है— यानी यदि हम आयात के लिये कोई अनुज्ञप्ति जारी करें और उसकी कोई कार्यविधि हो, तो सरकार बिना किसी विशेष विधान के उस को रद्द नहीं कर सकती । सरकार ने इस मामले में आयात करने वालों को आयात न करने का आदेश दिया है, और जैसा कि मैं बतला भी चुका हूं डनलप रबड़ कम्पनी के लिये उन्होंने और किसी मात्रा के आयात पर सहमति प्रगट नहीं की है, और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि उन्होंने २६ अक्तूबर, १९५२ के बाद कोई भी वस्तुसूची प्रस्तुत नहीं की है ।

**श्री जी० पी० सिन्हा** उठे—

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं ने श्री पुन्नूस का नाम लिया है ।

**श्री पुन्नूस :** माननीय मंत्री ने बतलाया कि क श्रेणी की रबड़ में ४ रुपये प्रति १०० पौंड की कटौती हुई है । क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि केवल बड़े

बड़े उत्पादक क श्रेणी की रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं, और ख तथा ग श्रेणियों के छोटे छोटे उत्पादक ही सब से बड़ी राशियों का उत्पादन करते हैं ? क्या सरकार को इस तथ्य का भी ज्ञान है कि इस प्रकार से अस्थायी अवधि के लिये बाज़ार के बन्द होने के कारण इन छोटी श्रेणी के उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस के परिणाम-स्वरूप दाम कम हो जाते हैं और व्योपारियों को उन से वे स्कन्ध खरीदने में आसानी हो जाती है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, इस प्रश्न में इतनी उलझनें हैं कि मैं कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। क श्रेणी का तो प्रति १०० पौण्ड के लिये १३८ रुपये है—और इस क श्रेणी में उच्च प्रकार के सूखे रबड़ का तत्व है—अतः स्वभावतः ख तथा ग निम्न श्रेणियों का मूल्य कम होगा और यदि लोगों को ख तथा ग श्रेणियों के लिये कम मूल्य मिलें तो इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि घटिया प्रकार की रबड़ के उत्पादन से उन्हें कम आय प्राप्त होगी। मैं इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकता।

**श्री जोशिम अल्वा** : मैं ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि रबड़ उत्पादन आयुक्त कौन है, और क्या डनलप कम्पनी के साथ उसका कोई सम्बन्ध रहा है, अथवा क्या सरकार अपने किसी पदाधिकारी को रबड़ उत्पादन आयुक्त नियुक्त करना चाहती है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान् मैं पुनः पूरे अनुरोध से इस बात की घोषणा करूंगा कि रबड़ उत्पादन आयुक्त का इस देश की किसी रबड़ टायर कम्पनी से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। और मेरे मान्य मित्र बिना किसी ज्ञान से आरोप लगा रहे हैं। श्रीमान्, क्या उस पदाधिकारी को, जिस पर आरोप लगाये जा रहे हैं और जो यहां उपस्थित नहीं है, इस आरोप से नहीं बचाया जाना चाहिये ?

**अनेक माननीय सदस्य** उठे —

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मुख्य प्रश्न को टालने से कोई भी लाभ नहीं है। माननीय मंत्री के बार बार कहे गये उत्तरों के बावजूद, उन पदाधिकारियों पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें जो उत्तरदायी पदों पर हों। माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री का आश्वासन स्वीकार करना चाहिये और जब तक उन के पास निश्चित आरोप न हों, जो उन्हें माननीय मंत्री के ध्यान में लाने चाहियें, और जिन के उल्लेख हुये बिना उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी, उन्हें तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिये। साधारण कार्यविधि इस प्रकार है कि किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी उत्तरदायी पदाधिकारी पर बिना समझे बूझे कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिये।

मैंने एक ही मामले से सम्बद्ध पर्याप्त प्रश्नों को पूछने का अवसर दिया है। अब मैं अगले प्रश्न पर विचार करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न १११।

**वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : श्रीमान्, और तीन प्रश्न हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इसी प्रश्न के साथ ११८ और १२२ प्रश्न भी उठाये जायें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां

## राष्ट्रसंघ के प्रधान मन्त्रियों का आर्थिक सम्मेलन

**डा० लंका सुन्दरम्** : वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में लन्दन में आयोजित राष्ट्र-संघ के प्रधान मंत्रियों के

आर्थिक सम्मेलन में जिस में वे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कई बचनबद्धतायें मानी जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां तो वे बचनबद्धतायें क्या हैं ?

**राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन**

**श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) माननीय **वित्त** मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल में समाप्त किये गये राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ने कोई नीति बना रखी है, कोई सिपारिश की है अथवा कोई शर्तें लगा रखी हैं ?

(ख) यदि हां तो वे क्या हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार ने उन्हें कोई बचन दिया है ?

(घ) क्या सरकार उन बचनबद्धताओं को सदन के समक्ष रखना चाहती है और उन के स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने से पहले सदन में उन पर चर्चा करना चाहती है ?

(ङ) क्या मूल्यों के दृढ़ीकरण तथा लेन-देन के सम्बन्ध में वस्तुओं के प्रश्न पर विचार किया गया ?

(च) यदि हां तो वे वस्तुयें क्या थीं ?

(छ) क्या हम ने इस में इस प्रकार का कोई भी वचन दिया है कि हमें बैंक आफ इंगलैंड द्वारा वित्त अथवा विकास पूंजी के लिये स्टर्लिंग-विहीन क्षेत्र के देशों के पास जाना पड़ेगा ?

**राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन**

**श्री नम्बियार** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में हुये राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन में किये गये निश्चयों का एक विवरण सदन पटल पर रखने का विचार किया जा रहा है ?

(ख) पंच वर्षीय योजना को सहायता देने के लिये राष्ट्रसंघ के देशों ने किस २ प्रकार की ठोस सहायता देने की प्रतिज्ञा की है ?

(ग) सहायता देने वाले उन देशों का ऋण किस प्रकार चुकाया जायेगा ?

(घ) क्या ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अध्यक्षा मानने के सम्बन्ध में उक्त सम्मेलन में भारत की स्वीकृति के विषय में कोई निश्चय किया गया ?

(ङ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: श्रीमान्, मेरी प्रति में (घ) और (ङ) भाग नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही, इन में कोई भी वित्तीय बातें संलग्न नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

**राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन**

**डा० जे० एन० पारिख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में आयोजित राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन का, जिस में वे भी उपस्थित थे, क्या लाभ रहा;

(ख) जिन मदों पर चर्चा हुई उनके मुख्य विषय क्या थे, तथा क्या २ निश्चय किये गये ; और

(ग) भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और मुख्यतया निम्न बातों पर :

(१) विश्व के बाज़ार में पौण्ड की स्थिति क्या होगी ;

(२) हमारे आयात-निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(३) हमारे पौण्ड-पावना की क्या स्थिति रहेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : श्रीमान्, आप की आज्ञा से मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ देना चाहता हूं।

२. ११ दिसम्बर, १९५२ को लन्दन में जारी की गई एक प्रेस-विज्ञप्ति में उन सभी निष्कर्षों को बतलाया गया है जो राष्ट्रसंघीय आर्थिक सम्मेलन के विचार-विमर्श के बाद मिले, और उस विज्ञप्ति की प्रतियां १७ दिसम्बर, १९५२ को सदन पटल पर रखी गईं।

३. वहां कोई भी वचन नहीं दिये गये, किन्तु जिन मुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया उनकी संख्या तीन थी, और वे इस प्रकार थे :—

(१) पौण्ड वाले क्षेत्र में सम्मिलित देशों को उन ही घरेलू आर्थिक नीतियों का अनुसरण करना चाहिये, जो मुद्रास्फीति को रोकने के लिये बनाई गई हैं ;

(२) अपनी उत्पादक शक्ति तथा प्रति-द्वन्द्विता-बल बढ़ाने के उद्देश्य से पौण्ड क्षेत्र को देशों को दृढ़ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिये ; और

(३) पौंड क्षेत्र के देशों को अन्य व्यापारी देशों का सहयोग ढूंढ लेना चाहिये ताकि ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें पौंड को परिवर्तनीय बनाने के लिये गतिशील पग उठाये जा सकें तथा व्यापार एवं भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सके।

४. इन बातों से सहमत होने से भारत सरकार किन्हीं नई नीतियों को नहीं अपनाती हैं। हमारी घरेलू आर्थिक नीतियां तो इस तरह की बनाई जा चुकी हैं कि मुद्रास्फीति-विषयक दबाव पर नियंत्रण रहे, तथा पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने से हमें उत्पादक शक्ति तथा प्रति-द्वन्द्विता-बल के बढ़ाने में सहायता मिले।

५. श्रीमान्, यह उन चार प्रश्नों के एक बहुत बड़े भाग के उत्तर में है, और इनके अतिरिक्त, तीन निम्नलिखित बातें भी हैं :

(१) भारत के पौंड-पावना तथा आयात निर्यात व्यापार पर इसका प्रभाव ;

(२) वस्तुओं के मूल्यों का स्थायित्वीकरण; तथा

(३) पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रसंघीय देशों द्वरा ठोस सहायता के उपाय।

६. भाग (१) के सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चूंकि पौंड की स्थिति अधिक दृढ़ होती जा रही है और बहुपक्षीय आधार पर व्यापार की संभावना है, अतः हमारा विदेशी व्यापार स्वतः विकसित होना चाहिये और हमारे पौंड पावने का निहित मूल्य बढ़ जाना चाहिये।

जहां तक भाग (२) का प्रश्न है, सम्मेलन में वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा नहीं हुई। यों तो, सम्मेलन का सर्वसम्मत दृष्टिकोण यह था कि सभी बड़ी बड़ी प्राथमिक वस्तुओं की मांग तथा उनके मूल्यों को एक आर्थिक स्तर पर स्थायी बनाने के प्रयत्न किये जाने चाहियें। इस अभिप्राय के लिये जो संक्षिप्त पद्धति अपनायी जानी चाहिये, वह प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में बड़े २ उत्पादन एवं उपभोग करने वाले देशों के बीच समझौते के द्वारा ही बतलाई जा सकती है।

जहां तक भाग (३) का प्रश्न है, उक्त सम्मेलन में हमारी पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रसंघ के देशों से सहायता पाने के ठोस साधनों पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इधर पिछले दिनों में हमें कैनाडा, आस्ट्रेलिया, और न्यूजीलेंड से सहायता मिल

चुकी है। उनका आभार चुकाने का वचन दिये बिना ही हमें उनसे सहायता प्राप्त हुई थी। उक्त विज्ञप्ति के परिच्छेद १२ और १३ में बतलाया जा चुका है कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने सम्मेलन में इस बात की घोषणा की थी कि वह राष्ट्र संघ में ठोस विकास की परियोजनाओं के लिये वित्त प्रदान करने की कई सुविधायें देगी। हम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई परियोजनाओं के लिये इन सुविधाओं से लाभ उठाना चाहते हैं। ये सुविधायें मुख्यतया इस रूप में होंगी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक अथवा लन्दन के पूंजी बाजार से ऋण मिलेगा, और इन दोनों स्थितियों में हमें उनका आभार चुकाने के लिये व्यापारिक स्तर पर उनके ऋण तथा उस पर का ब्याज चुकाना होगा।

**श्री नम्बियार** : श्रीमान्, क्या उक्त सम्मेलन में साम्राजीय अधिमान पर चर्चा हुई थी ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : हां, श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने विज्ञप्ति पढ़ी है।

**श्री नम्बियार** : श्रीमान, क्या ग्रेट ब्रिटेन की ओर से इस प्रकार की कोई प्रस्थापना थी कि साम्राजीय अधिमान को विस्तार दिया जाय ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरी धारणा है कि उक्त विज्ञप्ति में इन मामलों की ओर निर्देश किया जा चुका है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : विज्ञप्ति में बतलाई गई बातों पर यहां पूछताछ नहीं होनी चाहिये।

**श्री नम्बियार** : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत का क्या रवैया रहा ? प्रश्न यही है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : श्रीमान्, मैं यह बतला दूं कि हम इस विषय में 'गैट (जी० ए० टी० टी०)' के किसी भी उपबन्ध की छूट देने का विरोध कर रहे थे। हम ने केवल उन छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध पर विचार करना स्वीकार किया था जो इन उपबन्धों के अन्तर्निहित भावों से संगत थे।

**श्री नम्बियार** : पौण्ड की परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में भारत का क्या रवैया रहा ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : हम पौण्ड की परिवर्तनीयता की किसी भी भावी बात का स्वागत करते हैं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की इस प्रस्थापना का समर्थन किया कि राष्ट्रसंघ को देशों की गैट में आये हुये **"कोई नया अधिमान नहीं"** खण्ड से छुटकारा पाना चाहिये, जैसा कि ११ दिसम्बर को लन्दन से जारी की गई रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट मिली है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं अभी बतला चुका हूं कि हम किसी भी प्रकार से छूट दिलाने के पक्ष में नहीं थे।

**डा० लंका सुन्दरम्** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री यह बतला सकते हैं कि लन्दन सम्मेलन की विज्ञप्ति के अनुसार भारत को लन्दन से कितने पौण्ड मिलेंगे ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : श्रीमान्, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल असंभव है। यह लेनदेन तो अभी अभी शुरू हुई है और हमें अधिक्य को संस्थापित करना है।

**श्री बी० दास** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने वहां सम्मेलन में इस देश की सर्वसम्मति का आभास दिया था कि हम साम्राजीय अधिमाम के विरुद्ध हैं, अतः साम्राजीय अधिमान की पुरानी शर्तें समाप्त होनी चाहियें ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : हमारे रवैये से अवश्य इस बात का आभास मिला होगा ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : माननीय मंत्री अभी बतला चुके हैं कि 'कई एक सुविधायें' हैं । श्रीमान्, वे क्या सुविधायें हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने वह विज्ञप्ति पढ़ी है ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि वहां प्रधान मंत्रियों का ही सम्मेलन हो रहा था, वित्त मंत्री हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में गुरखा सैनिकों की भर्त्ती के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को सुविधायें देने के लिये कोई निश्चय किये गये या चर्चा हुई---और वह भी इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देते हुये कि भारत स्थित ग्रेट ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने अभी कुछ दिन हुये यह कहा था कि गरखा सेनाओं के लिये संक्रमण सुविधायें . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो प्रधान मंत्रियों का आर्थिक सम्मेलन था ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : ये मामले इस सम्मेलन के क्षत्र से बिल्कुल बाहर थे, और इसीलिये किसी भी ऐसे सम्मेलन में जहां म उपस्थित था, इन पर चर्चा नहीं हुई ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या इस प्रेस रिपोर्ट की दृष्टि में कि श्री चर्चिल ने एक सम्मेलन में जहां इस सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि-सदस्य मौजूद थे, पूर्व और पश्चिम के बीच के तथाकथित शीत युद्ध पर चर्चा की थी, वित्त मंत्री जी इस बात पर प्रकाशित करेंगे कि . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन सभी प्रश्नों का सम्बन्ध आर्थिक सम्मेलन से है । यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जो किसी अन्य सम्मेलन से, जिसे श्री चर्चिल ने तदर्थ संयोजित किया था, सम्बन्ध रखता ह तो वह अनियमित है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया कि रूई उत्पादनों के सम्बन्ध भें आर्थिक स्तर बनाये रखने के विषय में कोई बहस हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चाय के प्रश्न पर कुछ बहस हुई, क्योंकि इस तरह बतलाया गया कि बड़े २ उत्पादन तथा उपभोग करने वाले देशों के बीच एक प्रकार का समझौता दिखाई देता है । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि ग्रेट ब्रिटेन तथा भारत से बीच के सम्बन्धों में चाय उद्योग भी शामिल है, क्या इस विशेष वस्तु पर किसी प्रकार की चर्चा हुई थी ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं बतला चुका हूं कि अलग अलग वस्तुओं पर चर्चा नहीं हुई थी । वहां यह साधारण सिद्धान्त स्वीकृत हुआ कि मांगों और मूल्यों के स्थायित्व से भुगतान रोकड़ का स्थायित्व होगा, और उसी अभिप्राय से सभी इस बात से सहमत हुये हैं कि बड़ी २ प्राथमिक वस्तुओं पर के समझौतों सी संभावनाओं की खोज करनी चाहिये । प्रत्येक वस्तु पर तभी अलग अलग चर्चा की जायेगी जब इस प्रकार की बहसों को प्रारम्भ किया जायेगा ।

**श्री नम्बियार** : भाग (घ) और (ङ) मेरे प्रश्न में थे और प्रति में भी दिखाये गये थे, किन्तु चूकि माननीय मंत्री को इस की कोई पूर्वसूचना नहीं मिली, अतः मैं पुनः उन्हें पढ़ लूंगा ताकि वे उनका उत्तर दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस की मनाही की है। मैं यह भी बतला चुका हूं कि वहां आर्थिक सम्मेलन हुआ है। अतः माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग नहीं उठते।

**श्री नम्बियार** : किन्तु प्रधान मंत्री के बदले वित्त मंत्री जी वहां गये थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, इस चर्चा की कोई सीमा होनी चाहिये। बार बार बतलाया जा चुका है कि वहां आर्थिक सम्मेलन हुआ था।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : काश्मीर के सम्बन्ध में हमारे पास कई अल्प सूचना प्रश्न हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : २–३० पर उन्हें उठाया जायेगा।

---

**कांच के उद्योग के लिये सोडियम बायकारबोनेट (क्षारातु द्वयंगारीय) से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, दिनांक २६-११-५२ के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य—**

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय श्री मेघनाथ साहा ने १५ दिसम्बर, १९५२ को अपने एक भाषण में २६ नवम्बर को तारांकित प्रश्न ७०९ के विषय में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करते हुये कहा था :—

"उस दिन मैं ने सोडा ऐश (क्षारातु भस्म) के मूल्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया। मुझे बताया गया कि इंगलैंड में सोडा ऐश का मूल्य २५२ रुपये प्रति टन था, अतः इस देश में ३६० रुपये प्रति टन का मूल्य बहुत अधिक नहीं है। मुझे इस उत्तर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। मैंने "केमिकल एण्ड इंजीनियरिंग न्यूज़" देखा और मुझे इस बात का पता चला कि इंगलैंड में सोडा ऐश का मूल्य १३ पौण्ड ४ शिलिंग है, जो भारतीय मुद्रा में १६० रुपये के क़रीब होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री क्यों हमें हर समय ग़लत सूचना दिया करते हैं।"

श्रीमान् मैं ने इंगलैंड में चालू मूल्यों की जांच की, यद्यपि मुझे इस बात को भी मानना चाहिये कि सरकार से इस बात की मांग करना बहुत ही अनुचित है कि वह ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्य देशों की चालू दरों को बता दे जिन के साथ साधारणतया सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। श्रीमान् "दी इंडस्ट्रियल कैमिस्ट" नाम की एक और पत्रिका के अगस्त अंक में यह बताया गया है कि सोडा ऐश की बराबर मांग हो रही थी, और वहां इसका मूल्य ९ पौण्ड १७ शिलिंग और ११ पौण्ड १७ शिलिंग के बीच है, यद्यपि इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही गई है कि यह भारी सोडा ऐश या हल्के सोडा ऐश का मूल्य है।

किन्तु, श्रीमान्, मैं यह भी बताये दूं कि "बुराई में से भलाई निकल आती है"। हो सकता है कि मैं ने कोई गलती की हो, और अब मुझे उस से सीख मिली है। श्रीमान्, यह बात तो स्पष्ट है कि ब्रिटिश सार्थों द्वारा उद्धृत भारत को निर्यात किये जाने वाले रसायनों के भारतीय तट पर पहुंचा कर दिये जाने वाले मूल्य उन मूल्यों से नहीं मिलते हैं जो लन्दन की पत्रिकाओं में

बताये जाते हैं। मैं ने इस प्रश्न की जांच कराई थी और मुझे बताया गया कि मेरे मंत्रालय वाले उसी सूचना पर विश्वास एवं निर्भर करते हैं जो उन्हें तटकर विभाग से प्राप्त होती है, और वह भी उन बीजकों से एकत्र की जाती है जो पोतागत वस्तु-बीजकों से संलग्न रहती है। बहुत संभव है कि उन्होंने एक छोटी सी ग़लती की। उन्होंने मूल्य, बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्यों को ही लन्दन में चालू मूल्य बताया है। एक बीजक तो एक ऐसे पोत-भार से सम्बद्ध थी जिसे मार्च १९५२ में उतारा गया और जिसका दिनांक कदाचित् जनवरी दिया गया है; चुनांचि यह एक सुप्रसिद्ध सार्थ के आयातों से सम्बद्ध है, और इस से यह पता चलता है कि मूल्य-बीमा तथा भाड़ा सहित दाम २२ शिलिंग प्रति हन्ड्रडवेट है, यानी २२ पौण्ड प्रति टन का मूल्य है। यह २५२ रुपये से कुछ अधिक है, किन्तु यदि हम भाड़े के हिसाब से इस को देख लें—जो सरसरी तौर पर लगभग ८१ शिलिंग प्रति टन होता है, तो जहां तक लन्दन के जहाजी भाड़ा सहित मूल्यों का प्रश्न है, यह उन से भी कुछ कम होगा, एक और सार्थ जिस से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने सूचना प्राप्त की थी, यह कहता है : "ग्रेट ब्रिटेन में १० पौण्ड १६ शिलिंग प्रति टन की उपभोग की वर्तमान दरें हैं, जब कि भारत को निर्यात की जाने वाले सोडा ऐश का मूल्य बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य २० पौण्ड प्रति टन है।" यदि आप भाड़े का हिसाब लगायें तो गोदामों तक पहुंचने पर इसी का मूल्य लगभग १५ पौण्ड १९ शिलिंग प्रति टन होगा।

इसीलिये मैं बता रहा हूं कि हमें इस बात के कहने में कठिनाई होगी कि किस प्रकार इसका मूल्य २५२ रुपये तक पहुंचा।

वक्तव्य

खैर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस जैसे मामले में यदि मंत्रालय ने इन्हीं में से किसी पत्रिका की सूचना दी होती तो उस में वही ग़लती होती। हम केवल इसी सूचना पर निर्भर कर सकते हैं जो हमें भारतीय तट तक पहुंचने वाले पोतों के बीजकों से प्राप्त होती है। श्रीमान्, इस से हमें एक तथ्य मिलता है कि ग्रेट ब्रिटेन के घरेलू उपभोग के मूल्य तथा वहां से भारत निर्यात हो कर यहां के जो मूल्य हैं उन में अन्तर है। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि ग़लत सूचना देने का हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं था न तो हम प्रोफेसर साहब को ग़लत रास्ते पर लेना चाहते थे। सत्य तो यह है कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर इस तरह नहीं दिया जाना चाहिये था। यदि मैं ने इसकी छानबीन की होती तो मैं ने यह कहा होता कि हमारे पास कोई भी सूचना नहीं पहुंची है। मैं प्रोफेसर साहब का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस तथ्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है और मैं इस बात की पूछताछ करना चाहता हूं कि क्या सचमुच वहां के घरेलू उपभोग के लिये विक्रय-मूल्य तथा भारत को निर्यात करने के लिये निश्चित किये गये मूल्य में कोई अन्तर है। कदाचित् इससे हमें कोई लाभ होगा। यदि ऐसी बात जिससे हमें लाभ हो जाय तो निस्संदेह सरकार तथा देश, माननीय सदस्य के कृतज्ञ होंगे।

**श्री मेघनाद साहा** : श्रीमान्, हम माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को इस सूचना के लिये धन्यवाद देते हैं। ऐसा लग रहा है कि इंगलैंड में ये सार्थ १० पौण्ड से १२ पौन्ड तक के हिसाब से सोडा ऐश बेचते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : साधारणतया किसी भी वक्तव्य पर भाषण दिये जाने की आज्ञा नहीं दी जाती है।

**श्री मेघनाद साहा** : मैं तो केवल स्पष्टीकरण कर रहा हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमारे पास और भी बहुत काम हैं । मैं इस पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं दूंगा । माननीय मंत्री ने अपने एक वक्तव्य को ठीक उसी समय पर संशोधित किया है । आदेश पत्र में केवल वक्तव्य दिया गया है । वक्तव्यों पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं दी जाती । इस में काफी समय लगेगा । अभी हमें और दो विधेयक पर विचार करना है ।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### अल्प सूचना प्रश्न एवं उत्तर

**२-३० म० प०**

**जम्मू में जलूसियों पर पुलिस की गोली**

**श्री एन० सी० चटर्जी (डा० एस० पी० मुखर्जी की ओर से)** : **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू स्थित छम्ब में १४ दिसम्बर, १९५२ को पुलिस ने शान्त जलूसियों पर गोली चलाई और वहां के एक सार्वजनिक भवन पर राष्ट्रीय झण्डे को फहराने का यत्न करते हुये एक भारतीय नागरिक को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया ;

(ख) क्या वहां के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई दमनचक्र की नीति के परिणामस्वरुप ही वहां के भिन्न ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में आन्दोलन फैल रहा है; और

(ग) क्या पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की पूछताछ करने तथा विशेष रूप से ऐसे सभी मोकों की जब राष्ट्रीय झन्डे को उठाने या सम्मान प्रदान करने के लिये नागरिकों पर आक्रमण किया गया और उन्हें दण्डित किया गया, संख्या जानने के लिये सरकार एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त करना चाहती है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) १४ दिसम्बर के उपरान्त छम्ब में हुई घटनाओं से सम्बद्ध तथ्य इस प्रकार हैं :

छम्ब पाकिस्तान के सीमान्त के निकट एक छोटा सा कस्बा है । एक हिंसक हजूम ने, जिसके पास लाठियां, कुल्हाड़े और पत्थर थे, तहसील के मकानों पर धावा बोला । सरदार सोहन सिंह प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उस समय वहां का प्रभारी था, और उसने उस हजूम के नेताओं से शान्तिपूर्ण ढंग से वहां से हट जाने को कहा । उसकी बात की कोई परवाह नहीं की गई चुनांचि हजूम ने निगरानी करने वाले पुलिस के दस्ते से धक्का-पेल कर के रास्ता निकाला और तहसील के मकानों में घुस कर झण्डा फहराया । उसके बाद वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े जहां उन्होंने पुलिस दल पर धावा बोला । उस समय इंस्पेक्टर अमर नाथ जैन ड्यूटी पर था, उस पर लाठिया बरसाई गई जिससे उसका बाजू टूट गया और उसके साथ सब-इंस्पेक्टर जैशीराम और आठ सिपाही घायल हुये, जिन में से एक के सिर में कुल्हाडे की चोट भी आई । जो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर था उसने इस घटना के साथ ही गोली चलाने की आज्ञा दी ; जिसके परिणामस्वरूप एक आदमी मर गया । जम्मू व काश्मीर सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध में एक न्यायिक पूछताछ कराई है और इस समय यह मामला न्यायाधीन है ।

(ख) प्रारम्भ से ही यह विद्रोह जम्मू और अखनूर, साम्बा, रणबीरसिंहपुरा, भद्रवाह, ऊधमपुर, छम्ब नाम के छोटे छोटे कस्बों में रहा और वहीं पनपता रहा है । इस विद्रोह में लोगों ने हिंसक तरीके अपनाये और लट-मार और बरबादी की ।

कई मैजिस्ट्रेटों और बहुत से पुलिस के सिपाहियों को क्षत-विक्षत होना पड़ा है, यहां तक कि उन में से कई लोग बहुत ही ज्यादा घायल हुये हैं। इस तरह की लूट मार, हिंसा से क्षत-विक्षत होने के बावजूद भी, जब कि पुलिस को बहुत भारी ख़तरा था और लोग उन पर बुरी तरह से टूट पड़े थे, उन्होंने (पुलिस ने) बहुत ही संयम से काम लिया है।

(ग) चूंकि यह मामला जम्मू-काश्मीर राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने से ही सम्बद्ध है, अतः आयोग की नियुक्ति का प्रश्न वहां की सरकार के विचार का विषय है। जो लोग राष्ट्रीय झण्डे का दुरुपयोग करते हैं और इसे अवैध गतिविधियों का प्रतीक बनाते हैं, वे इसका सम्मान नहीं किया करते। भारत सरकार ने इस बात के लिये नियम बना रखे हैं कि भवनों तथा अन्य स्थानों पर कब कब राष्ट्रीय झण्डा लहराया जाना चाहिये। इन नियमों के अन्तर्गत अनधिकृत व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आदि विशेष अवसरों के बिना और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय झण्डा चढ़ाने या लहराने की आज्ञा नहीं है।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या यह तथ्य है कि पुलिस की गोली से मरा हुआ उक्त व्यक्ति, मीरपुर ज़िले में, जिस पर पाकिस्तानी सेनाओं का अधिकार है, स्थित भिम्बर तहसील का था ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं है।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या यह तथ्य है कि वह झण्डा, जिस के बारे में यह बताया जाता है कि श्री मेलाराम ने उसे लहराया और जिस के कारण उसे मारा भी गया, भारत संघ का राष्ट्रीय झण्डा था ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा भी यही विचार है। सत्य तो यह है कि यदि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ध्यान से सुना होता, तो उन्हें इस बात का पता चला होता कि तहसील के भवन पर जहां झण्डा लहराया गया था, गोली नहीं चली। जभी वह हजूम आगे बढ़ा, और पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने लगा, तो गोली चली।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या यह तथ्य है कि जम्मू के नेताओं ने नैशनल कांफ्रेंस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उन के आन्दोलन पर धब्बा लगाने के लिये ऐसे उत्तेजक पंचमांगी बुलाये थे जिन्होंने वहां दंगा किया ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह मालूम नहीं कि जम्मू के नेताओं ने क्या कहा, किन्तु वे, साधारणतया, ग़लत समय पर ग़लत बात बताया करते हैं।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां की न्यायिक पूछताछ कराने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही, किसी अधीनस्थ अथवा मात्र व्यवहार न्यायाधीश को नहीं, नियुक्त किया जाय ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को इस बात का स्मरण करना चाहिये कि यह सब राज्य सरकार की चीज़ है। यों तो सत्य यह है कि उन्होंने एक न्यायाधीश को नियुक्त किया है, और वह सचमुच पूछताछ करवा रहा है।

**श्री नामधारी** : क्या यह तथ्य है कि प्रजा परिषद् तथा अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं के अपने अपने झण्डे हैं, और वे केवल प्रचार के साधन के रूप में राष्ट्रीय झण्डा उठा लेते हैं ?

**काश्मीर सम्बन्धी आंग्ल-अमरीकी संकल्प**

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार काश्मीर सम्बन्धी नवीनतम आंग्ल-अमरीकी संकल्प स्वीकार कर चुकी है अथवा स्वीकार करने पर सहमत है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने उक्त संकल्प स्वीकार किया है ; और

(ग) इस संकल्प के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ में हमारे प्रतिनिधि-मंडल का क्या प्रतिपादन है ?

**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत सरकार ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित संकल्प को न तो स्वीकार कर चुकी है और न स्वीकार करने से ही सहमत है ।

(ख) कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सुरक्षा समिति में एक लम्बा भाषण दिया । अभी हम ने उस के सारे भाषण को नहीं पढ़ा है, किन्तु उस में से हमारे पास जो भी उद्धरण पहुंचे हैं उन से यही दिखाई देता है कि वह साधारण रूप से संकल्प स्वीकार करने को तैयार है, यद्यपि उसने उस के कई भागों की आलोचना भी की है इसी के साथ उसने युद्ध बन्दी रेखा के दोनों ओर रखी जाने वाली सेनाओं के परिमाण के सम्बन्ध में कई अन्य प्रस्तावनायें भी प्रस्तुत की हैं ।

(ग) राष्ट्रसंघ स्थित भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि वे संकल्प के कई भागों को स्वीकार नहीं कर सकते ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : श्रीमान् क्या मैं इस बात का कारण जान सकता हूं कि क्यों आंग्ल-अमरीकी प्रतिनिधि बार बार इस संकल्प को प्रस्तुत करते हैं, और क्यों पाकिस्तान उसे इच्छा पूर्वक स्वीकार कर लेता है ? क्या इस से यही समझा जा सकता है कि हर एक प्रस्तावना कराची वालों के साथ परामर्श होने के बाद ही लन्दन और वाशिंगटन से बन कर आती है और बाद में भारत पर थोपी जाती है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि अन्य देशों में क्या होता रहता है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : सुरक्षा समिति के समक्ष १७ दिसम्बर को भाषण देते समय श्री ज़फरुल्ला खां ने राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की महिला-नेता श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को उद्धृत करने हुये कहा है कि यदि "आज़ाद" सेनाओं को यथास्थिति रहने दिया गया तो पाकिस्तान काश्मीर से अपनी सभी सेनायें वापिस लेगा और भारतीय पक्ष में भारत को २८,००० सेनायें रखने देगा ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने एक रुचिकर प्रश्न पूछा है । श्री ज़फरुल्ला खां ने अपने भाषण में जो बात कही है, उससे अपरिचितों को ऐसा लग रहा है कि कोई नई बात कही गई है । सत्य तो यह है कि उनका यह सुझाव उन बहुत से अन्य सुझावों से भी अधिक बुरा है जिन पर हम ने आज तक विचार किया, क्योंकि इस सुझाव में तथाकथित "आज़ाद" सेनायें प्रदेशों में अधिक शस्त्रों से सज्जित पाकिस्तानी सेना के रखे जाने की बात है ।

श्री जफरुल्ला खां का कहना है कि वह पाकिस्तानी सेनाओं को वापिस लेगा, किन्तु तथाकथित आज़ाद सेनायें तो पूर्णतया —शत प्रति शत—पाकिस्तानी सेना का ही एक भाग है, और उन ही के समान प्रशिक्षित और शस्त्रास्त्रयुक्त हैं। इस का यह अभिप्राय है कि जिस समय डा० ग्राहम सेनाओं को घटाने की बात पर विचार-विमर्श कर रहा था, और यह सुझाव दे रहा था, जैसा श्री जफ़रुल्ला खां कहते हैं कि पाकिस्तान, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा है, ५,०००, ७,००० या ८,००० सैनिक रख ले, तो उस समय पाकिस्तान वहां २०,००० से ३०,००० तक की सेनायें रख सकता था क्योंकि वह उन्हें पाकिस्तानी सेनायें नहीं अपितु आज़ाद सेनायें समझता है। तो, वास्तव में यह कोई नया और ठीक सुझाव नहीं, और इस से उन लोगों के मस्तिष्क में भ्रान्ति पैदा हो सकती है जिन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं हो।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भाषण से यह धारणा पैदा होती है कि इतना सारा झगड़ा इसलिये उठ खड़ा हुआ है क्योंकि भारत जनमत संग्रह का वचन पूरा नहीं कर सका है। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या जनमतसंग्रह कराने की भारत की पेशकश पूर्णतया ऐच्छिक है, और पाकिस्तान का दुराग्रह तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्था की शीघ्र निपटारा करने की असफलता.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : ... क्या पाकिस्तान के दुराग्रह तथा निपटारा होने में अनुचित देर होने के कारण जनमतसंग्रह कराने की यह पेशकश वापिस ली जायगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही का एक सुझाव है।

**श्री के० के० बसु** : क्या सरकार इस सम्बन्ध में आंग्ल-अमरीकी गुट की निरन्तर पैंतरेबाजी को दृष्टि में रखते हुये इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ से वापिस लेने के बारे में विचार कर रही है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या वापिस लेने के लिये ?

**श्री के० के० बसु** : संयुक्त राष्ट्रसंघ से काश्मीर समस्या वापिस लेने के लिये।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहती है

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में यह टिप्पणी की है कि भारत सरकार ने चौदहवीं बार संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रस्थापना अस्वीकार की है। क्या यह तथ्य है और क्या मैं यह भी ज्ञात कर सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने कितनी बार राष्ट्रसंघ की प्रस्थापना अस्वीकार की है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, अदले का बदला !

**श्री एस० वी० रामास्वामी** : पाकिस्तानी और तथाकथित आज़ाद सेनायें अनुमानतः कितनी है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता। 'पाकिस्तानी दल' का यह अभिप्राय है कि पाकिस्तान की वह सारी सेना जो सीमान्त के उस ओर अन्दर की तरफ या

सीमान्त से थोड़ा सा इधर को है--सारी सेना उसी के आस-पास है। मेरा अनुमान है कि आजाद सेनाओं की संख्या तीस या बत्तीस बटालियन है।

**श्री टी० के० चौधरी :** क्या सरकार का ध्यान कराची से प्रकाशित होने वाले मुस्लिम लीग के मुख-पत्र एवं सरकारी प्रचारक पत्र "डान" की इस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि यदि सर जफरुल्ला की यह भेंट रद्द की गई तो पाकिस्तान को युद्ध करना पड़ेगा ; और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी इस टिप्पणी पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं, श्रीमान् कुछ भी नहीं।

अंक ६

संख्या १५

शनिवार,

२० दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

# संसदीय वाद विवाद

## लोक सभा

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य —

सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार [पृष्ठ भाग २२६१—२२६७]

लोक लेखा समिति की तीसरी रिपोर्ट [पृष्ठ भाग २२६७—२२६९]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक— [पृष्ठ भाग २२६९]

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यार्पण) संशोधन विधेयक पारित [पृष्ठ भाग २२६९—२२९०, २२९१—२३२५]

राज्यपरिषद् से प्राप्त संदेश [पृष्ठ भाग २२९०]

चाय विधेयक [पृष्ठ भाग २३२५—२३३८]

(मूल्य ६ आने)

160 PSD

## लोक सभा

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

१०-४५ म० पू०

## प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

### सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प पर बोलते समय, परसों श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के विषय पर बहुत कुछ कहा। इस सिलसिले में उन्होंने विशेष रूप से लेखा रखने और लेखा-परीक्षण करने का ज़िक्र किया और महालेखा परीक्षक तथा उप महालेखा-परीक्षक की भ्रष्टाचार के मामलों का पता न लगा सकने के बारे में निन्दा की। उन्होंने अपने आरोप केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के कार्यालय के एक क्लर्क द्वारा २८०० रुपये के एक जाली भुगतान आर्डर लेने के प्रयत्न पर मुख्यतः आधारित किये थे।





मेरे कार्यबन्धु, श्री महावीर त्यागी ने परसों सदन में इस क्ल के मामले से संबंधित कुछ बातें बताई थीं।

जैसा मैंने अक्सर कहा है, सरकार हमेशा ऐसे आरोपों की, जिन में प्रत्यक्षतः कोई सचाई नज़र आये, जांच करने और उस पर उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार है। वास्तव में ऐसा बराबर किया जा रहा है। परन्तु मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों पर बिना सोचे समझे आरोप लगाना उचित नहीं है; इसका सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सदन की भांति सरकार को भी इस चीज़ की चिन्ता है कि लोग अपना चरित्र गिरने न दें और सदन के सहयोग से वह इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करेगी। इस देश का शासन ऊपर बैठे कुछ लोगों द्वारा ही नहीं चलाया जाता; इस काम के चलाने में उन सैकड़ों और हज़ारों सरकारी कर्मचारियों का भी उतना ही हाथ है जो करोड़ों सरकारी रुपया इधर से उधर करते हैं। दुर्भाग्य से जालसाज़ी और ग़बन के मामले होते हैं परन्तु इसमें कुल रक़म को देखते हुए केवल एक छोटी सी रक़म का ही सवाल होता है और इन सारे के सारे कर्मचारियों पर, जिन की कर्त्तव्यनिष्ठता पर और जिन के विश्वास पर सरकार का काम चलता है, इस तरह के आरोप लगाना बहुत अनुचित है। जालसाज़ी या ग़बन के मामलों में सावधानी की हमेशा ज़रूरत होती है और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं सदन को फिर से विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे मामलों की जिन में प्रत्यक्षतः कोई सचाई नज़र आये, हमेशा जांच की जायेगी और उन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मैं नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की स्थिति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहता हूं। संविधान के अन्तर्गत, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसे अपने स्थान से सिर्फ उसी तरीक़े से निकाला जा सकता है जिस तरीक़े से कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निकाला जा सकता है। वह सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं, वास्तव में यदि वह आवश्यक समझे तो संसद् को पेश की जाने वाली अपनी रिपोर्टों में वह सरकार की कार्यवाही की आलोचना कर सकता है । सदन के अन्दर उस की आलोचना करना उसकी विशेष स्थिति को नीचा करना होगा जिसका नतीजा यह होगा कि वह अपने कर्त्तव्यों का विना किसी डर या पक्षपात के पालन नहीं कर सकेगा ।

**श्री टंडन** (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम): श्रीमान्, चूंकि यह मामला मेरी बात से उठा है इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार पर बोलते समय मेरे लिये यह आवश्यक था कि मुझे जो मामला मालूम था उस का मैं यहां ज़िक्र करता । महालेखा-परीक्षक या उपमहालेखा परीक्षक से मुझे कोई द्वेष तो था नहीं; मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं ने तो वो बातें कही थीं जो मुझे बताई गई थीं। मैं ने सोचा कि जब महालेखा-पाल के कार्यालय का क्लर्क यह दावा कर सकता है कि उसे ऐसे व्यक्ति को चेक देने का अधिकार है जो विभाग से सम्बन्ध रखता है और जिसे वहां से रुपया वसूल करना है तो वो क्लर्क कोई नया आदमी तो हो नहीं सकता; मैं ने सोचा कि अवश्य ही इस सारी प्रणाली में ख़राबी है जिस के अनुसार इस प्रकार से चेक काटे जा सकते हैं। मैंने कोई दोष निकालने की भावना से आलोचना नहीं की थीं। मैं यह मामला उस समय के गृह मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने लाया था। मैं आशा करता था कि इस प्रकार के मामले में जल्दी कार्यवाही की जायेगी। मैंने सरदार पटेल से कहा था कि वह इस छोटे से व्यक्ति को गिरफ़्तार न करें बल्कि सारी प्रणाली की फिर से जांच करें। मैं उस क्लर्क को जानता भी न था। यह तो मुझे अब मालूम हुआ है कि इस व्यक्ति के बयान तक नहीं लिये गये हैं। यह मामला चार वर्ष से अधिक पुराना है। मैं समझता हूं कि उसके बीमार पड़ जाने से मामले को वापस ले लेना एक ग़लत चीज़ है। ऐसा कहीं नहीं होता। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस समय मैं यह मामला सरदार पटेल के सामने लाया था तो मुझे इस बात का सन्देह था कि इस के पीछे कोई कड़ा षड्यन्त्र है। हो सकता है कि यह मामला अपने क़िस्म का एक ही मामला हो, परन्तु मुझे इस बात का सन्देह था कि बहुत से सरकारी रुपयों की गड़बड़ हो रही है और इस के पीछे कोई कड़ा षड्यन्त्र है। इसीलिये मैं सरदार पटेल के पास गया था। मैं समझता हूं कि मैंने वित्त मन्त्री से यह कह कर ठीक ही किया कि वह इस मामले की और साथ साथ सारी प्रणाली की जांच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करें ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस विषय पर बहस जारी रखना नहीं चाहता। मैंने कभी यह ख्याल नहीं किया कि माननीय श्री टंडन ने यह बात दोष निकालने की भावना से कही है। चूंकि इस बात से उन्हें कुछ बुरा सा लगा और इस लिये उन्होंने उसे यहां कहा। उन्होंने इस मामले को उस समय के गृहमन्त्री

सरदार पटेल के पास ले जा कर ठीक ही किया। इस मामले का जो चार वर्ष पुराना मामला है मुझे माननीय सदस्य के भाषण से ही पता लगा है। मुझे इस के बारे में सारी बातें भी पता नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस विषय से सम्बन्धित हमारे सारे कागज़ात आ कर देखें। यदि वह इस में कुछ और कार्यवाही करने का सुझाव दे सकते हैं तो हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। मेरे कार्यबन्धु श्री त्यागी उन्हें सारे काग़ज़ात दिखा सकेंगे कि इस मामले में क्या किया गया है और क्या नहीं। यदि कुछ कमी रह गई है तो उस को देखेंगे। मेरी सूचना यह है कि उस समय इस मामले में जांच की गई थी; मैं यह नहीं कह सकता कि वह काफ़ी थी या नहीं, परन्तु जांच हुई अवश्य थी। इस ख़ास मामले की और साथ साथ सारी प्रणाली में ख़राबी होने के व्यापक प्रश्न दोनों की जांच हुई थी और कुछ परिवर्तन भी किये गये थे। यह ख़ास मामला प्रणाली में ख़राबी के कारण न था, इसका कारण जाली काग़ज़ का बनाना था। जाली काग़ज़ बनाना संभव हो सकता है और इस जाल में लोग फंस भी सकते हैं। तो कुछ जाली काग़ज़ात बनाये गये और यह अधिकारी ——आप इसे उसकी असावधानी कहें या षड्यन्त्र——उस चक्कर में आ गये और उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिये। बाद में पूरी जांच की गई और पता लगा कि केवल यही एक चेक काटा गया है। इसके अलावा कोई और भुगतान ऐसा नहीं हुआ। ख़ैर, मैं माननीय सदस्य से इस मामले में छानबीन करने के लिये कहूंगा। यदि उन के कोई सुझाव होंगे तो हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

जहां तक इस क्लर्क का सम्बन्ध है, मुझे परसों तक उस के बारे में कुछ पता नहीं था। श्री त्यागी के वक्तव्य से पता चलता है कि पिछले तीन वर्ष से वह टी० बी० अस्पताल में सख़्त बीमार पड़ा हुआ है। उसे अदालत लाना बहुत कठिन था और यद्यपि मामले को स्थगित किया जाता रहा परन्तु अन्त में उस के साथ सहानुभूति दिखा कर चूंकि वह बहुत बीमार था, मामला वापस ले लिया गया। न्यायाधीश महोदय ने बार बार यह कहा कि वह किसी मामले को वर्षों तक विचाराधीन नहीं रख सकते। उसे वापस लेना ठीक था या ग़लत। यह मैं नहीं कह सकता। यही फ़ैसला किया गया। बहुत से महानुभावों का ख़्याल था कि चूंकि उसकी हालत बहुत नाज़ुक है इसलिये इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कोई जज नहीं हूं। मेरे माननीय मित्र को इस विषय में अधिक अनुभव है कि कब मामले वापस लिये जाते हैं और कब नहीं। मैं ने इस विषय को उस क्लर्क के मामले को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि इस में निहित व्यापक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उठाया था।

जहां तक श्री चटर्जी के सुझाव का संबंध है, मैं नहीं जानता कि एक ग़रीब क्लर्क के मामले के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराना कहां तक ठीक है। मेरा कहना तो यह है कि केवल यही सदस्य नहीं बल्कि यदि अन्य सदस्य भी चाहें तो इस विषय के सारे काग़ज़ात देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि कहीं कोई ग़लती तो नहीं हुई है। यदि हुई है तो हम उस पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हैं।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमख) :** मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब जो कुछ हुआ है उस के बारे में मिथ्या धारणा पर आधारित है। होता यह है कि क्लर्क चेक तैयार करता है और उस से बड़ा अधिकारी उसे पास करता है। यदि वह अधिकारी लापरवाही दिखायेगा तो निश्चय ही यह ग़लती

[श्री सी० डी० देशमुख]

फिर हो सकती है । इसके लिये सिर्फ़ एक ही उपाय है और वह यह कि लापरवाही दिखाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । अतः यह प्रणाली का इतना दोष नहीं है जितना कि काम करने वाले व्यक्तियों का है । हो सकता है कि इस विशेष मामले के सम्बन्ध में मतभेद हो कि उस अधिकारी को जो दंड दिया गया वह काफ़ी था या नहीं और यदि यह भी मान लिया जाये कि यह लापरवाही का पहला ही मामला था तो भी यह कहा जा सकता है कि सरकारी रुपये के मामले में अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिये थी । यह तो अब हो चुका । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक ही विभाग द्वारा लेखा रखने तथा लेखा परीक्षण करने के कारण बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं; वास्तव में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक पिछले चार वर्षों से यह कह रहे हैं कि इस प्रणाली को, जिस के अनुसार विभाग द्वारा रुपया दिया जाता है, खत्म कर देना चाहिये और उन के विभाग का काम केवल लेखा-परीक्षण होना चाहिये । इस वर्तमान प्रणाली की उन्होंने कई बार आलोचना की है और उन मामलों में जिन में कि भुगतान बहुत अधिक किया जाना था हमने अलग अलग ख़ज़ाने खोले जिस से उन के पास केवल लेखा परीक्षण का ही काम रहे । परन्तु कुछ तो कर्मचारियों की कमी से तथा कुछ साधनों की कमी से हम उन की सिफ़ारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर सके हैं । मैं आशा करता हूं कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करनी होगी ।

## लोक लेखा समिति की तीसरी रिपोर्ट

**श्री बी० दास** ( जाजपुर-क्योंझर) : मैं लोक लेखा समिति की "लोक व्यय पर ख़ज़ाने के नियन्त्रण" सम्बन्धी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं । **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ४०० (८७)]**

१२ नवम्बर, १९५२ को लोक लेखा समिति ने लोक व्यय पर ख़ज़ाने के नियन्त्रण की प्रणाली को लागू करने के बारे में जांच करने के लिये श्री एस० एन० अग्रवाल, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय और श्री रामचन्द्र रेड्डी की एक उप-समिति बनाई थी । इस समिति की रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा मंजूर कर ली गई थी । समिति की सिफ़ारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(१) इस विचार से कि संसद् द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा उसके द्वारा किये गये विनियोगों से आगे न बढ़ा जाये, ख़ज़ाने की नियन्त्रण की किसी सन्तोषजनक प्रणाली का जारी किया जाना बहुत आवश्यक है ।

(२) नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को संघ तथा राज्य सरकारों का लेखा रखने तथा उसके परीक्षण की भी ज़िम्मेदारियां देना अनुचित है ।

(३) विभिन्न मन्त्रालयों तथा बड़े बड़े विभागों के लिये अलग अलग लेखा कार्यालय शीघ्र से शीघ्र खोले जायें ।

(४) नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक की राय से लेखा परीक्षण और लेखा रखने के काम को अलग करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें ।

(५) राज्यों को वार्षिक अनुदान देते समय केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह साफ़ साफ बतला दे कि ये अनुदान किन शर्तों के अन्तर्गत और किस प्रयोजन के लि काम में लाये जायें ।

(६) नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को राज्य द्वारा चालू की गई फ़र्मों का लेखा परीक्षण करने का अधिकार होना चाहिये ।

(७) संसद् द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये निगम स्थापित किये जायें ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रुपये का भुगतान करना और हिसाब किताब रखना कार्यपालिका अधिकारियों का काम है; हिसाब की जांच करने वाला अधिकारी रुपया को बांटने वाले अधिकारी से अलग होना चाहिये क्योंकि यदि ये दोनों एक होंगे तो इस से जालसाज़ी और गबन किये जाने की बहुत संभावना हो जाती है । नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने समिति को सूचित किया है कि उन्होंने तथा उन के पूर्वाधिकारियों ने इस प्रणाली के प्रति कई बार विरोध प्रगट किया है परन्तु सरकार अभी इस की गम्भीरता को नहीं समझ सकी है ।

---

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक

**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग 'क' राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की कुछेक शर्तों को नियमित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया ।

**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधक विधेयक

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा त्यर्पण) अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जैसा राज्य परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण १९४७ की वो दुखपूर्ण घटनायें हैं जब कि सम्प्रदायवाद के बहाव में बह कर सीमा के दोनों ओर के लोगों ने बहुत ही घृणित और नीच कार्य किये थे । इन पशुतापूर्ण चीज़ों में सब से बुरी चीज़ निस्सहाय स्त्रियों और बच्चों को भगा कर ले जाना था । ये अपराध वैयक्तिक प्रकार के अपराध नहीं थे,ये सामाजिक अपराध थे जो बदला लेने की भावना पर आधारित थे । उस समय यह एक बहुत बड़ा ख़तरा था और दोनों सरकारों ने स्थिति की गंभीरता को समझा था । हमारे प्रधान मन्त्री ने और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने ३ सितम्बर १९४७ को एक संयुक्त घोषणा में यह कहा था कि दोनों केन्द्रीय सरकारें तथा पश्चिमी और पूर्वी पंजाब की सरकारें इस बात को साफ़ बता देना चाहती हैं कि बलात् धर्म-परिवर्तन और विवाहों को गैर-कानूनी समझा जायेगा । उन्होंने आगे कहा कि भगाई हुई स्त्रियों और बच्चों को पुनः अपने सम्बन्धियों को लौटा दिया जाये और संबंधित सरकारों द्वारा ऐसी स्त्रियों और बच्चों का पता लगाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाये । सरकारों की इस घोषणा को तुरन्त क्रियान्वित किया गया । सैनिक निष्क्रामण संगठन तथा स्थानीय अधिकारियों ने फ़ौरन यह काम शुरू कर दिया और वास्तव में १९४८ के मध्य तक हज़ारों लोगों को वापस अपने घरों को पहुंचा दिया गया । परन्तु इसके शीघ्र बाद ही यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की भारी समस्या को हल करने के लिये साधारण क़ानून काफ़ी न होंग । ११ नवम्बर १९४८ को यह समझौता किया गया कि इस समस्या को सुलझाने के लिये सीमान्त के दोनों ओर विशेष क़ानून बनाये जायें ।

[श्री अनिल के० चन्दा]

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ]

पाकिस्तान ने एक स्थायी अध्यादेश जारी किया और उन के यहां पुनः प्राप्ति का काम अब तक उसी अध्यादेश के अधीन चलाया जा रहा है । अपने देश में हम ने इस समस्या को दूसरे ढंग से सुलझाने की कोशिश की है, यद्यपि पाकिस्तान और भारत दोनों के अध्यादेशों में निहित कानून एक से ही थे । हमारा पहला अध्यादेश जनवरी १९४९ में पारित हुआ था और इसे ३० जुलाई १९४९ तक बढ़ा दिया गया था । संविधान सभा ने दिसंबर १९४९ में अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम पारित किया जो ३१ अक्तूबर १९५१ तक वैध था । राष्ट्रपति द्वारा यह अधिनियम अध्यादेश के रूप में बढ़ा दिया गया था । बाद में संसद् ने इसको मंजूर कर लिया और वह ३१ अक्टूबर १९५२ तक वैध रहा । इस अवधि के अन्त में चूंकि संसद् का सत्र नहीं हो रहा था, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जो ३१ दिसम्बर तक वैध है । अतः वर्तमान विधेयक द्वारा इस अधिनियम को २८ फरवरी १९५४ तक लागू रखने की व्यवस्था की जा रही है ।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि १० जून, १९५२ को पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित किया था, परन्तु पूर्वी पंजाब सरकार और भारत सरकार दोनों ने उच्चतम न्यायालय को अपील की और अन्त में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित किया । हमारे यहां इस विषय पर कोई स्थायी क़ानून नहीं है । हम ने समय समय पर क़ानून बनाये हैं ताकि संसद् को सारे मामलों पर पुनर्विचार करने का मौक़ा मिलता रहे । यद्यपि पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु फिर भी दोनों ओर ऐसे बहुत से व्यक्ति बाकी बचे हैं जिन्हें अपने संबंधियों को वापस लौटाया जाना है और इसीलिये हम इस विधेयक की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं । यह विधेयक उस अधिनियम से काफ़ी मिलता-जुलता है जिसे इसके द्वारा संशोधित किया जा रहा है । सिर्फ़ दो छोटी छोटी बातों में अन्तर है । एक तो यह कि जहां जहां अधिनियम में "राज्य सरकार" का शब्द आया है उस के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" कर दिया गया है । दूसरे यह कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम में अपहृत व्यक्ति कहा गया है, ऐसे राज्यों से जहां यह अधिनियम लागू होता है भारत के किसी अन्य स्थान में ले जाया जाता है तो उस व्यक्ति को अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ़्तार किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिये यह विशेष उपबन्ध सारे भारत में लागू किया जायेगा । यह संशोधन हमारे अनुभव पर आधारित है । जब ऐसे लोगों को खोज निकालने वाली टुकड़ियां अपनी खोज आरम्भ करती हैं तो भगाने वाले लोग अपने शिकारों को ऐसे स्थानों में ले जाते हैं जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता । लोगों को भगा कर नैपाल और दक्षिण अफ़्रीका तक ले जाया गया है । इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि हमारी पुलिस के पास ऐसे लोगों का सारे देश में पीछा करने का अधिकार हो । पाकिस्तान का अध्यादेश सारे पश्चिमी पाकिस्तान में लागू है । इस अधिनियम के द्वारा भी सरकार को कुछ केन्द्रीकृत अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है । तीन कारणों से हम अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहते हैं । एक तो है मानवता की भावना, दूसरे यह कि हमारा इस मामले में एक समझौता हो चुका है और तीसरा कारण यह है कि हमारे पास ऐसी सूचना है कि दोनों ओर अभी हज़ारों स्त्रियां और बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वापस

लौटाया जाना है । यह ठीक ठीक बतलाना तो कठिन है कि कितने लोगों को वापस अपने संबंधियों के पास पहुंचाया जाना है । तरीक़ा यह है कि हर सरकार दूसरी सरकार को अपहृत व्यक्तियों की सूची देती है । इस के लिये बहुत कुछ जानकारी की आवश्यकता है और दोनों देशों के बीच पत्र-व्यवहार बराबर जारी है । अभी हमें यह पता नहीं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वापस संबंधियों के पास पहुंचाया जाना है । जहां तक वर्जित क्षेत्रों का प्रश्न है, हमारे कार्यकर्त्ताओं को अब वहां जाने दिया जाता है ।

**सभापति महोदय** : क्या श्री देशपांडे अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, जैसा राज्य परिषद् द्वारा पारित हुआ है, लोक मत जानने के लिये १५ फ़रवरी १९५३ तक परिचालित किया जाये ।"

**लाला अचिन्त राम** (हिसार) : चेअरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिन साहब ने इस बिल के लिये सर्कुलेशन मोशन किया है उन सदस्य के लिये मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ मालूम तो हो कि वह किस लिये सर्कुलेशन मोशन चाहते हैं । कम से कम मुझे तो कोई ऐसा कारण मालूम नहीं होता । मैं समझता हूं कि इस बिल के लिये जो दलीलें की गई हैं वह बहुत माकूल हैं । पहली दलील तो यह है कि हम चाहते हैं कि यह जो आर्डिनेन्स है वह फ़रवरी, १९५४ तक चले और इस का साफ कारण यह है कि पिछले साल जो रिकवरी हुई है, इस में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से जो औरतें आई हैं उन की बनिस्बत जो यहां से गई हैं ज़्यादा हैं, करीब चार या पांच सौ गई हैं, लेकिन हमें इस उद्देश्य को अपने सामने नहीं रखना चाहिये कि उस तरफ़ से कितनी औरतें आती हैं, और हम अपनी तरफ़ से कितनी भेजते हैं । आनरेबुल मेम्बर मुझे माफ करेंगे क्योंकि इस बारे में मेरा दृष्टिकोण उन के दृष्टिकोण से मुख्तलिफ है ।

**सभापति महोदय** : जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का प्रश्न है, सदन इसे पहले ही स्वीकार कर चुका है । हमें इस समय इस बात से मतलब नहीं कि यहां से अपहृत व्यक्ति वहां अधिक पहुंचाये गये हैं और वहां से यहां कम आये हैं । विधेयक को बढ़ाने के लिये यह शर्त नहीं है कि उतने ही व्यक्ति उधर से आयें जितने यहां से हम पहुंचायें । माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे केवल संगत विषयों पर ही बहस करें ।

**लाला अचिन्त राम** : आप मुझे माफ करेंगे । मेरा कोई ऐसी बात कहने का मतलब नहीं था । ऐसे भी आदमी हैं कि जिन की तसल्ली नहीं है । वह कहते हैं कि ऐक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है । मेरी गुज़ारिश उन के लिये यह है कि जो पिछली साल की रिपोर्ट है उस से ज़ाहिर होता है कि रिकवरी हो रही है । तो यही जस्टीफ़िकेशन है कि हम इस को ऐक्सटेंड करें । यही मेरी दलील है ।

दूसरी बात यह है कि, जैसा मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया, कि पाकिस्तान में जो इन्तिज़ाम किया हुआ है वह परमानेन्ट बेसिस पर किया है । हम ऐक्सटेंड करते हैं । इस वास्ते हमारे लिये ज़रूरी है कि हम भी ऐसा एक बिल पास करें ।

दूसरे अमेंडमेंट मैं समझता हूं बड़े ज़रूरी हैं । यह तजरबे से मालूम हुआ है कि बाज़ आदमी औरतों को ऐसे एरियाज़ में ले जाते हैं जहां यह बिल लागू नहीं होता है । मैं समझता हूं कि इस तजरबे की रोशनी में

[लाला अचिन्त राम]

यह ज़रूरी है कि हम इस में अमेंडमेंट करें। अगर हम सच्चे मानों में रिकवरी करना चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस देश में ऐसी कोशिश करें कि जहां भी औरतें और बच्चे जायं वहां से उन की रिकवरी करें। मैं रिकवरी को इतना महत्व नहीं देता हूं जितना कि इस बात को कि इस से हम पाकिस्तान में और दुनिया में क्या असर पैदा करते हैं कि हम अपने देश में कोई ऐसी औरत नहीं रखना चाहते जिस के कि वालिदैन औ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हों। यह हमारे मुल्क पर धब्बा होगा। मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं कि चाहे पाकिस्तान से एक भी हमारी औरत न आये लेकिन हम को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिये। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं है कि वहां से औरतें नहीं आती हैं। हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के एक एक बच्चे और एक एक औरत को यहां से निकालें। इस वास्ते मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री वी० जी० देशपांडे** : श्रीमान्, मैं अपना दूसरा संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करने के पूर्व में बड़ी नम्रतापूर्वक आप के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। आज पार्लियामेंट समाप्त होने के आखिरी दिन दो तीन घंटे में इस बिल को समाप्त करने का हमारी सरकार का विचार दीख रहा है। आप ने देखा होगा कि जब यह क़ानून समाप्त हुआ था उस समय पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। इस कारण आर्डिनेंस द्वारा इस कानून को आगे बढ़ाया गया। और जब सरकार यह समझती थी कि ३१ दिसम्बर तक की इस कानन की मियाद थी, तो सरकार का यह कत्तव्य था कि जैसे और विधेयक इस हाउस में लाये गये उसी तरह इस को भी इस से पहले लाती और इस पर अच्छी तरह से चर्चा होती। उस स्थिति में हमारे सभापति महोदय को यह कहने की ज़रूरत न पड़ती कि समय थोड़ा है और इस बिल को आज समाप्त करना है। शायद इस के लिये यह समझा जाता होगा कि यह कानून पुराना है और इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी। यह बिल तो पहले मंजूर हो चुका है और इस का ऐक्सटेंशन होना है इसलिये इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा विरोध दो तीन कारणों से है। एक तो यह कि केवल ऐक्सटेंशन नहीं है। इस बिल की जो मुख्य धारायें हैं उन में परिवर्तन किया गया है। आप देखें कि मूल विधान ११ नियमों का है और आप यहां देखते हैं कि ९ नियमों में परिवर्तन किया गया है। ११ में से ९ नियमों में परिवतन किया गया है। इन के अतिरिक्त शार्ट टाइटल और प्रिएम्बिल आदि हैं। तो क़रीब क़रीब एक नया बिल ही आप के सामने आ रहा है। और जब एक नया बिल आ रहा है तो भी सदन को समय नहीं दिया जाता कि इस पर चर्चा करे। मैं तो इस के आगे जा कर कहता हूं कि आज देश के अन्दर इस बिल के ख़िलाफ़ और जिस प्रकार यह बिल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है उस के ख़िलाफ़, सत्य या असत्य, आक्षेप किये जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार में एक सन्धि हुई थी और इस सन्धि के तीन साल तक चलने के पश्चात् हम देखते हैं कि हमारी तरफ़ से तो इस सन्धि का प्रामाणिकता से परिपालन हो रहा है।

मैं इसलिये अचिन्त राम जी की भावनाओं का बड़ा आदर करते हुए कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्त्री भी नहीं आई। स्त्री जाति का और मातृ जाति का गौरव

होने के कारण हर एक स्त्री की कदर करना हमारा कर्तव्य है, यह मैं मानता हूं। लेकिन उस के साथ साथ हमारी वहिनें और देवियां जो वहां रह रही हैं उन के प्रति भी हमारा कर्त्तव्य ह । यदि किसी कारण पाकिस्तान सरकार या हमारी सरकार उस के प्रति योग्य कार्य न करती हो तो उस के लिये पूछना हमारा कर्त्तव्य है। यह जो ऐक्ट हमारे यहां पास किया गया और पाकिस्तान में और हमारे बीच में जो संधि हुई, उस के फलस्वरूप तीन चार साल तक हमारे यहां जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो सोशियल वर्कर्स हैं, सामाजिक कायकर्ता हैं, वे इधर उधर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ जो ये सोशियल वर्कर्स हैं उन का ज़िक्र नहीं है। हमारी सरकार की जो मशीनरी है, इस मशीनरी में सोशियल वर्कर्स के नाम दिए हुए हैं। कई के नाम इस में आते हैं, रिपोर्ट पढ़ कर उन का पता नहीं लगता। कई पत्र इस सम्बन्ध में आये हैं। उन के साथ साथ एक पुस्तिका भी है जिस पर श्री बलबीर सिंह जी और पाकिस्तान की तरफ से श्री गलाम हैदर के हस्ताक्षर हैं। इस के साथ ही यह भी उल्लेख है कि हमारे यहां की जो मशीनरी है उस में सोशियल वर्कर कराची और लाहौर में रखे गये हैं। यह लिखा है "ए सोशियल वर्कर हैज़ बीन आपाइंटेड एट कराची एंड लाहौर' और आगे लिखा हुआ है, "शी"। इस से शायद मेरी बहिन श्री मृदुला का उल्लेख होगा। पाकिस्तान में भी इस तरह के सोशियल वर्कर रखे गये हैं, इस तरह की मशीनरी में, इस तरह के सोशियल वर्कर्स के आर्गेनाइज़ेशन का उल्लेख नहीं है। जो अपनी मशीनरी है उस का तो उल्लेख है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई सोशियल सरविस का नाम या सोशियल वकर्स के नाम मुझे दिखते नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में हम लोगों को यह पूछना है कि आप की यह सन्धि होने के बाद पाकिस्तान में तीन साल के ऊपर कार्य हो रहा है परन्तु हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ८३२६ स्त्रियां हिन्दुस्तान में आती हैं, और १९९१९ स्त्रियां हिन्दुस्तान से पाकिस्तान को भेजी जाती हैं। इस के अलावा एक हज़ार और दूसरी स्त्रियां हैं जो इस में शामिल नहीं हैं और जो जम्मू और काश्मीर में भजी गई हैं और २५६ और इस के नीचे नोट में दी हैं, यानी क़रीब क़रीब १८ हज़ार स्त्रियां हिन्दुस्तान से मुक्त कर के पाकिस्तान में मुसलमानों को भेजी गई हैं। इन में से १७ हज़ार पाकिस्तान में गई हैं और एक हज़ार उन के रिश्तेदारों के साथ यहां छोड़ी गई हैं। इस के लिये हम हमारी सरकार को धन्यवाद देते हैं और हम को भी आनन्द है कि यहां जो मुसलमान स्त्रियों को गुंडे भगा कर अपने घरों में ले गये थे उन को छुड़ा दिया गया और उन को उन के रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया। इस की तो बहुत खुशी है। लेकिन इसी के साथ मैं देखता हूं कि पाकिस्तान से केवल ८३२६ स्त्रियां आई हैं। इस पर हम जब पूछते हैं कि पाकिस्तान के अन्दर कितनी स्त्रियां हैं तो इस का जवाब हम को आता नहीं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दो तीन फ़ेहरिस्तें बनाई गईं। फ़ेहरिस्तें बनने के पश्चात् सब शरणार्थियों ने अपनी प्रापर्टी के क्लेम दिये हैं। उस में इस प्रकार से कितनी स्त्रियां दिखाई गईं, इस तरह की बातें भी दी गई हैं। वहां भी सरकार चार पांच साल से चल रही है। आज भी आप के पास फ़ेहरिस्तें नहीं आ रही हैं। हिन्दुस्तान में फ़ेहरिस्त के अनुसार कितनी स्त्रियां हैं। हम इस काम के लिये सालाना आठ नौ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। चार पांच साल से यह सवाल चल रहा है। यह मैं मानता हूं कि यह सवाल ऐसा है कि इस आर्गेनाइज़ेशन पर अगर करोड़ों रुपया भी खर्च हो तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम को विश्वास भी होना चाहिये कि क्या आप में यह कार्यक्षमता है कि आप वहां से स्त्रियों को छुड़ा कर लावेंगे।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

यह जो रिपोर्ट भेजी गई है मेरी समझ में रिकवरी आर्गेनाइज़ेशन की तरफ़ से भजी गई है । इसी के साथ साथ पत्र भी भेजे गये हैं । इन पत्रों में पोलिटिकल कम्युनल आर्गेनाइज़शन के ख़िलाफ़ लिखा गया है । मुझे पता नहीं कि यह कौन सा पालिटिकल कम्युनल आगनाइज़ेशन है । मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अन्दर से मतलब होगा ? मुझे पता नहीं कि कौन सा पौलिटिकल कम्युनल आर्गेनाइज़ेशन है जिस के कारण इस कार्य में बाधा हो रही है । मुझे तो पता नहीं । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी पोलिटिकल कम्युनल आर्गेनाइज़ेशन यहां नहीं है जो इस के रास्ते में रोड़े अटका रहा हो । इस में रुकावट कुछ हो सकती है तो शायद इस कारण कि इनएफ़ीशियेंसी हो, किसी सोशियल वर्कर में कार्यक्षमता न हो । अपनी तरफ से इतना कार्य होते हुए भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यह काम उत्साह से नहीं हो रहा है । जितने उत्साह से यह काम हमारी तरफ से हो रहा है उतने उत्साह से यह काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा है । हमें पाकिस्तान में उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है ।

इस रिपोर्ट में यह कहा गया है :

भारत के नये अधिनियम में इस आकस्मिकता का सामना करने के लिये, इस प्रकार के मामलों की खोज करने के हेतु एक उपबन्ध किया जा रहा है । पाकिस्तान में यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहां अध्यादेश सारे पश्चिमी पाकिस्तान में लागू होता है । यानी बात ऐसी है कि पाकिस्तान के पश्चिम में कोई ऐसा ऐरिया (क्षेत्र) है कि वहां से स्त्री कहीं बाहर नहीं जा सकती । क्या वहां लक्ष्मण रेखा की तरह कोई रेखा है कि बाहर नहीं जा सकती । जैसे सीता की झौंपड़ी के बाहर लक्ष्मण ने रेखा खींच दी थी कि सीता वहां से बाहर नहीं जा सकती, क्या यह व्यवस्था लक्ष्मण रेखा की तरह वहां पाकिस्तान में है कि जिस के बाहर कोई स्त्री नहीं जा सकती । जिस प्रकार कि हमारी सूचना है उस के अनुसार मैं आप को बताता हूं कि वहां वैस्ट पाकिस्तान छोड़ कर और जगह पहुंचा दी गई हैं । ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में भी स्त्रियों को भगाया गया है । पिछली बार जब यह डिबेट हुई थी तब श्री अरुण चन्द्र गुहा ने कहा था कि आप के इस कानून द्वारा या सन्धि द्वारा आप की सरकार की तरफ से जो स्त्रियां ईस्ट पाकिस्तान में गुंडों द्वारा भगाई गई हैं इस के लिये कोई भी कोशिश नहीं हो रही है । यहां की स्त्रियों के बारे में, मुसलमान स्त्रियों के बारे में आप की आंखों में जितने आंसू आते हैं उतने आंसू आप की आंखों में ईस्ट बंगाल में जो स्त्रियां हज़ारों की तादाद में गुंडों द्वारा भगाई गई हैं, नहीं आते । मेरे पास चिट्ठियां आई हैं, आप के पास भी पत्र आये होंगे कि अभी भी ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सी स्त्रियां गुंडों द्वारा भगाई हुई हैं । मेरे पास उदाहरण है कि वैस्ट पाकिस्तान से काबुल में, ईरान में और ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में भी स्त्रियां जा कर बेची गई हैं । मेरे पास ईस्ट अफ्रीका से और साउथ अफ्रीका से इस प्रकार की चिट्ठियां आई थीं । मैं ने यहां के विदेश विभाग को उन को भेजा था । उस की तरफ से मुझे जवाब आया कि हम इस की तरफ ध्यान दे रहे हैं । बात यह है कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ आप का ध्यान नहीं है ।

यह जो काम करने वाला आर्गेनाइज़ेशन है यह जो दोनों देशों के साथ सम्बन्ध रखने वाला आर्गेनाइज़ेशन है, इस की तरफ आप जब ध्यान दे रहे हैं तब आप को यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यह चीज़ें चल रही हैं । पाकिस्तान से जो आने वाली स्त्रियां हैं आज पांच साल इस काम को करते हो गये

और इस पांच साल म केवल आठ हज़ार स्त्रियां आईं। इस दरमियान में मेरी समझ में अगर काम ठीक तरह वहां होता तो काफ़ी तादाद में स्त्रियां आनी चाहियें थीं। इस काम में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड और सिर्फ़ जस्टिस डिनाइड ही नहीं, यह अत्याचार भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा मनुष्यता का प्रश्न है। मुझे खुद को पता नहीं, किसी की समझ में नहीं आ सकता कि हम इस कार्य में लोगों पर दया कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दुनिया में ऐसे प्रश्न हैं कि जिन के बारे में सत्य क्या है और असत्य क्या है, आप समझ नहीं सकते। एक स्त्री की एक शादी हो जाती है। वह यहां पांच साल तक पति के साथ रहती है, बाल बच्चे पैदा होते हैं। उस का परिवार और प्रेम सम्बन्ध यहां पैदा हो जाता है। मै समझता हूं कि उस स्त्री को अपने बच्चों से, अपने पति से, यहां छुड़ा कर उस के अपने रिश्तेदारों के पास जबरदस्ती उधर ले जाना, मुझे पता नहीं कि इस कार्य से आप उस पर दया कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं। यह प्रश्न जितना आप समझते हैं उतना आसान नहीं है। स्त्री दस वर्ष के पश्चात् भी अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती होगी, पुराने वायु मंडल में जाना चाहेगी, यह हो सकता है। यह मैं भी समझता हूं। लेकिन उस के साथ साथ नये प्रकार के बन्धन भी स्थापित हो सकते हैं, उस के हृदय में नये प्रेम के बन्धन भी हो जाते हैं। इसी कारण से मैं समझता हूं कि जैसे जैसे एक एक वर्ष का आप विलम्ब करते हैं वैसे वैसे यह प्रश्न उतना सरल नहीं रह जाता। इस मानवता के और मनुष्यता के सवाल में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। इस कार्य में चार पांच वर्ष तक ध्यान देने के पश्चात् इतने विलम्ब के पश्चात् मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कितने साल के बाद आप इस प्रश्न को समाप्त करने वाले हैं। हम आप से यह कहना चाहते हैं कि आप को पाकिस्तान पर इस प्रकार का प्रैशर लाना चाहिये कि जिस उत्साह से यहां काम हो रहा है, जिस प्रकार से यहां सोशियल वर्कर्स यहां के काम कर रहे हैं उसी तरह से वहां भी कार्य हो। उन की तरफ से मुझे उत्तर दिया गया कि पाकिस्तान में जो इलाके हैं यह इलाके पहले ही औरतों को भगा कर ले जाने वाले इलाके हैं। उन में कुछ खास एरियाज़ हैं, वहां हम जा नहीं सकते। इस कारण पाकिस्तान में जो रिकवरी हो रही है यह रिकवरी धीमी हो रही है।

मैं उन की यह बात मानने को तैयार हूं कि यहां हमारे सोलह हज़ार स्त्रियों को निकालने के पश्चात् कम से कम आठ हज़ार हमारी स्त्रियां तो वहां पाकिस्तान से निकल आयेंगी, अगर पूरी नहीं तो थोड़ी तो हमारी स्त्रियां वहां से निकल आयेंगी, लेकिन अगर आप यहां हिन्दुस्तान में अपहृत की गई स्त्रियों को नहीं निकालेंगे, तो वहां से भी आप की स्त्रियां नहीं निकल पायेंगी। मैं इस तर्क से असहमत नहीं हूं, केवल मैं तो लाला अचिन्तराम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला कर कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि मनुष्यता के नाते हमें यहां स्त्रियों को निकालना चाहिये और जो उधर पाकिस्तान वापिस जाना चाहें उन को हमें ज़रूर भेजना चाहिये, मैं इस के खिलाफ़ नहीं हूं, लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसा क़ानून बनाते समय और इस काम के लिये रुपया मांगते समय, मंज़ूरी देते वक्त हम को यह पूछने का अधिकार है कि आप जो पाकिस्तान से इस बारे में सन्धि कर रहे हैं उस सन्धि से क्या वास्तव में इस देश की भलाई होने वाली है? मीरपुर के भाई आंखों में आंसू भर कर मुझे बताने लगे कि आज भी कम से कम

[श्री वी० जी० देशपाँडे]

आठ से दस हज़ार तक हिन्दू स्त्रियां आज़ाद काश्मीर में फंसी हुई हैं । उन्होंने यहां तक मुझे बताया कि स्वयं हबीबुर रहमान के अपने घर में आठ, दस हिन्दू स्त्रियां हैं, और बड़े बड़े वहां के अफसरों के पास हिन्दू स्त्रियां हैं। वह कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के पास गये दूसरे मिनिस्टरों के पास गये और हम मृदुला बेन के पास गये, लेकिन हमारी कोई बात पूछने को तैयार नहीं हुआ और उल्टे हम को वह कहते हैं कि यह काश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और स्वयं हिन्दू ही उन को भगा कर यहां हिन्दुस्तान में अपने साथ ले आये हैं और हमारी काश्मीरी लड़कियों को तो स्वयं हिन्दुओं से ही बचाने का हमारे सामने सवाल पेश है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का बार बार कम्युनल पार्टी का नाम ले कर अपना दोष छिपाना उचित नहीं है । उन्होंने कहा कि रेडक्रास के मार्फत हम उन को बचा कर ला नहीं सकते और बार बार यह डर दिखाते हैं कि अगर हम ने कुछ किया तो पाकिस्तान रिटैलिएटरी मेज़र अख्तियार करेगा और दूसरे बार बार कम्युनल बोगी का एक भूत सामने रख कर खुद अपने दोष को छिपाना चाहते हैं। प्राइवेटली यह क्या क्या करते हैं, मुझे खुद पता है कम्युनल बाडी की आड़ ले कर अपनी खामी को ढकना चाहते हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िम्मेदारी ईवेड करने की नीति छोड़ देनी चाहिये। आज असली सवाल तो यह है कि जो दस हज़ार हमारी स्त्रियां आज़ाद काश्मीर में हैं, उन को आप रेडक्रास की मार्फत तो छुड़ा नहीं सकते और न आप दूसरे रास्तों से उन को यहां पर ला सकते हैं, आज उन स्त्रियों के नाम पते और ठिकाने उन के रिश्तेदारों के पास यहां मौजूद हैं, और एक पूरी फ़ेहरिस्त जिन में उन के नाम व पते हैं मीरपुर की डिस्प्लेस्ड असोसियेशन के पास मौजूद हैं, वहां वे उन स्त्रियों के पत्र भी यहां पर प्राप्त हुए हैं जिन में उन्हों ने लिखा है कि वह वहां पर हैं और वह भारत आना चाहती हैं। उन को वहां से निकालने के लिये और बचाने के लिये हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है । मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट जान बूझ कर इसी अस्ली सवाल को ईवेड कर रही है और इस तरह पर यहां तर्क दे रही है कि आप यह आर्गेनाइज़ेशन चलाना चाहते हैं या नहीं । सवाल आर्गेनाइज़ेशन के चलाने या न चलाने का नहीं है, हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी मशीनरी पैदा हो जो वहां से हमारी स्त्रियों को छुड़ा कर यहां भारत में ला सके, और साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि यहां से भी स्त्रियों को छुड़ाने की मशीनरी हो, लेकिन आप की यह जो मौजूदा मशीनरी इस काम के लिए है, वह मशीनरी यह काम नहीं कर सकती यह चार सालों में हम ने अच्छी तरह देख लिया है । इस कारण हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी मशीनरी सेट अप करे जो इस काम को योग्यतापूर्वक पूरा कर सके और जिस के खिलाफ़ पबलिक में शिकायतें न हों । आप की इस मशीनरी के विरुद्ध तो जनता में बहुत शिकायत हैं, मुमकिन है कि सारी शिकायतें सही न हों, लेकिन सब तो गलत हो नहीं सकतीं और शिकायतों में कुछ तो सार होता ही है । यह रेस्टोरेशन मशीनरी वाले लोग आ कर किसी भी स्त्री को उठा कर ले जा सकते हैं और ऐसी शिकायतें आई हैं कि वह ज़बर्दस्ती उठा कर ले गये हैं, संभव है कि ऐसी शिकायतें करने वाले इंटरेस्टेड पार्टी हों और इस वजह से शिकायत करते हों, लेकिन यह तो हो नहीं सकता कि सारी की सारी शिकायतें गलत हों और इंटरेस्टेड पार्टी की वजह से हों, उन में कुछ ज़रूर सच होंगी । इस सब के खिलाफ़ कोई सुनवाई नहीं सब कानून आप ने बन्द

कर दिये हैं, उस के लिये कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं, कोई इंडियन पैनेल कोड नहीं है जिस से ऐबडक्टेड वीमन के लिए जो आप की यह रेस्टोरेशन की मशीनरी है उस की ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके । आपके इस आर्गेनाइज़ेशन ने काश्मीर और पूर्वी बंगाल की स्त्रियों को छुड़ाने के लिये कुछ नहीं किया और न उस के पास उन को छुड़ा कर लाने का कोई मार्ग है । आंकड़ों में मैं देखता हूं कि हम ने तो १८ हज़ार मुस्लिम स्त्रियों को छुड़ाया और वहां से केवल आठ हज़ार ही हम निकाल सके ।

हमें पता चला कि तीन हज़ार पाकिस्तानी अफ़सरों के घर में यह स्त्रियां हैं, मैं ने उन से पूछा कि बतलाइये कि यह औरतें अफ़सरों के घर में कैसे रह सकीं, आख़िर वह गवर्नमेंट है कि क्या है तो मुझे कहा गया कि तुम हिन्दू सभा वाले बड़े बदमाश हो, और कम्युनल हो । हमारी गवर्नमेंट एक सेक्यूलर स्टेट है और दूसरे हमारी भी तो सरकारी नौकरों के घरों में स्त्रियां हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों के घरों में ऐसी स्त्रियां नहीं हैं और यदि दलील के लिये माना भी जाय कि यह सच है तो मेरा सवाल है कि वह क्या बड़ी सेक्यूलर स्टेट है, आप के सरकारी नौकरों के घरों में स्त्रियां हों और आप इस चीज़ को सहते हों, आप उन को इस कृत्य के लिए क्या निकाल नहीं सकते हो, और सज़ा नहीं दे सकते हो और इस पर भी आप कहते हो कि यह बड़ी एफ़ीशियेंट आर्गेनाइज़ेशन है, योग्य संस्था है । मैं अन्त में केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं और वह किसी फ़िरक़ेवाराना या साम्प्रदायिक विचार से नहीं कि आप इस आर्गेनाइज़ेशन पर जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और उस विषय में आप यह विधेयक हाउस की स्वीकृति के लिये लाये हैं, यह विधेयक जो आप पास कराना चाहते हैं बड़े महत्व का है और लोगों को इसके ख़िलाफ़ बड़ी शिकायत है, इस कारण मेरी यह प्रार्थना है कि इस बिल को थोड़े दिन के लिये स्थगित कर के और इस के बारे में जनता की राय ले कर और सब से बातचीत कर के मिनिस्टर साहब इस बिल को यहां स्वीकृति के लिये लायें । लोगों के पास इस सम्बन्ध में अनेक योजनायें हैं जिन के ज़रिये वहां से हम अपनी बहिनों को यहां गौरव के साथ वापिस ला सकते हैं और यहां जो मुसलमान बहिनें होंगी, उन को हम उन के रिश्तेदारों के पास बड़े गौरव के साथ वहां भेज सकते हैं, इस प्रकार की योजनायें हमारे पास हैं और इसी कारण मैं मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह वर्तमान बिल अभी स्थगित कर दें और बाद में अच्छी तरह इस पर बात चीत कर के और लोगों की राय जान लेने के बाद स्वीकृति के लिये सदन के सामने पेश करें, बस मेरा उन से यही अनुरोध है ।

**पंडित के० सी० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : श्रीमान् मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । अन्तिम वक्ता के भाषण को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । उनका तर्क यह है कि हमें इस बात का अन्दाज़ा लगाना चाहिये कि इस क़ानून का क्या असर होगा और पाकिस्तान में दूसरी क्या प्रतिक्रिया होगी; क्या पाकिस्तान में इसका स्वागत होगा । मेरा कहना तो केवल यह है कि किसी व्यक्ति को भगा कर ले जाना बड़ा भारी जुर्म है और जब तक कोई राज्य किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था नहीं करता तब तक उसकी नींव कमज़ोर रहेगी और वहां अशान्ति एवं अव्यवस्था का ही राज होगा । चाहे पाकिस्तान हो या मुसलमान, जब तक लोग यहां रहते हैं तब तक उन्हें आने जाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये और उन्हें सुरक्षा मिलती रहनी चाहिये । यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है ।

[पंडित के० सी० शर्मा]

यह तर्क करना गलत होगा कि चूंकि एक जगह इस अपराध के लिये दण्ड नहीं दिया गया है अतः हमें भी दण्ड नहीं देना चाहिये। जहां ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर किये गये हैं, वहां तो इसके लिये बहुत जल्दी और बहुत प्रभावकारी क़दम उठाये जाने चाहियें। एक बात और है। जैसा लाला अचिंत राम ने कहा, इस समस्या को सुलझाते समय, हमें एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। स्त्रियों और बच्चों को वापस अपने घरों को लौटाने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक पाकिस्तान में इसकी प्रतिक्रिया का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान—अपहरण जैसे अपराध को और वह भी इतने बड़े पैमाने पर कभी भी सहन नहीं कर सकता। हमें तो यही सोच कर आगे बढ़ना चाहिये कि यदि हम अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटेंगे तो दूसरे लोग भी अपना कर्त्तव्य निभाने में कमी नहीं छोड़ेंगे।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : जहां तक विधेयक के सिद्धान्तों का प्रश्न है, मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। वास्तव में इनसे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। स्त्रियों के साथ, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, जो नीचतापूर्ण व्यवहार किया गया है, उससे शर्म के मारे हमारी गर्दन झुक जाती है। जो व्यक्ति इस प्रकार की ज़िन्दगी से अपने को छुड़ाना चाहते हैं और वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनकी सहायता करने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा। इन स्त्रियों के साथ अमानुषिक व्यवहार हुआ है; हम यह कदापि सहन नहीं कर सकते कि चूंकि एक जगह किसी ने कोई गलत काम किया है, तो हम भी वही गलत काम करें।

इस विषय में मैं एक बात कहूंगी। यह समस्या पांच वर्ष पुरानी हो गई है, अतः हमें निश्चित रूप से यह देखना चाहिये कि उन्हीं स्त्रियों को लौटाया जाये जो वास्तव में जाना चाहती हों; यदि वे उन लोगों के पास ही रहना चाहें, जो उन्हें भगा कर लाये थे परन्तु जिनसे अब उन्हें प्रेम हो गया है या जिन्हें वे अब अपना समझने लगी हैं, तो उनके साथ ज़बरदस्ती न की जाये। आंकड़ों से पता चलता है कि पुनः प्राप्त किये गये व्यक्तियों में से केवल .००३ प्रतिशत ही कैम्पों में रहे हैं; बाक़ी सब अपने सम्बन्धियों के पास चले गये हैं। यदि यह बात है तो हमें इस विधेयक का समर्थन करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

मुझे यह जान कर बहुत ख़ुशी हुई कि जितनी स्त्रियां और बच्चे वापस आये हैं उन्हें उनके सम्बन्धियों ने स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत उत्साहजनक बात है। कम से कम हमारे हिन्दू समाज में हमें इस बात का डर है कि शायद यह समाज इस प्रकार की स्त्रियों को लेने से इंकार कर दे। हमारे कार्यकर्त्ताओं को देखना होगा कि इस तरह की बातें न हों। तब ही हमारा यह काम सफल माना जायेगा। दूसरी बात कैम्पों के बारे में है। आजकल पुनर्वास कैम्पों में जो स्त्रियां रह रही हैं उनकी दशा ठीक नहीं है। बार बार उन्हें विस्थापित किया गया है। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि इन स्त्रियों को जल्दी से जल्दी पुनर्वासित किया जाये। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वह स्त्रियां फिर से सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें और समाज में अपना एक विशिष्ट स्तर स्थापित कर सकें। यह एक बहुत कड़ा कार्य है और इसे पूरा करने के लिये हमें राजनैतिक दृष्टिकोण छोड़ कर मानव भावना का दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस काम के करने वाले लोग बहुत होशियार होने चाहियें ताकि यह स्त्रियां जो पहले से ही बहुत परेशान हैं, ठीक तरह से पुनर्वासित हो सकें।

**श्री बासप्पा** (टुमकुर) : इस विधेयक का विषय एक बड़ा गम्भीर विषय है; इस पर अपने विचार प्रगट करने का मौक़ा पाकर मुझे प्रसन्नता है। शरणार्थियों की समस्या और फिर अपहृत स्त्रियों और बच्चों की यह समस्या हमारे सामने पांच वर्षों से है। निश्चय ही यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है और इससे अल्पसंख्यक जातियों में एक निराशा की भावना पैदा हो गई है। सदन के प्रत्येक सदस्य को चाहिये कि वह इस विषय में सोचे और उपाय ढूंढे। लोगों में कुछ ऐसी भावना हो गई है कि इस मामले में हमें बदले के रूप में कुछ उपाय करने होंगे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि पांच वर्ष हो गये हैं; सब अपनी अपनी जगह स्थापित हो चुके हैं, अब उन्हें फिर वहां से उखाड़ने से क्या फ़ायदा है। इस प्रकार अन्य बहुत सी बातें कही जाने लगी हैं। हमें इस प्रकार के विचारों की ओर ध्यान नहीं देना है। सरकार के लिये यह ठीक है कि वह इस विधेयक को एक वर्ष के लिये और बढ़ा दे और फिर देखे कि वह इस विषय में क्या कर सकती है।

यह भी कहा गया है पुनः प्राप्ति का काम बहुत कम हुआ है। इस सिलसिले में मैं केवल यही कहूंगा कि सरकार को इस समस्या को सुलझाने में और अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिये और अधिक से अधिक लोगों को वापस लेने का प्रयत्न करना चाहिये।

इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय सरकार को कुछ और अधिकार दिये जाने की व्यवस्था भी की जाती है। अब तक यह कानून कुछ पड़ौसी राज्यों में लागू नहीं होता था जिसके कारण लोग स्त्रियों और बच्चों को भगा कर इन राज्यों में चले जाते थे जहां उनको गिरफ्तार करना कठिन होता था। इस विधेयक के द्वारा यह कमी दूर की जा रही है और केन्द्रीय सरकार को यथोचित अधिकार दिये जा रहे हैं।

जहां तक सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि यदि ये लोग कुछ अनियमित बातें कर रहे हों तो उन्हें रोका जाना चाहिये मगर कोई ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिये, जिससे इन लोगों के उत्साह में कमी हो। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।**

---

**सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के पश्चात् ढाई बजे पुनः समवेत हुई।**

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

## राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश

**सचिव महोदय**: श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना देनी है :

"(१) मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य परिषद् ने लोक सभा द्वारा पारित लोहा तथा इस्पात कम्पनियां एकीकरण विधेयक, १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य परिषद् ने लोक सभा द्वारा पारित संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(३) लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५२ को, जो कि राज्य परिषद् को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा गया था, राज्य परिषद् बिना किसी सिफारिश के वापस भेजती है।"

---

## अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक—(जारी)

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : सदन में ऐसा कहा गया है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इस विधेयक के सिद्धान्तों के ही विरुद्ध हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोई सदस्य विधेयक के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है। कुछ इस प्रकार की बात भी लॉबियों में सुनाई दी गई है कि इस विधेयक का केवल सम्प्रदायवादी ही विरोध करेंगे, शेष सब लोग इससे सहमत होंगे। मैं नहीं कह सकता कि यह बात किस मतलब से कही गई थी, हो सकता है कि विभाग की अकुशलता को छिपाने के उद्देश्य से ही ऐसा कहा गया हो।

हम सब इस बात को समझते हैं कि स्त्रियों और बच्चों को भगा कर ले जाने से अधिक नीच और पशुतापूर्ण कार्य कोई और नहीं हो सकता। उस ज़माने में लोग पागल से हो गये थे और इसी पागलपन में उन्होंने यह काम किये। इस आधार पर हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि इस समस्या को मानव-भावना के दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिये, हम इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है और कोई भी देश जो इस प्रकार के अपराधियों को सज़ा नहीं देता, क़ायम नहीं रह सकता। निश्चय ही उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। परन्तु मूल अधिनियम की प्रस्तावना में जब यह कहा गया है कि इस अधिनियम में "पाकिस्तान के साथ हुए समझौते का अनुसरण करते हुए" अमुक व्यवस्था की गई है तो क्या हमें यह पूछने का अधिकार नहीं कि इस समझौते पर दोनों ओर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है? क्या हमारे यह पूछने से कि सरकार ने पाकिस्तान में भगाई गई स्त्रियों को वापस लौटाने के बारे में क्या किया है, हम सम्प्रदायवादी हो जाते हैं? हम यह चाहते हैं कि हर एक भगाई हुई स्त्री को उसके सम्बन्धियों को लौटा दिया जाये और इस काम में हम पूरी तरह सहयोग देने के लिये तैयार हैं। मगर ज्यों ही हम इस बात का ज़िक्र करते हैं कि सीमान्त के उस ओर ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्हें हमें वापस लाना है त्यों ही हमारी बात का कुछ बुरा सा मान लिया जाता है और हमें सम्प्रदायवादी का नाम दे दिया जाता है। मैं पूछता हूं क्या सरकार का उन स्त्रियों की ओर ध्यान देने का कर्त्तव्य नहीं है जो पाकिस्तान में रह गई हैं? हम लोग ही, जिन्होंने यह दुख सहे हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं कि वह पाकिस्तान में भगाई गई ३३००० औरतों को यहां वापस अपने सम्बन्धियों को लौटाने की व्यवस्था करे? क्या हमारी इस मांग से हमें आप सम्प्रदायवादी कहेंगे? हमारी सैकड़ों बहनें और बेटियां पाकिस्तान में रह गई हैं तो क्या सरकार का यह फ़र्ज़ नहीं कि उन्हें अपने सम्बन्धियों तक पहुंचाने की व्यवस्था करे? यदि आप इतिहास देखें तो पता लगेगा कि स्त्रियों के ऊपर बल्कि केवल एक स्त्री पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ख़ैर, मैं यह नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान से इस मामले में लड़ाई लड़ें। परन्तु मैं यह अवश्य अनुभव करता हूं कि हमारे लिये यह उचित नहीं कि हम उन लुटेरों के साथ जो हमारी बहन-बेटियों को भगा कर ले गये हैं एक ही मेज़ पर बैठ कर बातें करें और दावतें उड़ायें। कम से कम हमें ऐसी बात तो करनी चाहिये जिससे प्रगट हो कि हम उन असहाय स्त्रियों के प्रति चिन्तित हैं। जब हम

यह कहते हैं कि पाकिस्तान इस समझौते पर सच्चे दिल से काम नहीं कर रहा है तो हमारा मतलब यह नहीं कि हमें इस दिशा में प्रयत्न करना ही छोड़ देना चाहिये । हमारा कहना तो यह है कि बजाय अधिनियम बनाने के हम यह काम मानव-उपकार की भावना से करें तो वह अधिक अच्छा होगा। चूंकि हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं इसीलिये हम ऐसा करें। हमें यह नहीं कहना चाहिये कि चूंकि एक समझौता हुआ है इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं, यदि यह समझौता है तो एकपक्षीय समझौता है क्योंकि पाकिस्तान तो इस पर अमल कर नहीं रहा है।

इसके बाद मैं कुछ पुनः प्राप्ति विभाग के बारे में कहूंगा। मैं राज्य परिषद् के सदस्य सरदार करतारसिंह के विचार से सहमत हूं कि पुनः प्राप्ति विभाग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वह अपना काम उस ढंग से नहीं कर रहा जिस ढंग से उसे करना चाहिये। ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने विभाजन से बहुत समय पूर्व हिन्दू लड़कों के साथ शादी की थी; आज मौक़े से फ़ायदा उठा कर इन स्त्रियों को उड़ा दिया गया है और फिर उनको पुलिस अधिकारियों के सामने लाकर कहा जाता है कि यह अपहृत स्त्रियां हैं। और पुलिस वाले बिना जांच किये कि उस मुसलमान स्त्री ने हिन्दू या सिख लड़के से कब शादी की थी, उसे ले जाते हैं। इस प्रकार के मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं और मैंने यहां आपके सामने दिये भी हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। निक्कासिंह नाम के एक व्यक्ति ने एक मुसलमान स्त्री को रख रखा था। वह स्त्री अपने साथ एक तीन वर्षीय बालिका भी लाई थी और निक्कासिंह ने उसे अपनी लड़की की तरह पाला। जब वह २१ वर्ष की हुई तो निक्कासिंह ने वर्ष १९४५ में उसकी शादी वीरसिंह नामक व्यक्ति से कर दी। शादी के बाद वीरसिंह ने १९४५ में उस लड़की को एक स्कूल में दाखिल करा दिया। २७ जनवरी १९५२ को एक सब इंसपेक्टर पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया। २८ तारीख को उस लड़की को पहले फ़ीरोज़पुर ले जाया गया और वहां से जालंधर। लड़की का पति उसके पीछे पीछे भागता फिरा और जालंधर आकर उसने सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को सारा मामला बतलाया। सुपरिन्टेन्डेंट ने लड़की का बयान लिया जिसमें उसने यही कहा कि वह एक सिख लड़की है, उसे उसके सिख पिता ने पाला है और वीरसिंह से उसकी शादी की है। फिर वीरसिंह से अपना सबूत देने को कहा गया। उसने लड़की के भाई की गवाही दी। २० फरवरी को वीरसिंह से जालंधर में कोठी नं० २०० में उपस्थित होने को कहा गया। पता नहीं वह किसका निवास स्थान था? पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर का था या किसी और का? परन्तु वह था कोई मुसलमान अधिकारी। उस मुसलमान अधिकारी ने वीरसिंह से फिर से सबूत पेश करने के लिये कहा। जब तक वीरसिंह सबूत लाये, उस लड़की को वहां से उड़ा कर पाकिस्तान भेज दिया गया। वीरसिंह ने तुरन्त सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को सूचना दी और उससे कहा कि उसकी पत्नी को भगा दिया गया है। सुपरिन्टेन्डेंट ने वीरसिंह को मुसलमान अधिकारी से फिर मिलने को कहा। वह उसे मिला और उसने राय दी कि वह दिल्ली आकर अंडर सेक्रेटरी से मिले। बिचारा दिल्ली भागा आया। यहां से उसे फिर जालन्धर बुलाया गया। उसके बाद वह फिर दिल्ली आया और उससे कहा गया कि उसके मामले की जांच हो रही है। उसने इस बीच पचासों चक्कर इधर से उधर लगाये। कभी कहा गया कि जांच हो रही है। कभी कहा गया कि जांच के परिणामों का पता लगाना बाक़ी है और कभी कहा गया कि उसको अपने घर के पते पर

[सरदार हुक्म सिंह]

सूचना दे दी जायेगी । कुछ दिन बाद वह सेक्रेटरी से मिलने फिर यहां आया । सेक्रेटरी साहब यहां थे नहीं । सरदार गुरमुख सिंह मुसाफ़िर ने भी अन्डर सेक्रेटरी से इस मामले की सुनवाई करने के लिये कहा । इस बीच उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया । अब वीरसिंह से सेक्रेटरी द्वारा कहा जाता है कि चूंकि अधिनियम अवैध घोषित हो गया है उसका हर एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा ; इसलिये वह अब घर चला जाये । वीरसिंह घर आ गया और अपनी पत्नी को फिर से पाने की आशा करने लगा । आज ६ महीने हो गये हैं, लड़की का कोई पता नहीं है । वीरसिंह १००० रु० इस पर खर्च चुका है और इतनी तक़लीफ सह चुका है । परन्तु इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है । तो यह है हमारे पुनः प्राप्ति विभाग का काम । हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह विभाग असली मामलों की जांच तो करता नहीं बल्कि अपने जोश में वह उन स्त्रियों को अपने घरों से उखाड़ रहा है जो वर्षों से स्थापित हैं और बहुत अच्छी तरह से रहे चली आ रही हैं । वह उन लड़कियों को पकड़ रहा है जो इस अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आतीं । यदि इस प्रकार का पुनः प्राप्ति विभाग जारी रहता है तो मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । यदि यही बात रहेगी तो इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा और इस पर रुपया खर्च करना बिल्कुल बेकार होगा ।

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : निश्चय ही यह विधेयक ऐसा है जिस पर हमें बिना किसी दल की भावना के विचार करना है । यह विधेयक उन असाधारण घटनाओं के फलस्वरूप है जो भारत में और पाकिस्तान में कुछ वर्ष हुए जब हुई थीं । हम में से जिन्होंने कि १९४७ के अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर महीनों में पाकिस्तान और भारत में हुई इन अमानुषिक घटनाओं को देखा है या सुना है, वे इन्हें कभी नहीं भूल सकते । उस समय लोग मनुष्यता छोड़ कर पशुओं का सा व्यवहार करने लगे थे । हम यह नहीं कह सकते कि केवल पाकिस्तान ने ही ऐसा किया, हमने भी किया । दोनों देशों में ही यह घटनायें हुई हैं । इनमें सबसे दुःखद घटनायें स्त्रियों और बच्चों को भगा कर ले जाने की हैं । स्त्रियों के साथ जो नीच व्यवहार हुआ है वह इस सारी कथा का सबसे दयनीय भाग है । यह बात नहीं थी कि एक दो स्त्रियों को प्रेमावेश में आकर भगा कर ले जाया गया हो । उस समय तो सम्प्रदायवादी झगड़े को जारी करने के लिये औरतों को भगाना जानबूझ कर एक साधन बनाया गया था ।

मैं किसी एक व्यक्ति को या उन सारे व्यक्तियों को भी जिन्होंने यह अपराध किये हैं दोषी नहीं ठहरा रहा । उस समय चारों ओर पागलपन सा छाया हुआ था । लोग उस पागलपन में यह काम कर रहे थे । परन्तु जब यह पागलपन खत्म हुआ तो हमने सोचा कि किस प्रकार दोनों देशों में लोग पशुओं का सा व्यवहार कर रहे थे । चाहे इसका कारण कुछ भी हो यह ज़रूर था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लोग मनुष्यता छोड़ चुके थे । स्त्रियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना तो बहुत बुरा था ही मगर इससे भी बुरा यह था कि लोग जान बूझ कर बदला लेने की भावना से इसी हथियार का इस्तेमाल करने लगे थे । यह एक बहुत बुरी चीज़ थी ।

इन घटनाओं के बाद, लोगों का ध्यान अपहृत स्त्रियों की ओर गया । निश्चय ही, भारत और पाकिस्तान में भले और बुरे दोनों तरह के लोग हैं । यह कहना ग़लत होगा कि अमुक देश में कोई भला आदमी नहीं है ।

कभी कभी अच्छे लोग भी बुरी तरह व्यवहार करते हैं, कभी परिस्थितियां उन्हें बुरा काम करने पर मजबूर करती हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत से लोगों को इन घटनाओं पर बहुत दुःख हुआ और शर्म भी आई। इसलिये सबसे पहले जो काम किया गया वह इन स्त्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिये एक विभाग खोलना था। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ इतने झगड़े होते हुए भी और हमारी उनसे इतनी शिकायतें होते हुए भी वहां के बहुत से लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया।

पाकिस्तान में सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस कार्य में पूरी मेहनत के साथ सहयोग देते रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, जैसे कि भारत में हैं, जो इस मामले में निराश हो चुके हैं और अब रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। फिर वे लुटेरे और डाकू हैं जिन्होंने स्त्रियों को भगाया है और जो अब इस मामले को सुलझाने में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। यह एक बहुत जटिल समस्या है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता लग जाये कि पुलिस उस को पकड़ने वाली है क्योंकि वह एक स्त्री को भगा कर लाया है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस स्त्री को मार डाले और सारे सबूत को खत्म कर दे। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं। हम किसी से सीधे जाकर तो यह नहीं कह सकते कि आप अमुक स्त्री को हमारे हवाले कीजिये। इसके लिये तो हमें उचित कार्यवाही ही करनी होगी और तब ही उस बिचारी औरत को हम बचाने की आशा भी कर सकते हैं। उस औरत से भी यह कह दिया जाता है कि अगर उसने भागने की या अपने सम्बन्धियों के पास जाने की कोशिश की तो उसे मार डाला जायेगा। उसके लिये वापस आना असम्भव ही है। वह बहुत ही नैराश्यपूर्ण तथा दुःखी जीवन व्यतीत करती है।

विधेयक

फिर उन स्त्रियों का प्रश्न उठता है जिन्होंने किसी न किसी तरह नई परिस्थितियों में अपने आपको ढाल लिया है और अब वे वहां स्थापित सी हो गई हैं। वैयक्तिक रूप से मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी स्त्रियों को फिर से उखाड़ना ठीक नहीं। वे जहां रह रही हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाये। परन्तु यदि वे अपने आपको स्थापित नहीं कर पाई हैं तो उन्हें वापस अपने घरों को आने का मौक़ा दिया जाना चाहिये। यदि कोई भी स्त्री ऐसी हो--मान लीजिये पाकिस्तान में भारत की कोई भी स्त्री ऐसी हो जो वहां तकलीफ़ में हो और जिसे ज़बरदस्ती रखा जा रहा हो और जो यहां वापस आना चाहती हो तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे अपने सम्बन्धियों के पास आने का पूरा पूरा मौक़ा दें और सुविधायें दें। हम इस प्रश्न को रुपये पैसे की दृष्टि से नहीं देख सकते। यह ज़रूर है कि हमें फ़िज़ूल पैसा ख़र्च नहीं करना चाहिये मगर जब तक एक औरत भी ऐसी बाक़ी बचती है जो अपने सम्बन्धियों के पास जाना चाहती है तो उसको अपने स्थान तक पहुंचाने में हमें रुपये पैसे का ख्याल नहीं करना होगा। हमें उसकी सहायता के लिये पूरा प्रयत्न करना होगा।

मेरे माननीय मित्र ने जो अभी मुझ से पहले बोल चुके हैं, कुछ ऐसा सुझाव दिया कि हमें इस समस्या को सुलझाने के लिये पाकिस्तान से लड़ाई तो नहीं लड़नी चाहिये मगर हां कुछ दबाव ज़रूर डालना चाहिये। मेरा विचार है कि अन्य मामलों में इस किस्म की कार्यवाही को या इस क़िस्म की बातों को भले ही आप कितना उचित समझें परन्तु इस जैसे नाजुक मामले में, मैं समझता हूं यह एक बहुत गलत क़दम होगा। हमें इस मामले में केवल पाकिस्तान सरकार से ही मतलब नहीं, परन्तु इसमें वह व्यक्ति भी आता है जिसने यह अपराध किया है और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जहां आप इस व्यक्ति को पकड़ने या उसके खिलाफ़ कार्यवाही करने की बात सोचेंगे वहीं उस बिचारी स्त्री की जान आफ़त में पड़ जायेगी। अन्ततः इस सारी समस्या का सम्बन्ध उस स्त्री से है जो कि भगाई गई है। हो सकता है कि उसे ख़त्म कर दिया जाये। तो इस तरह के मामले दोनों सरकारों के परस्पर सहयोग से ही सुलझ सकते हैं। हम अपने यहां की स्त्रियों को ढूंढने के लिये अपनी पुलिस और फ़ौज तो वहां भेज नहीं सकते; न ही हम पाकिस्तान की पुलिस या फ़ौज को अपने यहां इस काम के लिये आने दे सकते हैं। हमें तो वहां की सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था से उसी तरह सहायता लेनी होगी जिस तरह वहां की सरकार हमारे द्वारा स्थापित व्यवस्था से सहायता लेगी।

यह व्यवस्था चार पांच वर्ष पूर्व एक दूसरे की राय पर स्थापित की गई थी। दोनों ओर से इस मामले में काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। कहीं कहीं और कभी कभी कुछ कमियां रही हैं परन्तु फिर भी काम सन्तोषजनक रूप से चलता रहा है। मैं केवल इस व्यवस्था की ही बात कर रहा हूं—सारे पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे काम में अड़चनें डाली हैं और समस्या को उलझाने की ही कोशिश की है। मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की तथा उन पुलिस अधिकारियों का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने इस कार्य में भली स्त्रियों को पुनः प्राप्त करने में अपना भरसक प्रयत्न किया है। इन लोगों के प्रयत्न से एक बार ८००० या ९००० व्यक्तियों को पुनः प्राप्त किया गया और दूसरी बार १५००० या १६००० व्यक्तियों को। मैं समझता हूं यह एक छोटी सी चीज़ नहीं।

माननीय सदस्य पूछते हैं कि पुनः प्राप्ति की प्रतिव्यक्ति लागत कितनी है। वास्तव में, मैं नहीं समझता कि इसका हिसाब किस तरह से लगाया जा सकता है। हां, यह तो बताया जा सकता है कि सारे विभाग पर १५ या २० लाख रुपया या जो कुछ भी हो इस समय में खर्च हुआ है। आप इसके आधार पर प्रतिव्यक्ति लागत निकाल सकते हैं। रुपये पैसों में इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या २०,००० या २५,००० स्त्रियों को वापस लौटाना कम बात है? यदि हमारे यहां की थोड़ी सी स्त्रियां भी इस तरह से फंसी होती, तो उनको वापस लौटा लाने के लिये अपनी पूरी पूरी कोशिश करना हमारा कर्तव्य है।

मेरे माननीय मित्र ने एक खास मामले का जिक्र किया। उन्होंने विस्तारपूर्वक उसकी सारी बातें बतलाईं। स्वाभाविक है कि मैं उस मामले के बारे में जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उसका कुछ पता नहीं। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि ग़लतियां हो सकती हैं और ग़लत क़दम उठाये जा सकते हैं हमारा कर्तव्य होना चाहिये कि ऐसी ग़लतियां न हों और अगर हो गई हों तो फिर उन्हें हमें दूर करना चाहिये। जहां तक इस क़ानून का प्रश्न है, ग़लत लागू होने से या किसी विशेष व्यक्ति के अनुचित व्यवहार से इसका सम्बन्ध नहीं। यह ऐसा मामला है जिसकी अलग जांच की जा सकती है। मैं समझता हूं इस तरह की बातें ज़्यादा नहीं हुई हैं। परन्तु मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति आपके पास आकर जो कुछ कहे वह सब सही हो। इस खास मामले में मैंने पूछताछ करने की कोशिश की और मुझे बताया गया कि इसमें ज़्यादातर काग़ज़ात जाली थे। वे वास्तव में जाली थे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मामले की जांच हो रही है और मुझे पता लगा है कि इस जांच में देर उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम को अवैध

घोषित करने के कारण हो गई थी। यदि सदन चाहें तो मैं सारे मामले का विवरण सदन पटल पर रखवा सकता हूं पर चूंकि आज के बाद सदन की बैठक नहीं हो रही है, उसे परिचालित करवाया जा सकता है। इस मामले का ग़लत या सही होना जांच के ऊपर निर्भर करता है। परन्तु इस मामले का हमारे समक्ष प्रस्तुत मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से, मानवी दृष्टिकोण से या स्त्रियों के सम्मान के दृष्टिकोण से या जनता को स्पष्ट कराने के दृष्टिकोण से हमें इस बात की घोषणा करनी होगी कि लोकमत या संसद् इस प्रकार की बातों को कदापि सहन नहीं करेगा। यदि हम लोगों को यह सोचने दें कि हम इस मामले को अधिक महत्व नहीं देते तो इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में यह घटनायें जारी रहेंगी। इसलिये यह जरूरी है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों के ख़िलाफ़ लोकमत तैयार किया जाये और इसका एक तरीक़ा यह है कि पुनः प्राप्ति का काम चालू रखा जाये जिससे लोगों को पता रहे कि हम इस मामले को काफ़ी महत्व देते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि वर्तमान विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे सदन को एकमत होकर पारित कर देना चाहिये।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि यह बिल कोई बहस का मौजूं नहीं बनेगा और जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री साहब ने कहा है यह "यूनैनिमस्ली" पास होगा, लेकिन मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि इस बिल के सम्बन्ध में भी यहां पर अनेकों अमेंडमेंट्स पेश किये गये और उन अमेंडमेंट्स का मकसद यह था कि इस बिल को पास न किया जाय और अभी स्थगित कर दिया जाय। यह मामला जो कि भगाई हुई औरतों और अपने मां बापों से बिछुड़े हुए बच्चों और औरतों से ताल्लुक रखता है, ऐसा है कि जिसके लिये तमाम कौम की जिम्मेदारी है। पार्टीशन के करने में तमाम कौम की जिम्मेदारी है और इस पार्टीशन के फलस्वरूप हमारे सामने रिफ्यूजीज़ और डिस्पलेस्ड पर्सनस् का मामला भी पेश है, जिसके लिये तमाम नेशन और गवर्नमेंट दोनों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, और वह इतना अहम मामला समझा गया है जिसे सारे देश और गवर्नमेंट ने उठाया है। डिस्प्लेस्ड पर्सन्स तो आखिर अपनी बात कह भी सकते हैं, और अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन भगाई गई औरतें और बच्चे तो अपनी आवाज भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, उन को तो अपनी बात तक कहने की आजादी नहीं है। हम तो समझते थे कि इस काम में कम से कम वह लोग तो जरूर ही आगे आयेंगे जो हर वक्त और हर मौके पर हिन्दू संस्कृति और हिन्दू तहजीब का नाम लिया करते हैं और नित्य प्रति महाराणा प्रताप और शिवाजी की मिसालें दिया करते हैं और उनके नाम पर लोगों को उकसाते हैं, वह कम से कम महाराणा प्रताप और शिवाजी, जिनकी वह मिसालें देते हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन महापुरुषों ने अपने पास आई हुई औरतों और बच्चों को, जो उनके मुखालिफ लोगों के थे, सम्मानपूर्वक और आदर के साथ उनके सम्बन्धियों के पास भिजवाया, वह लोग, जो उनके नाम की दुहाई देते हैं, इस रेस्टोरेशन के काम में आगे होंगे। जिन लोगों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ और उस पार्टीशन के फलस्वरूप देश में यह तमाम बर्बादी आई, भले ही कानूनी तौर से आप पार्टीशन की जिम्मेदारी किसी और पर रखें, लेकिन इस में कोई शक नहीं कि जो लोग आज इस मौके पर इस तरह के सवाल उठाते हैं, वह

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

लोग उस साईकोल्जी के पैदा करने के जिम्मेदार हैं जिस साईकौल्जी की वजह से यह तमाम बर्बादी हुई और हमारे तमाम बच्चे और बहिनें बर्बाद हुईं और जब हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि हम उसके ऊपर एक मरहम लगाना चाहते हैं, उस वक्त हमारे यह भाई बजाय उसमें मदद करने के उल्टे घाव और ताजा करने की कोशिश करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन से जो लोग यह मरहम लगाने का काम करते होते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें डालते हैं.....

**सरदार हुक्म सिंह** : डिप्टी स्पीकर महोदय, मेरी एक विनय है । मैं पूछना चाहता हूं अपने फ़ाजिल दोस्त से जो इतनी तेजी से कह रहे हैं कि यह किस ने कहा है कि इन औरतों को यहां रक्खा जाय ?

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : यह कह देना बड़ा आसान है कि पाकिस्तान से वह लोग जितनी औरतें निकलना चाहिये नहीं निकाल पाते हैं या जल्दी नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन मैं उन दोस्तों को बतलाऊं कि मुझे कुछ उस संस्था के काम को देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह बहिनें और भाई जो इस रेस्टोरेशन के काम को करते हैं, वह अपनी जान का खतरा मोल लेकर वहां पाकिस्तान में अपना काम करने जाते हैं, यहां भी वह काम करते हैं, पाकिस्तान में वह अपनी जान को खतरे में डाल कर बहिनों और बच्चों की तलाश में जाते हैं । आज हमारे यह भाई जो इस बिल को स्थगित कराना चाहते हैं और इसको जनमत जानने के लिये अभी भेजना चाहते हैं, यह वही लोग हैं जिनके लिये प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जब यहां इस देश में एक बहिश्यातापन का मुजाहरा (प्रदर्शन) हो रहा था, उस जमाने में वही लोग और उनकी पार्टी के लोग उसमें हिस्सा लेते थे और बजाय उस खराब फ़िजा को दबाने के उसको उकसाते थे, वही लोग, आज इस बिल को स्थगित करने का सवाल उठा रहे हैं.....

**श्री वी० जी० देशपांडे** : श्रीमान्, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने विधेयक को परिचालित करने के बारे में प्रस्ताव किया है वही स्त्रियों के अपरहरण के लिये जिम्मेदार हैं और वही उनकी पुनः प्राप्ति में रोड़े अटका रहे हैं । इस प्रकार की बातों की सदन में अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी माननीय सदस्य ने विधेयक के सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं की है । कुछ का विचार है कि जब तक दूसरी ओर से भी ऐसी ही कार्यवाही न होगी तब तक यह कानून प्रभावी न होगा । माननीय सदस्य इसी विषय पर बोल सकते हैं ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : मैंने यह नहीं कहा कि यहां जो बैठे हुए हैं और जिन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किये हैं, उन्होंने इस बात को किया है, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि उनकी पार्टी के लोग और उनके अनुयायी इस चीज़ को पैदा करते हैं, ऐसी साईकौल्जी पैदा करते हैं जिससे इस काम में मदद मिलने के बजाय बाधा पहुंचती है और घाव भरने के बजाय और ताजा होता है । यह काम जो हम करने जा रहे हैं बहुत अहम है और हमें मुल्क के अन्दर यह साईकौल्जी पैदा करनी है कि दरअसल हर एक सीटीजन रिक्वरी के काम में मदद दे, यह काम बहुत मुश्किल काम है और मुझे खुशी होगी कि अगर इस काम में मेरे वह साथी भी जो आज इस बिल को मुलतवी करने की बात करते हैं लेकिन इसके उसूल से सहमत हैं, हाथ बंटायें और आगे आयें, आज देशपांडे साहब, सरदार हुक्म सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर मृदुला बहिन

के साथ मिल कर रिक्वरी का काम करें, तो मैं समझता हूं कि इससे एक ऐसी साईकौल्जी पैदा होगी और जिसका नतीजा जरूरी यह होगा कि पाकिस्तान के अन्दर भी रिक्वरी का काम ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसी तरह ज़ख्म पर मरहम रखने के बजाय उसको ताज़ा करते रहे और ऐसी बात करते रहे.....

**सरदार हुक्म सिंह** : डिप्टी स्पीकर साहब, यहां फ्लोर आफ दी हाउस पर गलत स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कौन कहता है है कि नहीं करेंगे और किसने यह कहा? मालूम नहीं किस को खुश करने के लिए गलत स्टेटमेंट दिये जाते हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : उपाध्यक्ष जी, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम यहां कोई बात कहते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि इससे क्या साईकौलोजी पैदा होती है। जो मुखालिफ दल के माननीय सभासद् हैं उनमें से किसी की नियत पर मुझे जरा भी शक नहीं है। मैं किसी की नियत पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बातें वह कहते हैं और जिस तरीके से वह बात कहते हैं, उससे मुल्क में एक ऐसी साईकोलोजी अवश्य पैदा होती है जिसकी वजह से उन लोगों को मदद मिलती है जो इस काम में रुकावट डालना चाहते हैं।

**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जिन से प्रगट होता है कि वह विधेयक के आलोचकों की बात को ठीक प्रकार से समझे नहीं हैं। वातस्व में यह आलोचनायें इस विधेयक के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था के कार्य करने के बारे में थीं। स्त्रियों का सम्मान करना हमारा धर्म है और हमारे पुराने सिद्धान्तों के अनुसार हम सदा से स्त्रियों का आदर करते आये हैं। हमारे दार्शनिक भी इसी का प्रचार करते रहे हैं। हमारे लिये यह बड़ी लज्जा का विषय है कि भारत के विभाजन के बाद इस प्रकार की घटनायें हुईं जिनमें स्त्रियों का अनादर हुआ और जिनमें उनके साथ घोर अत्याचार हुए। मेरा कहना तो दूसरा है। मैं तो आप से यह सवाल पूछता हूं कि आपने पूर्वी बंगाल की उन सैकड़ों और हज़ारों स्त्रियों के लिये क्या किया है जिन्हें भगाकर ले जाया गया है। वहां की एक स्त्री को भी वापिस नहीं लौटाया गया है। आपकी यह व्यवस्था बिल्कुल बेकार और निकम्मी है। यह कहने से क्या फायदा कि हम ने १६,९०० स्त्रियों को वापस लौटाया है? क्या पाकिस्तान ने भी इस समझौते की शर्तों को पूरा किया है? उसने कुछ नहीं किया। हमारे यहां के कांग्रेसी सदस्य श्री गुहा ने भी इस सदन में कहा था कि पूर्वी बंगाल में सैकड़ों लड़कियों को भगा कर ले जाया गया है। याद रखिये पूर्वी बंगाल में यह घटनायें विभाजन के समय नहीं हुई थीं, वहां विभाजन के बाद यह सब हुआ है—और अब तक हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल सरकार के पुनर्वास उपमंत्री के वक्तव्य को पढ़ें; उनका भी यही कहना है कि पूर्वी बंगाल में स्त्रियों के साथ अब भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यह व्यवस्था बिल्कुल निरर्थक है। हमारे प्रधान मंत्री ने या पुनर्वास मंत्री ने इसबारे में कुछ भी नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कहते फिरते हैं कि हमने भारत में १९९९ लड़कियों को खोजा है और पाकिस्तान से ८३२६ लड़कियां मिली हैं। वास्तव में यह आंकड़े पाकिस्तान को उसके भारत-विरोधी प्रचार में सहायता देते हैं। वह कहते हैं, "देखिये, भारत में १७,००० औरतें छड़ाई गई हैं" और जब प्रधान मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत सहयोग दिया है तो इस से यह साबित हो जाता है कि हमने भी अधिक अपराध किये हैं, हमारी तरफ़ ही यह घटनायें ज्यादा हुई हैं। वास्तव में जो बात है वह सब को मालूम है कि अपहृत

[श्री एन० सी० चटर्जी]

स्त्रियों की संख्या सीमान्त के उस ओर ही अधिक है।

मेरी तीन चार शिकायतें हैं। सब से पहले तो मैं यह चाहता हूं कि इस व्यवस्था को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन न रख कर पुनर्वास मंत्रालय के अधीन रखा जाये। यह काम पुनर्वास मंत्रालय का है और उसे ही करना चाहिये। इसके बाद, हम जानते हैं कि यह काम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है; परन्तु अभी तक धीरे-धीरे इसके खर्चे में कमी नहीं आई है। पाकिस्तान में पुनः प्राप्ति का काम बिल्कुल असन्तोषजनक है। लोगों का विचार है कि वहां से वृद्ध औरतों को तो भेज दिया जाता है और जवान लड़कियों को नहीं आने दिया जाता। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

मैं इन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता कि कई मामलों में इस काम के करने वालों ने ज़रूरत से ज्यादा जोश दिखाया है। कई औरतों को ज़बरदस्ती अपनी जगह से उखाड़ा गया है। मैं भी आपको इस के कई उदाहरण दे सकता हूं। इस तरह की चीज़ गलत है क्योंकि इससे समस्या बजाय सुलझने के और अधिक जटिल बनती जाती है। प्रधान मंत्री ने अभी तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जो एक माननीय सदस्य ने श्री गोपाल-स्वामी आयंगार के वक्तव्य के बारे में पूछा था। श्री आयंगर ने कहा था कि पाकिस्तान के लगभग २,५०० सरकारी नौकरों ने अपने यहां अपहृत स्त्रियां रख रखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने इनमें से कितने अपराधियों को सजा दी है। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिससे उनको शर्म आनी चाहिये। हम तो यह जानना चाहते हैं कि आप उन अभागी बहनों और माताओं के लिये क्या कर रहे हैं जो आज भी १९५१ और १९५२ में, उनके कब्जे में हैं और जो वहां अकथनीय दुख सह रही हैं। विभाजन के ५ वर्ष बाद भी आज यह चीज़ हो रही है; मैं पूछता हूं कि इन्हें वापस लौटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**बाबू रामनारायण सिंह** (हजारीबाग पश्चिम): उपसभापति महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने है और जिस पर विचार हो रहा है, उस के सम्बन्ध में अभी प्रधान मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा। आप लोगों ने सुना होगा कि एक जगह उन के कथन पर मैं ने "हिअर-हिअर" भी कहा। बात यह है कि जहां तक विधेयक के साथ मानवता की बात है, मैं समझता हूं कि कोई भारतवासी, जो धर्म से सम्बन्ध रखता है, नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की कोई स्त्री, कोई बच्चा जबर्दस्ती भारत में रहे। क्यों रहे? जो कोई इस के प्रतिकूल भावना रखता है वह अपने धर्म से च्युत होता है। यह तो अलग बात है। इसलिये इस विधेयक को तो पास होना ही चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा कि इस को सर्वसम्मति से पास होना चाहिये। मैं भी कहता हूं कि सर्वसम्मति से पास हो। लेकिन जिस जगह मैं ने प्रधान मंत्री की बात का समर्थन किया था आनन्द से, उस जगह उन्होंने कहा था कि यदि एक भी स्त्री हमारी, हमारे भारतवर्ष की, वहां पर हो तो उस को यहां लाना हमारा कर्त्तव्य है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस के साथ साथ एक बात और है जिस को लोग यहां पर कहते हैं, हमारे भाई लाला अचिन्त राम जी ने भी आज सवेरे कहा कि पाकिस्तान से एक भी भारतीय स्त्री का उद्धार हो या न हो, लेकिन हमें यहां से पाकिस्तानी स्त्रियों का उद्धार करना ही चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बात तो कभी नहीं कहनी चाहिये।

**पंडित अलगू राय शास्त्री** (ज़िला आजमगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया-पश्चिम): यह आप की सही बात है।

**बाबू रामनारायण सिंह**: दोनों ही मुल्क के लिये होना चाहिये। मैं कहता हूं कि एक भी पाकिस्तान की स्त्री या बच्चा हमारे यहां क्यों रहे, उस को न रखा जाय, न रखना ही चाहिये। अगर ऐसा कोई कहता है तो अपने धर्म के अनुसार कहता है, यह अलग बात है, लेकिन दोनों बातों को मिला कर कहने का मतलब क्या है कि वह करें या न करें, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे ही। आज हमारे एक मित्र कह रहे थे कि यहां की बातों का एक साइकालोजिकल ऐफेक्ट होता है। जी हां, होता है। जब ऐसी बात कहते हैं कि वह करें या न करें हम तो करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस का साइकोलोजिकल असर ज़रूर होता है और यह बड़ी खराब बात है।

जैसा अभी हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि एक-एक स्त्री वहां से आनी चाहिये, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस के लिये उपाय करें, यह तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैं कहता हूं कि यह तो सारे देश की बात है, सारी संसद् की बात है, इस लोक सभा की बात है कि हमारी एक स्त्री का भी दूसरे देश में ज़बर्दस्ती रहना हमारे देश के अपमान की बात है। ऐसा कहा जाता है कि अभी हमारी ३३ या ३४ हजार स्त्रियां पाकिस्तान में हैं, और कभी कभी लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि प्रत्येक आदमी का उद्धार करने में कितना खर्च हुआ। मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान से इस के लिये युद्ध करो, लेकिन मैं मानता हूं कि सब को यह समझना चाहिये कि हमारी एक स्त्री का भी वहां रह जाना हमारे सारे देश के लिये अपमान और आत्मसम्मान की बात है, इस लिये इस बारे में खर्च का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो समझता हूं कि हमारे जो ३५, ३६ करोड़ भारतवासी हैं जब उन के सम्मान की बात आती हो, तो उस सम्मान की रक्षा के लिये एक स्त्री की रक्षा के लिये भी हमें जो जो करना पड़े हमें उसे अवश्य करना चाहिये। खर्च की बरत तो दूसरी रही। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह तो उनका कर्त्तव्य है कि उन की रक्षा करें।

**पंडित अलगू राय शास्त्री**: एक सीता के लिये लंका फूंकी गई थी।

**बाबू रामनारायण सिंह**: हमारे भाई बहुत अच्छा कहते हैं कि हिन्दुस्तान में तो यह उदाहरण रखे हुए हैं कि एक एक स्त्री के अपमान के लिये युद्ध हुए, महाभारत हुआ, लंका में युद्ध हुआ और कितने ही लोग मर मिटे हैं। तो इस में क्या शक की बात है? मैं ने भी कहा है कि दोनों को मिलाना नहीं है। तो यह स्त्रियों की रक्षा करें यह तो बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छी बात है। इस में कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन यहां के जो स्त्री बच्चे वहां हैं उन के उद्धार के लिये भी सब कुछ करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह उन का कर्त्तव्य हैं कि उन की रक्षा करें। यह तो सही है। उन्होंने कहा कि क्या युद्ध करें। अरे साहब, युद्ध करना तो बहुत कठिन काम है। युद्ध का सुख दुःख तो संसार में सब कोई जानता है, लेकिन प्रधान मंत्री को इतना तो जानना चाहिये कि जो समाज और जाति युद्ध से डरती है उस को दुनिया में जीवित रहने का हक नहीं है। इतना तो उन्हें मालूम होना चाहिये। मैं भी यही कहता हूं कि युद्ध तो किसी तरह से नहीं होना चाहिये, वह तो सब तरह से बुरा है, लेकिन उस से दबने की बात नहीं है, उस से डरने की बात नहीं है। उस के साथ ही प्रधान मंत्री ने एक बात और बड़ी सुन्दर कही कि यह ऐसा सुन्दर काम है कि यह तो दोनों सरकारों के सहयोग से हो सकता है। बड़ी खुशी की बात है। दोनों सरकारों का सहयोग तो होना ही चाहिये। अगर दोनों सरकारों का सहयोग होने लगे तो हमारे बहुत से प्रश्न हल हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने प्रधान मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या हिन्दुस्तान

[बाबू रामनारायण सिंह]

और पाकिस्तान की सरकारों में सहयोग हो सकता है, क्या यह सम्भव है ? वे सहयोग चाहते हैं। मैं ने यह बहुत बार देखा है और शुरू से देखता आ रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान के सम्बन्ध में यहां बयान दिया जाता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान मानता ही नहीं। हमेशा यही कहा जाता है और यह कहने में लोगों को लज्जा भी नहीं आती है तो सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह की बातें क्या हम को करनी चाहियें। मुझे इस बात का हमेशा दुःख रहा है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में जहां कोई भी बात होती है सरकार की तरफ से तो उस में, चाहे उसे नामर्दी कहिये या बुज़दिली कहिये, हमेशा झलकती रहती है। मालूम होता है कि हमारी सरकार को न अक्ल है, न साहस है और न ईमानदारी है ।

**पंडित अनूप राय शास्त्री**: उदारता है।

**बाबू रामनारायण सिंह** : मैं कहता हूं कि जितना काम हो सब धर्म के साथ हो लेकिन उस से किसी तरह की नामर्दी और बुज़दिली की बात नहीं होनी चाहिये। जो काम हो मुस्तैदी के साथ हो और संकल्प के साथ हो और एक एक आदमी को उद्धार करने में हमारा जो कुछ खर्च हो, जो कुछ बलिदान करना पड़े, सब कुछ करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

**पंडित फ़ोतेदार** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वालों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपहृत बहिनों और माताओं को पुनः प्राप्त करने के लिये यह व्यवस्था की है। यह बड़े खेद का विषय है कि इस जैसे विधेयक का भी यहां विरोध हुआ है। श्री चटर्जी ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि सरकार ने यह चीज़ नहीं की और वह चीज़ नहीं की। परन्तु उन्होंने अपनी ओर से एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया। उन्होंने समस्या को सुलझाने का एक भी उपाय नहीं बतलाया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि पाकिस्तान से केवल वृद्ध स्त्रियां ही वापस लौटाई जाती हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में अधिकृत सूचना है और मैं उन अपहृत स्त्रियों की आयु के बारे में कुछ आंकड़े दे सकता हूं जिन्हें पाकिस्तान से लौटाया गया है। पुनः प्राप्ति इस प्रकार हुई है :

| | |
|---|---|
| १२ वर्ष से कम आयु वाली | ४० प्रतिशत |
| १२ वर्ष और २५ वर्ष के बीच वाली | ४७ " |
| ३५ और ५० वर्ष के बीच वाली | ७ प्रतिशत |
| ५० वर्ष और इससे ऊपर वाली | ६ प्रतिशत |

यह हैं उन स्त्रियों की आयु जिन्हें पाकिस्तान से लौटाया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक का विरोध करना सम्प्रदायवाद की वेदी पर नारी जाति का बलिदान करना होगा। यदि आज हम इस विधेयक का विरोध करेंगे तो हमारी आगामी सन्तान यह समझेगी कि उसके पूर्वजों में इन निरपराध और निस्सहाय स्त्रियों को खोज निकालने और फिर से अपने सम्बन्धियों तक पहुंचाने का साहस न था। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं बिना किसी डर के यह कह सकता हूं कि पुनः प्राप्ति और पुनर्वास का काम करने वाले विभाग ने बहुत सुन्दर और प्रशंसनीय कार्य किया है।

**श्री लोकनाथ मिश्र** (पुरी) : इस विधेयक का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। कोई व्यक्ति भी इस बात से असहमत न होगा कि स्त्रियों का अपहरण बहुत बड़ा पाप है। अपहृत स्त्रियों को खोज निकालना और उन्हें वापस अपने स्थान पर पहुंचाना सब का कर्त्तव्य होना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक का हम क्या करें, अधिनियम की अवधि बढ़ाने से क्या लाभ

होगा। इस विधेयक के द्वारा अधिनियम की अवधि दो वर्ष और बढ़ाई जा रही है। तो यहां में ख्य प्रश्न क्या है ? प्रश्न यह है कि विभाजन के समय जिन औरतों को भगाया गया था उन्हें फिर से किस प्रकार वापस लाया जाये। मैं ने प्रधान मंत्री के भाषण को ध्यान से सुना है। उनका कहना यही था कि स्त्रियों के सम्मान के और आदर के नाते तथा मानवता के नाते हमें यह विधेयक स्वीकार करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि जो औरतें भारत में रहना चाहें उन्हें जबरदस्ती यहां से निकालना ठीक नहीं। हमें यह याद रखना चाहिये कि यह घटनायें १९४७ या १९४८ में हुई थीं यानी आज उन को पांच वर्ष हो गये हैं। मैं पूछता हूं कि भारत में क्या कोई ऐसी स्त्रियां बची हैं और अगर बची हैं तो क्या वे अपने आप को यहां स्थापित नहीं कर सकी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जगह जगह जाते फिरना और यह ढूंढना कि कौन सी स्त्री भगाई गई और फिर से उसे पाकिस्तान लौटाना एक गलत चीज़ होगी। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें फिर से उखाड़ रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिये कि हम उन्हें फिर से विस्थापित न होने दें। उनको यहीं रहने दिया जाये क्योंकि पांच वर्ष एक लम्बा समय होता है और इस समय में एक स्त्री भली प्रकार सब बातें सोच सकती है। आप अब इस विधेयक के द्वारा अधिनियम को दो वर्ष के लिये और बढ़ा रहे हैं जिसका मतलब यह है कि आप इन अपहृत स्त्रियों के जीवन में अभी भी अनिश्चितता बनाये रखेंगे। यह चीज़ इन स्त्रियों के लिये अनुचित होगी।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये आप किसी अपहृत स्त्री को पाकिस्तान भेजते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उसके साथ वहां क्या बर्ताव होगा ? आपको क्या मालूम कि वहां के लोगों की मनोवृत्ति में क्या अन्तर हो गया है कम से कम मैं तो ऐसी औरत को स्वीकार नहीं कर सकता जो पांच वर्ष पहले की अपहृत हो। हो सकता है कि यही हाल उस स्त्री का हो जिसे आप वहां भेज रहे हैं। मानवता के नाते और उन स्त्रियों की स्वयं की भलाई के नाते मेरा यह सुझाव है कि हमें अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति का काम अब बन्द कर देना चाहिये। और इसीलिये मेरा यह कहना है कि हमें इस विधेयक को ही वापस ले लेना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि अब प्रश्न पर मतदान लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब संशोधन प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न है कि :

"विधेयक को, जैसा राज्यपरिषद् द्वारा पारित हुआ है, लोकमत जानने के लिये १५ फरवरी १९५३ तक परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम १९४९, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जैसा राज्यपरिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक के खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं हैं।

खंड १ से ९ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

**श्री अनिल के० चन्दा**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर जिस पर हम लोग आज बहस कर रहे हैं, मैं समझता था कि किसी किस्म की ज़्यादा स्पीचेज नहीं होंगी । लेकिन ताहम देखा गया कि मुझे दोनों साइड तो नहीं कहना चाहिये, लेकिन कुछ मेम्बरान ने एक प्वाइंट आफ व्यू से और दूसरे मेम्बरान ने दूसरें प्वाइंट आफ व्यू से इस बिल के ऊपर तनकीद की । मैं चाहता था कि जो सही पोज़ीशन है वह जनाब की खिदमत में रखूं । मेरा ख्याल था कि इस बिल पर ज़्यादा बहस नहीं होगी सिर्फ इसकी एक साइड पर, जो इस बिल से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखती है, महज़ उस पर कुछ बहस हो सकती थी । और मैं खुश था कि उन मेम्बर साहब ने जिन्होंने यह चाहा कि इस बिल को सरकुलेट किया जाय, मिस्टर देशपांडे ने, जिन्हों ने बहस की, उन्हों ने माकूल बहस की, इस सैंस में कि वह इस बिल को सपोर्ट करते हैं । मेरे ख्याल से इस सारे हाउस में ही क्या, शायद सारे हिन्दुस्तान में कोई राइट माइंडेड आदमी इस बिल की मुखालिफित नहीं करेगा । हम चाहते हैं, जरूर चाहते हैं कि एक एक औरत और एक एक बच्चा जो पाकिस्तान का यहां हो, जो पाकिस्तान जाना चाहता हो, जो हिन्दुस्तान से जाना चाहता हो और पाकिस्तान जाने का ख्वाहिशमन्द हो, उस के रास्ते में कोई रुकावट न हो, खसूसन जिन औरतों के साथ में ज़्यादती हुई है, कौन ऐसा हिस्दुतान में आदमी है जो इस बात को कहेगा कि यह जस्टीफाइड है और अब उन के हिन्दुस्तान से जाने में रुकावट डाली जाय । ऐसा एक शख्स भी नहीं होगा । मेरे ख्याल से यह समझना कि जो इस बिल पर बोले हैं वह मुखालिफ हैं, यह जायज़ नहीं है, लेकिन साथ ही मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं अपने आप को ग़लत ज़ाहिर करूंगा अगर मैं यह जाहिर न करूं कि हर एक इस हाउस का मेम्बर ख्वाह वह किसी ख्याल का हो, इस का ख्वाहिशमन्द है कि एक एक औरत हिन्दुस्तान की, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, और हज़ारहा मुसलमान और हिन्दू औरतें काश्मीर से लुटेरे उठा कर ले गये हैं वह सब वापस की जायें । इसी तरह से जितनी भी मुसलमान औरतें यहां हैं, जिनके साथ यहां ज़्यादती हुई है, वह वहां पहुंचाई जायें, अगर वह वहां जाने की ख्वाहिशमन्द हैं । अगर मेरा यह ख्याल होता, जैसा कि श्री लोकनाथ मिश्र ने ज़ाहिर किया, कि सब औरतें ५ वर्ष के अरसे के बाद वहीं रहना चाहियें जहां कि वह रह गई हैं तो मैं जरूर इस की मुखालिफ़त करता । जब पहला बिल यहां हाउस के सामने आया तो जैसे अभी चन्द मेरे दोस्तों ने उस की वर्किंग पर मुखालिफ़त की है, उसी तरह मैंने भी मुखालिफ़त की थी । लेकिन इस बिल के उसूल की किसी ने मुखालिफ़त नहीं की और न मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी है जो इस बिल के उसूल की मुखालिफ़त करती है जो यह चाहती है कि कोई औरत और बच्चा जो वहां जाना चाहें उस के रास्ते में रुकावटें डाली जायें । अगर कोई ऐसा कहता है तो वह सही बात नहीं कहता है ।

जनाब वाला, असेम्बली में सन १९५० में जब यह बिल आया था, जिस को हम आज लम्बा कर रहे हैं, जिस को ज़्यादा उम्र दे रहे हैं, उस वक्त हमारे श्री गोपालस्वामी साहब ने फरमाया था कि दो हज़ार औरतें पाकिस्तानी अफसरों के कब्ज़े में हैं और उस वक्त मैं ने यह अर्ज़ किया था कि क्यों पाकिस्तान उन औरतों को, जो उन के पब्लिक आफीशिल्स के कब्ज़े में हैं, उन को रखने की इजाजत देती है । मैं ने आज भी जब प्राइम मिनिस्टर

साहिब बोल रहे थे तो अर्ज़ किया था कि हमारा एक एक पब्लिक आफिशियल जो किसी ऐबडक्टैड औरत को अपने कब्ज़े में रखता है, वह उस आफिस पर रहने का हक़दार नहीं है और हमारी गवर्नमेन्ट को चाहिये कि उस को यकक़लम बरखास्त कर दे। मैं चाहता हूं कि इसी तरह जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है कोई पाकिस्तान आफ़िशियल अगर किसी ऐसी औरत को अपने साथ रखता है तो वह उस आफ़िस पर रहने का हक़दार नहीं है, उसको कोई हक़ नहीं है कि वह एक मिनट के वास्ते भी किसी ऐसी औरत को अपने कब्ज़े में रखे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझ को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में क्या क्या दिक्कतें इस मशीनरी को काम करने में आई। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि दर असल जिस तरह जिस ओर से हिन्दुस्तान के अन्दर काम हुआ उस ज़ोर से पाकिस्तान में इसके बारे में काम नहीं हुआ। शिकायतें की गई हैं और कई सूरतों में यहां पर ओवरजैलसनैस की शिकायत की गई है। हमारे सरदार हुक्म सिंह साहब ने, जिन्हों ने इस बिल की मुखालिफ़त नहीं की है, मैं उन को जानता हूं, उन का मुखालिफ़त करने का हरगिज़ मकसद नहीं है, उन्हों ने महज़ एक केस बतलाया है। वह मामला ऐसा है कि उस औरत ने शादी उस वक्त की जब कि पार्टीशन का झगड़ा नहीं हुआ था। ऐसे केसेज़ में ओवरजैलसनैस हुई है। हमारा फर्ज़ है कि ऐसी शिकायतें हम न होने दें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई केस, ख्वाह हिन्दुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो अगर किसी औरत ने पार्टीशन से पहले शादी कर ली थी, ऐसी औरत को अगर कोई अपने कब्ज़े में लेना चाहे, तो वह उसी प्रकार से गिल्टी है जिस प्रकार से वह गिल्टी है कि जो उस को ऐबडक्ट करता है, क्योंकि ऐसे मामले में वह भी ऐबडक्शन ही करता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे केसेज़ इस क़ानून के मातहत हों।

मैं अपने दोस्त श्री लोकनाथ मिश्र से सहमत हूं कि उन औरतों को जिन्हों ने ज़बरदस्ती भी शादी कर ली हो, जिन का ऐबडक्शन किया गया, अब पांच वर्ष के बाद अगर वह हिन्दुस्तान में ही रहना चाहें या पाकिस्तान में ही रहना चाहें, उनको दो बार अपरूट करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। उन को उनकी मर्जी के मुताबिक जहां कहीं रहना चाहें रहने दिया जाय। ऐसे केसेज़ में, चाहे हमारे यहां या चाहे पाकिस्तान में उन को नये सिरे से अपरूट करना जायज नहीं है।

तो किसी का इस बिल को अपोज़ करने का मक़सद नहीं है। बड़े शौक से इस को पास करेंगे। लेकिन यह कहे बगैर मैं हरगिज नहीं रह सकता कि एक एक औरत जो हिन्दुस्तान की पाकिस्तान में मौजूद है, हम उन की वापसी के ख्वाहिशमन्द हैं। जो कहानियां हमारे श्री एन० सी० चटर्जी साहब ने सुनाई, जो कहानियां श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पिछली बहस के वक्त सुनाई थीं, वह दिल को हिला देने वाली हैं। हर शख्स चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, चाहता है कि किसी औरत के साथ ऐसी ज़्यादती न की जाय। अभी भी जो शिकायतें आती हैं, जब हम ऐबडक्शन और मौलैस्टेशन की शिकायतें सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सही है कि जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि वह गवर्नमेन्ट सावरेन गवर्नमेंट है। यह गवर्नमेन्ट भी सावरेन है। लेकिन ताहम में निहायत अदब के साथ यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सब होते हुए भी जितना प्रैशर हमारी गवर्नमेन्ट पाकिस्तान पर डाल सकती है वह डाले जिस से उन औरतों के साथ में, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान से आती हैं और जो हमारे यहां से गई थीं, उन के रास्ते में कोई रुकावटें वापसी की न डाली जायें। इस के बारे में जितना भी प्रैशर हम डाल सकते हैं हम को डालना चाहिय अगर फिर

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

भी कोई ऐसी सूरत हो कि इस प्रैशर का कोई फायदा न हो तो मैं जानता हूं कि जरूर फीलिंग्ज ऐमबिटर्ड होंगी और फिर पता नहीं कि हालत कहां तक पहुंचे ।

जनाब वाला, मैं कई दफा हाउस में कह चुका हूं कि मैं पाकिस्तान की तरफ अपीज़मेंट की पालिसी का मुआफ़िक नहीं हूं । मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ इतनी अपीज़मेंट की पालिसी बरती जाय । लेकिन इस मामले में मैं हरगिज़ रैसीप्रोसिटी नहीं चाहता । अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश न करे तब भी मेरा मत यह है कि हम अपनी तरफ से इस मामले में पूरी कोशिश करें । एक एक औरत और एक एक बच्चे को पाकिस्तान वापस कर दें । लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जितना प्रैशर डाल सके, जो कुछ कर सके, वह एक एक औरत को बचाने के वास्ते और उस को मालैस्टेशन को और ऐबडक्शन से बचाने के वास्ते करे और उस के लिये अपना पूरा जोर लगायें । इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट शायद आपने इज़ाजत दी है । तो यह ऐसा मसला है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता था । पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, एक दो बात का जिक्र करना चाहती हूं । मुझे इस बात का बड़ा रंज हुआ कि अभी अभी एक सदस्य ने कहा कि पांच साल जो औरतें यहां रह चुकी हैं, उन के बारे में वह ऐसा समझते हैं कि वह फिजीकली और मैंटली वहां पर सैटल हो गई हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बात से हैरानी तो नहीं है पर रंज जरूर है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस बात की तरफ तवज्जह नहीं दे पाये हैं कि हमारी सोसायटी में या हमारी स्टेट में औरत की कौन सी पोज़ीशन है औरत का क्या स्टेटस है । औरत का नाम लेकर तो हम बहुत कुछ करते हैं, किस्म किस्म के पोलीटिकल ऐजीटेशन करते हैं, किस्म किस्म की मदद लेते हैं । बंगाल की औरतों का नाम ले कर यहां ऊधम मचाना चाहते हैं । पाकिस्तान में जो हमारी बहिनें हैं उन का नाम ले कर कहीं ऐजीटेशन करना चाहते हैं, और जब औरतों की मदद करने का मौका आता है तो आने और पाइयां गिनने लगते हैं और कहने लगते हैं मुझे बड़े अफ़सोस से यह कहना पड़ता है, वह कहते हैं कि औरतें फिज़ीकली सैटल्ड हो गई हैं । पाकिस्तान में हम लोगों का सामान रह गया, हमारी कोठियां रह गयीं, हमारा फर्नीचर रह गया, हमारे सोफे सैट रह गये, किताबें रह गयीं, भुड्ढे कुर्सियां रह गईं, तो आज मुझे कोई कहे कि हमारी पुरानी किताबें चाहियें, मेज और कुर्सियां चाहियें, तो मैं साफ कह दूंगी फट गये होंगे, मुझे नहीं चाहिये । परन्तु औरत औरत है । औरत फर्नीचर नहीं है । मुझे अफसोस है कि आप इस तरह की बात कहते हैं कि किस उम्र की वहां से औरतें आती हैं । अध्यक्ष महोदय, वहां से औरतें हम इसलिये नहीं ला रहे हैं कि यहां पर बीवियां बांटनी हैं, यहां के लोगों के अन्दर उन को बांटना है इसलिये उन को नहीं लाया जा रहा है । उन की उम्र का कोई ख्याल नहीं है । वहां से किसी भी उम्र की औरत हो,मां हो, बहन हो, पत्नी हो, वहां से हर औरत निकाली जायेगी । आज हमारे यहां पूछते हैं कि किस उम्र की औरत आ रही है, उन की क्या उम्र है । मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है । हमारे एक भाई ने तो यहां तक कहा कि बूढ़ी हो गई हैं, पांच साल में । यह कोई जानवर नही हैं, कोई गाय और भैंस नहीं हैं । गाय के प्रौटैक्शन के लिये भी बड़े बड़े जलूस निकलते हैं और जब एक औरत को निकालने का सवाल होता है

तो पांच साल की बात कही जाती है। हिन्दुस्तान की औरत ही नहीं, दुनियां भर की औरतें बीस बीस साल की मुद्दत हो जाती है, आदमी कैद हो जाता है, पर वे इन्तजार करती हैं। आदमी कहीं मर जाता है तो हम कहती हैं कि उस की लाश आये। लाश नहीं आती है तो कहती हैं कि उस की हड्डियां आयें। हड्डियां नहीं आती हैं तो कहती हैं उस की ऐशेज आयें। और यहां कई बहनें और मातायें जो पाकिस्तान में हैं हम उन के लिये कहते हैं कि उन की उम्र क्या हो गई है। वह वहां पर ही फिजीकली और मेंटली सैटल्ड हो गई हैं। वह बन्धनों में पड़ गई हैं। मुझे इस वक्त इस बारे में बहुत जिक्र नहीं करना है। पर एक भाई ने तो यह भी कह दिया कि हमारे यहां तो जो शादी होती है तो शादी भी कौन सी अपनी मरज़ी से होती है, ज़बरदस्ती हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हमारे यहां हिन्दुस्तान में आदमी हैं। खैर, कोई सोचे तो क्या सोचे पर हमारे यहां जो सदस्य पार्लियामेंट में हैं उन को यह समझना चाहिये कि वे हमारे देश के अच्छे अच्छे मेम्बरान हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोलिटिकल बाडीज़ का नेतृत्व करते हैं और नुमायंदे हो कर यहां हाउस में जनता की तरफ से आये हैं। और कहते हैं कि प्रेम उन को उत्पन्न हो गया होगा। जो उन को उठा कर ले गये, जिन्हों ने उन के भाइयों को कत्ल किया, जिन्हों ने उन के पतियों को कत्ल किया, जो आज उन को बिल्कुल कैदियों की तरह रखे हुए हैं, उन के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हो गया होगा। बिल के बारे में जसा कुछ सदस्यों ने कहा हम भी इतना ही चाहते हैं कि उन बहनों को मौका देना चाहिये कि व सुरक्षित जगह पर जहां उन को यह सवाल न रहे कि ज़बरदस्ती हमारे साथ होगी, एसी सुरक्षित जगह पर रह कर वह खुद फैसला कर सकें कि कहां उन को जाना है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में एक दूसरी चीज़ का और ज़िक्र कर दूं। वह यह है कि हमारे मुखालिफ़ लोगों ने एक और अलग हथियार अपने अख्तियार में लिया है। वे कहते हैं कि रिकवरी के खिलाफ़ नहीं हैं, वे मैशीनरी के खिलाफ़ हैं। यह पोलीटिकल स्टंट्स और चालाकियां चलाने की बात है। वे रिकवरी के खिलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि वहां पर हमारी बहनें हैं, औरतें हैं। इसीलिये वे मैशीनरी के खिलाफ़ हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहती हमारे सदस्य देशपांडे जी को और ऐबडक्टर्स की तरफ से उन को धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि उन्हों ने बहुत अच्छे अच्छे सूझाव ऐबडक्टर्स के लिये रखे हैं। आप ने फरमाया कि अफ्रीका से उन के पास चिट्ठियां आई हैं। शायद ऐबडक्टर्स को अफ्रीका के मारकेट का पता नहीं, इसलिये उन को उन्हों ने याद दिलाई कि वहां भी ले जा कर औरतों को बेच सकते हैं। उन्हों ने यह भी कहा कि यह मुसलमान औरतों के लिये यहां आंसू बहाने वाले बहुत हैं, तो ऐबडक्टर्स को यह बात जान कर खुशी हुई कि हाउस में ऐबडक्टर्स के लिये भी आंसू बहाने वाले मौजूद हैं। एक ही तरफ की बात नहीं है, जम्हूरियत में दोनों तरफ से आंसू बहाने वाले चाहियें, किसी को ऐबडक्टर्स का बहुत ध्यान है।

एक दूसरे सदस्य ने कहा कि कीप रखने वाली बात है और उन्होंने पांच दस फिगर बताये और इस प्रकार गणना की कि कितना रुपया खर्च हुआ। मुझे अध्यक्ष महोदय इस बात का भी जिक्र करना है कि कुछ लोगों ने कहा कि इस रिकवरी के वह खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन वे भाई कि जो रिकवरी का काम करते हैं, उनके खिलाफ हैं। उन की निन्दा कर के उनको डिसकरेज करना और ऐबडक्टर्स को ऐनकरेज करना और इस तरह से रिकवरी का काम करने वालों की नुक्ताचीनी करना रिकवरी के रास्ते में रोड़े अटकाना है। अध्यक्ष

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

महोदय, मैं ने सुना, मैं यहां नहीं थी, कि हमारे रिकवरी के काम करने वालों के लिये अक्सर यहां पर कुछ कहा गया। कुछ कुछ यह भी मालूम किया गया कि एक औरत पर क्या खर्च होता है और रिकवरी करने वालों से यह भी पूछा गया है कि उन के कितनी मोटर हैं, वह खाना क्या खाते हैं। तो मैं सदस्यों को बतलाना चाहती हूं कि हमारे रिकवरी करने वाले लोहे के चने चबाते हैं और देश देश में और जगह जगह और दूसरे मुल्क में बड़े बड़े खतरों में जाकर उन्होंने बहिनों को निकाला है। हमारी जिन बहिनों को गुरुपादस्वामी जैसे नौजवान भाई वहां छोड़ आये हैं और बुजुर्ग पिता वहां छोड़ आये हैं, हमारी मृदुला सारा भाई वहां जाती हैं और खतरे को मोल ले कर औरतों और बहनों को वहां से निकाल कर लाती हैं।

जहां पर नौजवान भाई फेल हो गये, जहां पर पिता फेल हो गये और अपने बच्चों और बीवियों को पीछे छोड़ आये, वहां से उन को यहां लाने के लिये हमारे रिकवरी स्टाफ के लोग जाते हैं और काम करते हैं। अगर यह कहा जाय कि स्टाफ से ज्यादा काम लिया जाना चाहिये और उन को और ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिये, अगर बीस घंटे अब काम करते हैं तो वह २२ घंटे काम करें, यह सब तो समझ में आ सकता है लेकिन इस किस्म की नुक्ताचीनी करना, जिस से वह डिस्करेज हो जायें और आप की नुक्ताचीनी इस किस्म की हो जिस से एबडक्टर्स और इनकरेज हो जायें, मैं नहीं समझती कि वह बिल के हामी किस तरह से हो सकते हैं। आप ने इतना ही मुझे वक्त दिया और इतना ही मैं कहना चाहती थी कि यह बड़े अफसोस की बात है कि औरतों के मसले पर इस किस्म से सोचा जाता है, रुपये और आना पाइयों का हिसाब लगाया जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि ज़्यादा तर लोगों न यह कहा कि वह बिल की मुखालिफ़त नहीं करते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह बिल सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

**श्री अनिल के० चन्दा**: श्रीमान्, मुझे केवल एक या दो बातें कहनी हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने पूर्वी बंगाल का प्रश्न उठाया। मैं स्वयं पश्चिमी बंगाल का रहने वाला हूं और मुझे पूर्वी बंगाल के लोगों की तकलीफों के बारे में यहां के बहुत से माननीय सदस्यों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। परन्तु इस अधिनियम का पूर्वी बंगाल से कोई सम्बन्ध नहीं। इस अधिनियम में अपहरण सम्बन्धी उन अपराधों का निर्देश है जो वर्ष १९४७ के आस पास किये गये थे। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में पुनः प्राप्ति का काम इस समय नेहरू-लियाक़त समझौते के अधीन दोनों देशों के अल्पसंख्यक मंत्रालयों की देख रेख में किया जा रहा है।

पाकिस्तान के रवैये के बारे में बहुत कुछ कहा गया; परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे सहायता विभाग को इस विशिष्ट अधिनियम को लागू किये जाने के बारे में पाकिस्तान से पूरी-पूरी मदद मिली है। मैं आपको यहां एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। पूर्वी पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के फ़ैसले के फलस्वरूप, हमें अपने देश में कुछ समय के लिये पुनः प्राप्ति का काम मजबूर हो कर रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाया और इस अवधि में वह बराबर पुनः प्राप्ति का काम करता रहा और उस ने हमें १७२ लड़कियां वापस लौटाईं।

श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में स्थिति इस प्रकार है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है और इसे दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाया है। जिस तरह हमारा यह ख्याल है कि पाकिस्तान में हज़ा

उच्च अधिकारियों और नागरिकों ने अपने यहां अपहृत स्त्रियों को रख रखा है उसी तरह वे लोग भी कहते हैं कि उनके यहां की स्त्रियों को भी यहां के अधिकारियों और नागरिकों ने अपने यहां रख रखा है। इस मामले में बहुत अच्छी तरह जांच की जा रही है और इस समय इसका ठीक ठीक उत्तर बतलाना असम्भव है। इस का उत्तर तो हर एक आरोप के बारे में जांच करने के बाद ही दिया जा सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## चाय विधेयक

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि चाय उद्योग को संघ द्वारा नियंत्रित करने और इसके लिए एक चाय बोर्ड स्थापित करने तथा भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर बहिःशुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को, श्री ए० के० बसु०, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री कामाख्य प्रसाद त्रिपाठी, प्रो० निबारन चन्द्र लस्कर, श्री देवेश्वर सरमा, श्री भक्त दर्शन, श्री आर० वैंकटारमन्, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री हेमराज, श्री एन० एम० लिंगम्, श्री एच० सिद्धननजप्पा, श्री भ.वत झा आज़ाद, श्री पी० टी० चाको०, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री जयपाल सिंह, श्री त्रिदीव कुमार चौधरी, श्री के० केलप्पन, श्री रायसम शेसगिरि राव, श्री पुरेन्द्र शेखर नस्कर, श्री देवकान्त बरुआ, श्री डी० पी० करमरकर तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक या उससे पूर्व उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये।"

केन्द्रीय चाय बोर्ड अधिनियम, १९४९ तथा भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम, १९३८ को मिलाकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है साथ ही जहां आवश्यकता थी वहां परिवर्तन भी कर दिया गया है। विधेयक संविधान की अनुसूची ७, सूची १ के पद ५२ के निबन्धों के अनुसार एक घोषणा से आरम्भ होता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसकी परिभाषा भी अन्य दो अधिनियमों के ढंग पर ही बनाई गई है, केवल चाय बोर्ड के कृत्यों में वृद्धि होने के कारण इसमें कुछ बातें और जोड़ दी गई हैं।

चाय बोर्ड अधिनियम, १९४९ द्वारा निश्चित प्रणाली का चाय बोर्ड का संविधान पालन नहीं करता। इस विधेयक में व्यक्तियों के दस वर्ग बताये गये हैं जिनका बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा इस बात को केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है। यह परिवर्तन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इससे चाय बोर्ड में एक ही प्रकार का प्रतिनिधित्व होजाने का भय था। वर्तमान बोर्ड में अब केवल उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व है जिनका इससे बहुत निकट का सम्बन्ध है। चाय उद्योग एक राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है तथा आशा की जाती है कि उन लोगों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर देना जिनका चाय के उत्पादन तथा विक्रय का विभिन्न प्रक्रियाओं से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, राष्ट्र के अधिक हित में होगा।

सचिव तथा १००० रुपए से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को होगा। सरकार का यह भी विचार है कि इस समय वित्त मंत्रालय चाय बोर्ड के ऊपर जो वित्तीय नियंत्रण रखता है उसे और भी कड़ा कर दिया जाये

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिशों के साथ प्रस्तुत किया गया।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और ऐसा करने में उसी प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा जोकि सरकार समस्त ऐसे बोर्डों के वित्तीय मामलों को कड़े नियंत्रण में रखने के सम्बन्ध में प्रयोग करती है ।

बोर्ड के कृत्य बढ़ा दिये गये हैं। केन्द्रीय चाय बोर्ड तथा भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अलावा अब यह कार्य भी उसे करने पड़ेंगे :

(१) आन्तरिक खपत या निर्यात के लिए चाय के विक्रय का, चाहे नीलाम द्वारा या अन्यथा, विनियमन तथा नियंत्रण करना ।

(२) चाय की किस्म पर नियंत्रण रखना तथा चाय के ब्लैंडिंग के लिए लाइसैन्स देना; तथा

(३) मज़दूरों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए, जिसमें मज़दूरों के लिए काम करने की अच्छी हालतें पैदा करना तथा उनके लिए सुविधाओं में सुधार करना भी शामिल है, अन्य तरीकों को अपनाना ।

हो सकता है कि चाय विधेयक के खण्ड ३३ के अन्तर्गत प्रस्तावित अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस निश्चय पर पहुंचे कि चाय बोर्ड चाय के चूरे के दलालों, उत्पादकों या व्यापारियों को भी लाइसेंस दे ।

चाय के निर्यात तथा चाय की खेती के विस्तार पर नियंत्रण के सम्बन्ध में चाय विधेयक, १९५२ के अध्याय ३ और ४ में सिद्धान्तः वही उपबन्ध दिये हुए हैं जो भारतीय चाय नियंत्र अधिनियम के अध्याय २ और ३ में दिये गये हैं । फिर भी चाय विधेयक के उपबन्धों में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि चाय बगीचों को किस आधार पर चाय निर्यात करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा तथा वे चाय की खेतों में कहां तक विस्तार कर सकेंगे । इन मामलों के सम्बन्ध में विस्तार की बातें प्रस्तावित अनुविधि में नियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है । यह इसलिए वांछनीय है क्योंकि सरकार को समय समय पर अपनी नीति चाय उद्योग के विकास तथा कल्याण के सम्बन्ध में बनानी पड़ती है । साथ ही इससे अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते के बारे में, यदि यह समझौता जारी रहा भारत को अपना दायित्व निभाने में कोई अड़चन न होगी ।

अध्याय ६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले नियंत्रण का उल्लेख है । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं अध्याय ७ का खण्ड ३३ एक नया उपबन्ध है जोकि दलालों चाय उत्पादकों तथा ब्लैण्ड करने वालों के सम्बन्ध में है । इस अध्याय के अन्य उपबन्ध दोनों वर्तमान अधिनियमों में से लिये गये हैं ।

मैं उस विषय के सम्बन्ध में भी केवल एक शब्द कहना चाहता हूं जिसमें माननीय सदस्यों को बहुत दिलचस्पी है । चाय उद्योग के वर्तमान संकट को देखते हुए हो सकता है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए स्पष्टिकरण देने की आवश्यकता हो । जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि यह विधेयक इस संकट के कारण पुरःस्थापित नहीं किया गया है । पिछले सत्र में सरकार ने वचन दिया था कि वह चाय के नियंत्रण के सम्बन्ध में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे सरकार इस महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में और अच्छी तरह देखभाल कर सके । वर्तमान संकट से यदि कुछ भी पता लगता है तो यही कि इस उद्योग पर चाय बोर्ड का जो नियंत्रण है वह वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए । आन्तरिक प्रचार के सम्बन्ध में

जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, उसके आधार पर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि आन्तरिक प्रचार के तरीके बिल्कुल असंतोषजनक हैं। मुख़यत: प्रचार का सम्बन्ध चाय की बिक्री से है क्योंकि प्रचार संगठन और उन फ़र्मों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है जो आन्तरिक बाज़ार में चाय भर कर बेचती हैं। यद्यपि नये विधेयक में इस बात का कोई विशिष्टरूप से उल्लेख नहीं है कि बोर्ड आन्तरिक बिक्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा फिर भी मेरे विचार में यह मामला प्रवर समिति पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अन्य देशों में चाय का प्रचार चाय बेचने वाली फर्मों तथा प्रचार संगठन के बीच निकट सम्पर्क बनाये रख कर किया जाता है और यही बात लागत के सम्बन्ध में भी लागू होती है। भारत में चाय बेचने वाली फर्मों तथा चाय बोर्ड के बीच इस प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं है।

सदन को यह तो मालूम ही है कि हमने अपनी चाय का प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड से अलग कर लिया है। ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि मुझे जो बातें मालूम पड़ी हैं उनके अनुसार चाय बोर्ड का अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड की कार्यवाहियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह एक उल्लेखनीय बात है कि जबकि अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड ने उन विभिन्न देशों के लोगों को जिनको वह सहयोग दे रहा था इस बात के लिए कहा कि वे भारत सरकार से बोर्ड से अलग होने का विरोध करें किन्तु वह अपने आप इस मामले में पूर्णत: चुपचाप है। अत: मुझे जान कर आश्चर्य होगा कि यदि भारत में कोई व्यक्ति, जिसका भारतीय चाय उद्यो से कुछ भी सम्बन्ध है, यह कहे कि भारत सरकार ने इस मामले में जो कार्यवाही की है वह ठीक नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड से अलग हो जाने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार का भार भारतीय चाय संगठन पर आ पड़ा है। सरकार इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ कदम उठा चुकी है। सरकार को आशा है कि समय आने पर नया चाय बोर्ड इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेगा और, यदि सम्भव हुआ, तो चाय उत्पादन करने वाले अन्य बड़े देशों के साथ मिलकर संसार में चाय के प्रचार के लिए कार्यकुशल संगठन स्थापित कर सके।

कुछ सम्बन्धित हित अवश्य ही यह कहेंगे कि इस विधेयक को तैयार करने में उनकी सलाह नहीं ली गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान विधेयक को तैयार करने में पिछले अधिनियम की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है, इस विधेयक को तैयार करने में उनकी राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है। किन्तु मैं सदन के सामने यह सुझाव रखूंगा कि वह प्रवर समिति से यह कहे कि वह चाय हितों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी राय ले। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि सदन तथा सरकार को इस प्रकार की साक्ष्य से लाभ होगा।

एक घंटे पहले एक माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा था कि इस विधेयक में भी उसी प्रकार का उपबन्ध होना चाहिए जैसा कि उद्यो (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा २० में है अर्थात् सरकार या चाय बोर्ड को, जैसा भी हो, यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे चाय बगीचों का प्रबन्ध अपने हाथों में ले सके जिनका उसकी राय में बुरी तरह से प्रबन्ध हो रहा है। यद्यपि मैं इस बात को प्रवर समिति पर छोड़ता हूं कि यदि वह चाहे तो इस प्रकार का उपबन्ध कर दे फिर भी मैं माननीय सदस्यों से सत्र के अन्तिम दिन इतनी देर से यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए क्षमा चाहता हूं।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

परन्तु माननीय सदस्य यह बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि प्रवर समिति में काफ़ी सदस्य हैं इसलिए आवश्यकता हुई तो वे विधेयक को अन्य रूप में भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे अगले सत्र के आरम्भ में उसकी हर प्रकार से आलोचना की जा सके।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल): इस समय जबकि चाय बागीचों में काम करने वाले हज़ारों मजदूर बेकार हो रहे हैं इस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना जरूरी है । मेरे विचार में जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है न केवल चाय हितों और चाय बागीचों के मालिकों से परामर्श किया जाना चाहिए बल्कि चाय बागीचों के मालिक, मजदूरों तथा सरकार के बीच परामर्श होन चाहिए। ऐसा करने से बोर्ड को उचित ढंग पर संगठित करने में सहायता मिलेगी ।

जहां तक बोर्ड के संगठन का सम्बन्ध है उसमें लगभग ४० सदस्य होंगे जिनमें सरकारी प्रतिनिधि, चाय बगीचों के मालिकों, मजदूरों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के भी प्रतिनिधि होंगे। परन्तु यह नहीं बतलाया गया है कि मजदूरों के कितने प्रतिनिधि होंगे तथा उन्हें किस प्रकार चुना जायेगा । मेरा निवेदन है कि व्यापार मंडलों की तरह मजदूर संघों को भी अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजने का अधिकार दिया जाये ।

चाय की किस्म में सुधार करने के लिए अनुसन्धान केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है। परन्तु मैं एक बात की ओर प्रवर समिति का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व ख्याति प्राप्त चाय की कम्पनियों ने डिब्बों में अच्छी चाय भरने के बजाय चाय के डंठल भर दिये थे । यह तो सभी को मालूम है कि आन्तरिक खपत के लिए जो चाय दी जाती है वह अच्छी नहीं होती फिर भी उसमें सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

जून १९४८ में जमा किये गये आंकड़ों के अनुसार ७५ प्रतिशत चाय उद्योग में विदेशियों की पूंजी लगी हुई है । इस समय चाय उद्योग पर जो संकट आया हुआ है उसमें भी इन्हीं विदेशियों का हाथ है । वे चाहते हैं कि यहां के लोग चाय के बगीचों का काम छोड़ दें । भारतीय लोगों के हाथ में जो बगीचे हैं वे बहुत छोटे २ हैं । अतः प्रवर समिति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह विदेशी देशी लोगों को इस उद्योग से ही न हटा दें ।

चाय बगीचा मजदूर अधिनियम, १९५१ तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार इस समय चाय बगीचों से निकाले जाने वाले मजदूरों के लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है ।

**श्री के० के० देसाई** (हालर) : चाय उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि इससे हम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । फिर भी, विदेशियों के हाथों में होने के कारण इस पर हमेशा संकट आया रहता है । क्या कारण है कि जब भारत से कच्ची चाय आठ या नौ आने भेजी जाती है वही चाय योरुप में सवा दो रुपये या ढाई रुपये पौंड बिकती है । यह बीच का लाभ कौन उठाता है ? चाय बागीचों के विदेशी मालिक चाहते हैं कि यह विधेयक पास न किया जाये क्योंकि इससे उनके लाभ की सीमा बहुत ही कम हो जायेगी ।

यद्यपि नये चाय बोर्ड में सब लोगों को, जिनका चाय उद्योग से कुछ भी सम्बन्ध है, प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है फिर भी, मेरे विचार में इस बोर्ड में बड़े बड़े चाय

बगीचों के मालिकों का ही बोल बाला रहेगा।

विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उत्पन्न होन वाले संकटों का डट कर मुक़ाबला किया जा सके। इस समय तो चाय बगीचों के मालिक जैसा चाहते हैं करते हैं किन्तु अब सरकार को इसकी पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए।

**सभापति महोदय :** सदन की स्वीकृति से श्री टी० सुब्रह्मण्यम का नाम भी सूची में शामिल किया जाता है।

**श्री आर० के० चौधरी** (गौहाटी) : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बिधेयक का आसाम के चाय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के अन्य भागों में चाय उद्योग का क्या हाल है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु जहां तक आसाम का प्रश्न है, मैं बिना किसी हिचक के यह कह सकता हूं कि वहां चाय उद्योग समाप्त होने ही वाला है। मैं इस मामले में सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा, सरकार ने तो पूरी सहायता देने की कोशिश की है। उन्होंने हाल ही में कई सम्मेलन भी किये और अपने अधिकारियों को इस उद्योग को बचाने की दृष्टि से आसाम और कलकत्ते भी भेजा था। परन्तु उन्होंने जो आश्वासन दिये हैं या रियायतें दी हैं उनसे उद्योग को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि विधेयक के कुछ उपबन्धों को स्वीकार करना बहुत जरूरी मालूम होता है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल वहां ऐसी स्थिति है कि वर्तमान चाय बागीचों में चाय की खेती का काम हाथ में लेने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं। बीस बागीचों ने अपने यहां के मज़दूरों को नोटिस दे दिया है कि अगले वर्ष से उनके यहां काम बन्द हो जायेगा।

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के हाल ही के उत्तर से पता चला है कि सरकार केवल १९५३ तक की खेती के लिए ही गारंटी देने को तैयार है। इससे आसाम के चाय उद्योग को कोई लाभ नहीं हो सकता। पहले ही उन्होंने अपनी फ़सलों को गिरवी रख रखा है और अब बैंक उनको बिना किसी गारंटी के और अधिक ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। हम चाय उद्योग पर यह दोष तो लगा नहीं सकते कि वह मज़दूरों के प्रति बहुत उदार रहा है। मैं यह तो नहीं कहता कि उद्योग मज़दूरों के प्रति बहुत ज्यादा उदार रहा है परन्तु यह ज़रूर कहूंगा कि उदार वह अवश्य है। यहां के मज़दूरों को बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं। मेरा विचार है कि जब तक सरकार सारे चाय उद्योग को अपने नियंत्रण में नहीं ले लेगी तब तक चाय उद्योग के लिए इन जिम्मेदारियों का पूरा करना बहुत कठिन होगा।

कल श्रम मंत्री जी द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया जा सकता था कि जहां तक मज़दूरों का सम्बन्ध है क्या हम खर्चे में कमी कर सकते हैं। परन्तु चाय बगीचों का कोई मालिक इस प्रकार का कदम उठाने की बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि मज़दूर हड़ताल कर देंगे और बहुत सी कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का क़ानून बनाने से पहले हमें यह देखना होगा कि सरकार ने इस मामले में क्या किया है। उदाहरण के लिए सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए क्या किया है ? यह कैसे होता है कि इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली चाय १ रु० ११ आ० प्रति पौंड से अधिक दाम पर नहीं बेची जाती जबकि यहां भारत में हमें एक पौंड के तीन रुपये देने होते हैं ? पिछले छः सालों में सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया है ?

[श्री आर० क० चौधरी]

यदि सरकार अब चाय उद्योग को चलाना चाहती है तो उसे चाय के सारे स्टाक को ऐसे मूल्य पर खरीद लेना चाहिए जिससे उद्योग को नुकसान न हो। उनको कुछ मुनाफ़ा देकर, यदि सरकार चाय के सारे स्टाक को ले ले और फिर स्वयं बेचने लगे तो इससे क़ीमतों में स्थिरता आ सकेगी। इसी तरह से आप चाय उद्योग को बचा सकेंगे। यदि आप चाय बागीचों को बचाने की व्यवस्था नहीं करते तो इस तरह का क़ानून बनाना बिल्कुल बेकार होगा।

दूसरी बात यह है कि हमें अपने देश में चाय के बाज़ार को बढ़ाने के लिए क़दम उठाने चाहिये। हम यह सोच कर नहीं बैठे रह सकते कि चाय सिर्फ़ हमारे यहां ही होती है। रूस, दक्षिण अफ़्रीका, इन्डोनेशिया, लंका आदि देशों में चाय की खेती की जाने लगी है। भारत के अलावा अन्य किसी देश में चाय पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता, परन्तु यहां की सरकार, उद्योग की इतनी बुरी अवस्था होते हुए भी, चाय परनिर्यात शुल्क लिये जा रही है। या तो सरकार को चाहिए कि कुछ वर्षों के लिए निर्यात शुल्क न लगाये या फिर वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे निर्यात शुल्क बाद में दिया जा सके। मैं सदन से यह भी निवेदन करूंगा कि हमें चाय का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम भारत में ही चाय की खपत बढ़ाने का प्रयत्न न करेंगे तब तक उद्योग की उन्नति नहीं हो सकती।

**श्री एस० सी० सामन्त** (तामलुक) : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के इस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। खंड ४ में चाय पर्षद् के सदस्यों की संख्या का निर्देश है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि कौन से वर्ग के कितने प्रतिनिधि होंगे। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति के सदस्य इस बात पर विचार करें और हर वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करें। संसद् का भी कोई प्रतिनिधि पर्षद् में नहीं है। प्रवर समितिको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह सदस्य निर्वाचित होंगे, या सरकार द्वारा नामनिर्देशित अथवा नियुक्त। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां चाय का उत्पादन होता है। यदि इन राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों को पर्षद् में लिया जाये तो इससे भी लाभ हो सकता है।

हम चाय विस्तार पर्षद् से हट गये हैं, इसका मतलब यह है कि चाय के प्रचार का सारा काम अब हमारे ऊपर है। यह चाय विस्तार पर्षद् चाय के बारे में भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा था, अब सारा काम हम स्वयं करना होगा। मेरी राय में चाय के विस्तार और प्रचार के लिए एक स्थायी समिति बनायी जाये और इसका विधेयक में स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया जाये। हमें इस कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चाय का बाज़ार बढ़ाने के लिए यह चीज़ बहुत ज़रूरी है।

**श्री दामोदर मेनन** (कोझिकोड) : मुझे माननीय मंत्री को और प्रवर समिति को दो-एक सुझाव देने हैं।

एक बात तो यह है कि यह उद्योग कुछ स्वार्थी लोगों, विशेषतः विदेशों के स्वार्थी लोगों के हाथ में है। हम इस विधेयक के द्वारा अपने चाय बागीचों के विस्तार की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं प्रवर समिति को यह सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में विदेशी लोगों को हमारे यहां के इस उद्योग में अब और आगे न बढ़ने देना चाहिए। हमें अपने अगले विस्तार कार्यक्रम में विदेशी पक्षों को स्थान नहीं देना चाहिए। आज इस उद्योग पर जो संकट आया है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है, कि यह उद्योग विदेशी लोगों

के हाथों में है। तो हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम इन स्वार्थी लोगों को दूर ही रखें, तब ही हमारा उद्योग उन्नति कर सकेगा।

इसके बाद चाय पर्षद् का प्रश्न है। विधेयक में कई वर्ग दिये गये हैं। श्रमिकों को जो प्रतिनिधित्व मिला है वह, मेरी राय में, अपर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि हमें कम से कम यह बताया जाना चाहिए कि कौन से वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। इसमें कुल चालीस सदस्य हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कितने प्रतिनिधि चाय-निर्माताओं के होंगे, कितने बागीचा-मालिकों के, कितने संसद् सदस्यों आदि के। एक बात और। इन प्रतिनिधियों के नियुक्त करने के लिए नाम निर्देशन का तरीक़ा ही हमेशा काम में नहीं लाना चाहिए। इसमें निर्वाचन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों के और बागीचों के मालिकों के प्रतिनिधि चुनने में निर्वाचन की प्रणाली अपनाना ही अधिक अच्छा होगा।

बस मुझे इतना ही कहना है।

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: इस विधेयक का दृढ़ समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। बहस से पता चलता है कि एक बात पर सब लोग सहमत हैं और वह बात यह है कि चाय उद्योग को पहले ही अपेक्षा और अधिक नियमित रूप वे चलाया जानेकी आवश्यकता है। बहस में तीन या चार महत्वपूर्ण बातें और निकली हैं। पहली तो यह कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह सुझाव श्री खंडूभाई देसाई का था। इसके बाद श्री दामोदर मेनन ने कहा कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बारे में भी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब मामलों पर प्रवर समिति निश्चय ही विचार करेगी और मैं समझता हूं कि इन बातों पर मेरे द्वारा कुछ विचार प्रगट करना प्रवर समिति के प्रति अनुचित होगा।

मैं समझता हूं कि श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा प्रगट किये गये विचारों से प्रवर समिति अवश्य लाभ उठायेगी।

**सभापति महोदय**: प्रश्न है:

"कि चाय उद्योग को संघ द्वारा नियंत्रित करने और इसके लिए एक चाय बोर्ड स्थापित करने तथा भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर बहिःशुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को श्री ए० के० बसु, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री कामाख्य प्रसाद त्रिपाठी, प्रो० निबारन चन्द्र लस्कर, श्री देवेश्वर सरमा, श्री भक्त दर्शन, श्री आर० वेंकटारमन, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री हेमराज, श्री एन० एम० लिंगम्, श्री एच० सिद्धननजप्पा, श्री भगवत झा आज़ाद, श्री पी०टी० चाको, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री जयपाल सिंह, श्री त्रिदीब कुमार चौधरी, श्री के० केलप्पन, श्री रायसम शेषगिरि, श्री पुरनेन्दु शेखर नस्कर, श्री देवकान्त बरुआ, श्री टी० सुब्रह्मण्यम् श्री डी० पी० करमरकर, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक या उससे पूर्व उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**सभापति महोदय**: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई।**

GIPD—HS—160 PSD—27-7-53—285

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1953